दिल्ली पॉवर कम्पनी लिमिटेड
DELHI POWER COMPANY LTD.

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

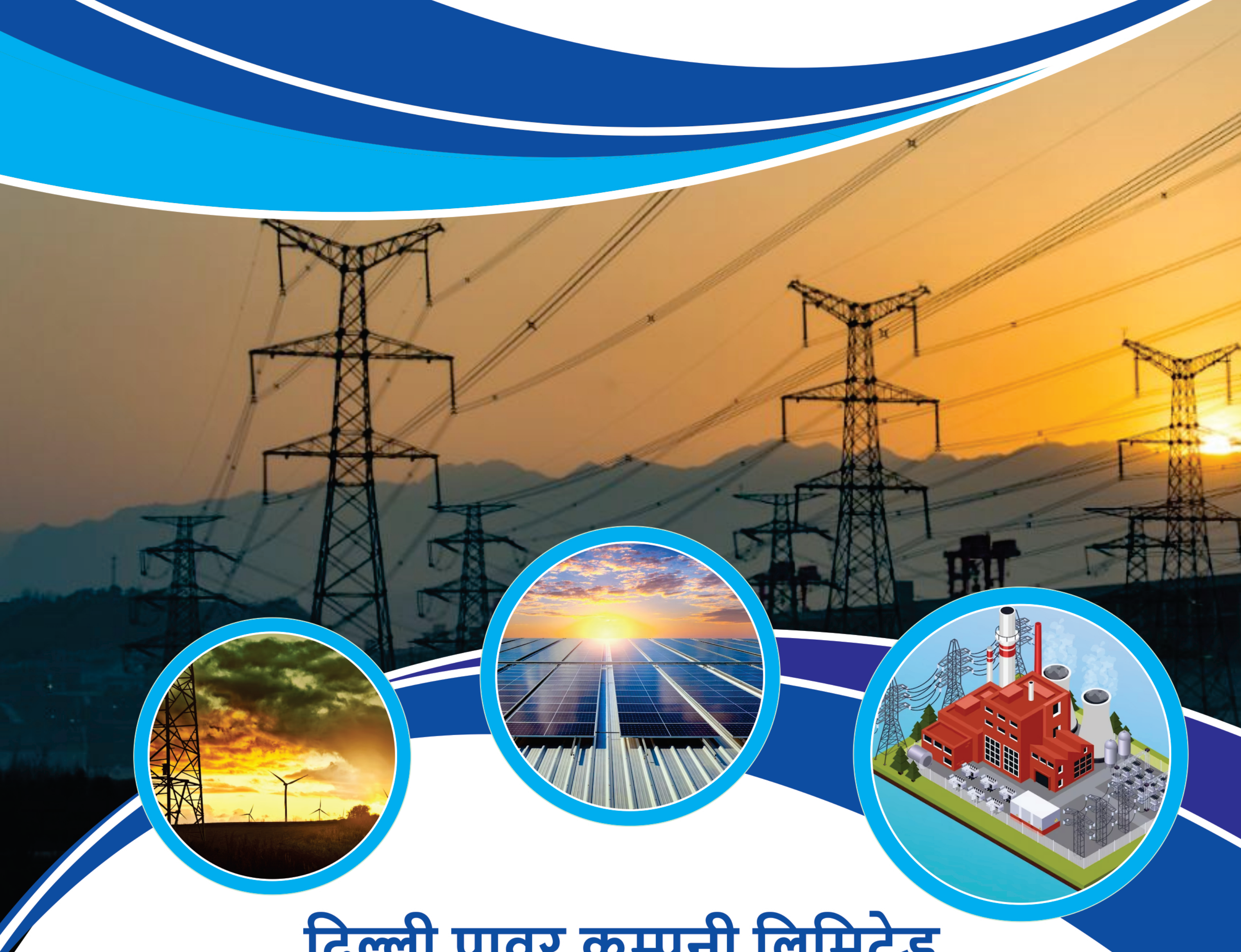

दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: शक्ति सदन, कोटला रोड,
नई दिल्ली-110002

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निदेशक मंडल	2
2	निदेशकों की रिपोर्ट	3
3	सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर (स्टैंडअलोन एवं समेकित आधार पर)	11
4	सीएजी की टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन और समेकित आधार)	16
5	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर	
6	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	26
7	सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर	29
8	वार्षिक रिटर्न उद्धरण	31
9	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व व वार्षिक रिपोर्ट	41
10	कॉर्पोरेट अधिशासन रिपोर्ट	41
11	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	54
12	तुलन–पत्र (एकल आधार पर)	55
13	लाभ व हानि विवरण (एकल आधार पर)	56
14	रोकड़ प्रवाह विवरण (एकल आधार पर)	58
15	लेखा संबंधी टिप्पणियां (एकल आधार पर)	15.
16	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (समेकित आधार पर)	89
17	तुलन–पत्र (समेकित आधार पर)	90
18	लाभ व हानि विवरण (समेकित आधार पर)	91
19	रोकड़ प्रवाह विवरण (समेकित आधार पर)	92
20	समेकित आधार पर खातों पर टिप्पणियाँ	93

निदेशक मंडल

श्री सत्य गोपाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. संजय कुमार लाल
निदेशक (वित्त)

श्री अजीमुल हक
नामित निदेशक

श्री अनिल कुमार ओझा
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती अंजलि राय
स्वतंत्र निदेशक

मुख्य वित्त अधिकारी

श्री हर्शिन्दर सिंह

कंपनी सचिव

सुश्री पलक जैन

लेखा परीक्षक

मैसर्स बी.आर. माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एम–118, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली–110001

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
सिंडिकेट बैंक

पंजीकृत कार्यालय

शक्ति सदन, कोटला मार्ग,
नई दिल्ली–110002

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ 19वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

वित्तीय परिणाम (एकल आधार)

(लाख रुपये में)

विवरण	2019-20	2018-19
आय		
लाभांश और ब्याज आय	13,241.94	12,415.80
निवेश पर क्षति हानि के लिये सृजित प्रावधान रिवर्सल	1,109.20	2,624.13
विविध आय	48.80	–
कुल आय	**14,399.94**	**15,039.93**
प्रशासनिक और अन्य व्यय	289.94	724.57
ह्रास	1.07	1.19
कुल व्यय	**291.01**	**725.76**
कर पूर्व निबल लाभ	**14,108.93**	**14,314.17**
आय कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर)	1,422.27	1,011.03
कर पश्चात निबल लाभ	**12,686.66**	**13,303.14**
प्रति इक्विटी शेयर आय (रुपये)	1.70	1.79

वित्तीय परिणाम (समेकित आधार)

(लाख रुपये में)

विवरण	2019-20	2018-19
आय		
ब्याज आय	8,422.10	8,088.13
एचवीपीएनएल से पंचाट निर्णय के संदर्भ में ब्याज	–	–
कुल आय	**8,422.10**	**8,088.13**
प्रशासनिक और अन्य व्यय	289.94	724.57
ह्रास	1.07	1.19
कुल व्यय	**291.01**	**725.76**
कर पूर्व निवल लाभ	**8,131.09**	**7,362.37**
सहयोगी कंपनियों में निवल लाभ शेयर–(आईपीजीसीएल, डीटीएल, बीवाईपीएल, बीआरपीएल, टीपीडीडीएल और आईइडबल्यूएमसीएल)	53,031.86	44,708.68
सहयोगी कंपनियों के अन्य व्यापक आय शेयर (आईपीजीसीएल, डीटीएल, बीवाईपीएल,बीआरपीएल, टीपीडीडीएल और आईइडबल्यूएमसीएल)	(138.37)	26.20
आय कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर)	(1,422.27)	(1,011.03)
कर पश्चात निवल लाभ	**59,602.31**	**51,086.22**
प्रति इक्विटी शेयर आय (रुपये)	8.00	6.86

एकल और समेकित वित्तीय विवरणों का संकलन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के प्रावधानों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी व्यवहार्य भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के साथ पठित, के अनुसार कंपनी को 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिये अपनी सहयोगी कंपनियों – इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) तथा इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईईडबल्यू एमसीएल) की समेकित वित्तीय विवरणों का संकलन करना है। इसके अनुरूप कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिये एकल आधार पर वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त समेकित वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किया है।

वित्तीय स्थिति

कंपनी ने टीपीडीडीएल की इक्विटी शेयर पूंजी में निवेश पर चालू वित्तीय के दौरान टीपीडीडीएल से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये इक्विटी लाभांश के रूप में 48.69 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की है। टीपीडीडीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये 64.92 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभांश भी घोषित किया गया, लेकिन यह मौजूदा वित्तीय वर्ष (2020–21) में प्राप्त किया गया है और इसीलिये कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार इसे लेखा गणना के लिये नहीं लिया गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने बैंकों के साथ सावधि जमा पर 83.73 करोड़ रुपये का ब्याज प्राप्त किया है। कंपनी ने डीटीएल के निवल मूल्य में वृद्धि के कारण सहयोगी कंपनियों में निवेश मूल्य में 11.09 करोड़ रुपये की हानि के प्रावधान को पलट दिया। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने कर पूर्व लाभ के रूप में 141.09 करोड़ रुपये और कर पश्चात लाभ के रूप में 126.87 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया जबकि पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2018–19 में कंपनी का कर पूर्व लाभ 143.14 करोड़ और कर पश्चात लाभ 133.03 करोड़ रुपये था। कंपनी ने वर्ष के दौरान, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत अपनी पूर्व अनावशोषित, 48.76 करोड़ रुपये की, संचित हानि को पूरी तरह प्रयुक्त करते हुए, अपने लाभ–हानि विवरण में 14.22 करोड़ रुपये का न्यूनतम वैकल्पिक कर (आय कर) प्रभारित किया है।

इसके अलावा निवेश पर हुई क्षति हानि को पलटने के कारण वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के कर पश्चात लाभ में 11.09 करोड़ रुपये की कमी आई और इसके कारण प्रति शेयर आय (ईपीएस) 2018–19 के 1.79 करोड़ रुपये से कम होकर 2019–20 में 1.70 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का निवल मूल्य वित्तीय वर्ष 2018–19 के 1,597.56 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019–20 में 1724.42 करोड़ रुपये हो गया।

सहयोगी कंपनियों में लाभ का हिस्सा

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सहयोगी कंपनियों – आईपीजीसीएल, डीटीएल, बीवाईपीएल, बीआरपीएल, टीपीडीडीएल और आईईडबल्यूएमसीएल के लाभों में कंपनी के हिस्से 530.32 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 447.09 करोड़ रुपये) में इन छः सहयोगी कंपनियों की अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का हिस्सा (1.38) करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.26 करोड़ रुपये) भी शामिल है।

लाभांश

कंपनी की अनावशोषित संचित हानियों के कारण कंपनी के निर्देशकों ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की।

कंपनी के कार्यों का संचालन/स्थिति

कंपनी किसी भी विनिर्माण, कारोबारी या वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन नहीं करती है। इसका गठन मुख्य रूप से पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड की बाद की कंपनियों – इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल), टाटा दिल्ली पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) की शेयर धारिता के लिये किया गया, जो राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण का कार्य करती हैं। इसके अलावा कंपनी हस्तांरण योजना विनियम 2001 के प्रावधानों के अनुरूप पूर्व के दिल्ली विद्युत बोर्ड की देयताओं का समायोजन भी कर रही है। कंपनी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विद्युत उत्पादन के लिये नगरनिगम कचरे के प्रसंस्करण की परियोजना में इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड नाम के एसपीवी की इक्विटी शेयर पूंजी में मेसर्स यूनिक वेस्ट प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड के साथ को–प्रोमोटर के रूप में भी निवेश किया है।

हस्तांरण योजना विनियम 2001 के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी को सहयोगी वितरण सेवा कंपनियों के लिये, घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओँ तथा सरकारी विभागों से दिल्ली विद्युत बोर्ड के समय के बिजली बकाया की बसूली का काम भी सौंपा गया है। इसके अनुसार कंपनी अदालतों के हस्तक्षेप से बकाया वसूली की प्रक्रिया में है। कंपनी को कार्य संभालते समय मिले ओपनिंग बैलेंस के अनुसार 446.53 करोड़ (संदिग्ध ऋण के प्रावधान पर विचार किये बिना) रुपये बिजली उपभोक्ताओं के पास बकाया हैं जिसमें 286.83 करोड़ रुपये विभिन्न सरकारी विभागों से लिये जाने हैं।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानो, कंपनी (नियुक्ति और प्रबंधन कर्मियों के पारिश्रमिक) विनियम 2014 के साथ पठित, के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को निदेशक रिपोर्ट में कर्मियों के पारिश्रमिक मध्य मूल्य की तुलना में प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात स्पष्ट करना होगा और विनियम के अनुसार अपेक्षित अन्य विवरण भी देना होगा। इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के अनुपालन से छूट दी गयी है। इसलिये निदेशक रिपोर्ट में ऐसे विवरण शामिल नहीं किये गये हैं।

कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम,2013 की धारा 22 के तहत स्पष्टीकरण

परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति को छोड़कर डीपीसीएल में कार्यरत सभी कर्मचारी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के नियमित कर्मचारी हैं और डीपीसीएल में पदस्थापित हैं। इसलिये दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में लागू, कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न संबंधी नीति सहित सभी एचआर नीतियां डीपीसीएल में भी व्यवहार्य हैं। इसके अलावा कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम,2013 के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति की संरचना से संबंधित प्रावधान भी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा डीपीसीएल में पदस्थापित कर्मियों के लिये भी लागू होते हैं।

समीक्षा वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं मिली और न ही कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम,2013 के तहत कोई मामला दर्ज किया गया।

विनियामकों, अदालतों या अधिकरणों द्वारा पारित, कंपनी के संचालन और जारी स्थिति पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण आदेश वर्ष के दौरान कंपनी को विनियामकों, अदालतों या अधिकरणों से कोई भी ऐसा आदेश प्राप्त नहीं हुआ जो कंपनी की जारी संबंध स्थिति या भविष्य के संचालन पर असर डाल सकते हों।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई भी ऋण या गारंटी मंजूर नहीं की और न ही कोई निवेश किया। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत मूल ऋण पर कोई भी राशि बकाया नहीं थी, इसलिये वित्तीय वर्ष 2019–20 में किसी भी बकाये का पुनर्भुगतान नहीं किया जाना था।

कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धतायें, यदि कोई हों।

कंपनी की वित्तीय स्थिति पर असर डालने वाला ऐसा कोई भी बड़ा परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं है जो वित्तीय विवरण के संबंधित वर्ष के अंत और रिपोर्ट तिथि के बीच घटित हुई हो।

धारा 188(1) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या समझौतों का विवरण

संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के अनुबंध या समझौते व्यवसाय के सामान्य क्रम में तथा स्वतंत्र मूल्यधनिर्णय पर किये गये। इसलिये कंपनी अधिनियम की धारा 188 के प्रावधान लागू नहीं होते और इसके अनुसार फॉर्म एओसी–2 में स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

स्वतंत्र निर्देशकों द्वारा घोषणा संबंधी विवरण

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों – श्रीमती अंजलि राय और श्री अनिल कुमार ओझा ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) की अपेक्षाएं पूरी करने संबंधी घोषणा क्रमशः दिनांक 09.09.2021 और 13.09.2021 को प्रस्तुत कीं।

स्वतंत्र निदेशक की निष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव (दक्षता सहित) के संदर्भ में बोर्ड के मत का विवरण

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक श्री अनिल कुमार ओझा और श्रीमती अंजलि राय को अभी हाल में, 17.09.2021 को कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है। इन दोनों को अभी भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान के स्वतंत्र निदेशक डेटा बैंक के लिये ऑनलाईन निपुणता स्व आकलन परीक्षा क्वालिफाई करनी है।

बोर्ड का मत है कि स्वतंत्र निदेशकों– श्री अनिल कुमार ओझा और सुश्री अंजलि राय के पास, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और बाद में बनाये गये विनियमों के तहत निर्धारित (व्यवहार्य सीमा तक) निष्ठा, विशेषज्ञता, अनुभव और दक्षता है।

बोर्ड और निर्देशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधानों के अनुपालन से छूट दी गयी है। इसलिये एक सरकारी कंपनी होने के नाते इस प्रकार का विवरण निदेशक रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

निदेशक

श्री मधुप व्यास 04.07.2019 तक कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। 05.07.2019 को सुश्री पद्मिनी सिंगला को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया। सुश्री रिंकू धुग्गा 01.01.2021 को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनायी गयीं और वे 30.03. 2021 तक इस पद पर रहीं। 31.03.2021 को श्री सत्य गोपाल को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया और इसके बाद से वे इस पद पर हैं।

श्री मुकेश प्रसाद 05.07.2019 तक कंपनी के मनोनीत निदेशक रहे। 18.07.2019 को श्री डी. वर्मा मनोनीत निदेशक बनाये गये और वे 23.04.2020 तक इस पद पर रहे। 24.04.2020 से 08.09.2020 तक श्री रवि दधीच मनोनीत निदेशक रहे। उनके बाद 09.09.2020 से 27.07.2021 तक श्री जे.के.जैन ने यह पद संभाला। 28.07.2021 से श्री अजीमुल हक कंपनी के मनोनीत निदेशक हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान श्री अजीत केशव राणाडे कंपनी के स्वतंत्र निदेशक रहे। पांच वर्ष का उनका कार्यकाल 30.05.2021 को पूरा हुआ।

17.09.2021 को डॉ. संजय कुमार लाल की नियुक्ति कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में हुई।

श्री अनिल कुमार ओझा और श्रीमती अंजलि राय की नियुक्ति कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में 17.09.2021 को हुई है।

सरकारी कंपनियों के लिये अधिसूचित छूट के अनुसार किसी भी निदेशक की रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्ति अपेक्षित नहीं थी।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन

कंपनी में निर्धारित अनुपालनों के लिये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ लेखा परीक्षण समिति है। नियंत्रण प्रणाली में आंतरिक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं की समीक्षा तथा वित्तीय खातों और नीतियों की समीक्षा शामिल है।

कंपनी के संचालन और गतिविधियों पर वित्तीय नियंत्रण के लिये और निर्णय लेने की सुगमता के लिये शक्तियां व्यापक रूप से सौंपी गयी हैं। आंतरिक लेखा परीक्षण सनदी लेखाकारों की एक कंपनी द्वारा छमाही आधार पर किया जाता है और इसकी रिपोर्ट की समीक्षा लेखा परीक्षण समिति द्वारा की जाती है।

निदेशकों के दायित्व वक्तव्य

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के तहत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के निदेशक पुष्टि करते हैं किः

क) वार्षिक खातों की तैयारी में, बड़े बदलावों के लिये समुचित स्पष्टीकरण के साथ व्यवहार्य लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।

ख) निर्देशकों ने तर्कसंगत और विवेकपूर्ण लेखांकन नीतियां चुनी और अपनायीं तथा निर्णय और अनुमान किये जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ और हानि की सच्ची और निष्पक्ष जानकारी देते हैं।

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा किसी धोखाधड़ी और अनियमितताओं का पता लगाने और रोकथाम के लिये कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने पर समुचित ध्यान दिया है।

घ) निदेशकों ने चालू प्रतिष्ठान के आधार पर वार्षिक लेखा की तैयारी की है। और

ङ) सभी व्यवहार्य कानूनों के अनुपालन के लिये निर्देशकों ने समुचित प्रणालियां तय की हैं और इन प्रणालियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया है।

लेखाकार

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये कंपनी के वैधानिक लेखाकारों के रूप में मेसर्स बी.आर.माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 001035एन/एन500050) को नियुक्त किया गया।

लेखा परीक्षण अवलोकन

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये कंपनी के लेखा पर वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा लगायी शर्तों पर प्रबंधन के जवाब इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–I में संलग्न हैं।

वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये कंपनी के वित्तीय विवरणों पर, एकल और समेकित दोनों आधार पर टिप्पणी दी है। ये टिप्पणियां इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–II में संकलित हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के जवाब रिपोर्ट के अनुलग्नक–III में रखे गये हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षण

कंपनी ने मेसर्स पी.पी.अग्रवाल और कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, दिल्ली को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के संदर्भ में, अन्य संबंधित नियमों के साथ पठित, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये कंपनी के वार्षिक सचिवालयीय लेखा परीक्षण का काम सौंपा है। इस संबंध में सचिवालयीय लेखा परीक्षक द्वारा जारी फॉर्म एमआर–3 में सचिवालयीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट, अनुलग्नक–IV में संलग्न है। सचिवालयीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर प्रबंधन का जवाब इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–V में है।

लेखा परीक्षण समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों, इसके तहत अन्य नियमों के साथ पठित, के अनुसार अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद लेखा परीक्षण समिति को पुनर्गठित किया है। कंपनी की वर्तमान लेखा परीक्षण समिति के सदस्य हैं– सुश्री अंजलि राय, श्री अनिल कुमार ओझा और श्री अजीमुल हक।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी उपयोग तथा विदशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गमन

कंपनी किसी निर्माण या संबंधित गतिविधियों में संलग्न नहीं है, इसलिये ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी उपयोग संबंधी विवरण कंपनी पर लागू नहीं होता। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गमन भी नहीं हुआ।

सावधि जमा

कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया।

सामान्य रिजर्व

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के रिजर्व में किसी राशि का योग नहीं किया गया, सिवाय इसके कि करों के बाद निबल लाभ की 126.87 करोड़ रुपये की राशि अन्य इक्विटी में स्थानांतरित कर दी गयी, जैसा कि 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरण में स्पष्ट भी किया गया है।

वार्षिक रिटर्न उद्धरण

फॉर्म एमजीटी–9 में वार्षिक रिटर्न उद्धरण का विवरण में शामिल ब्योरा इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक–VI में संलग्न है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम की धारा 178 और इसके तहत नियमों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति पुनर्गठित की गयी है। कंपनी की वर्तमान नामांकन और पारिश्रमिक समिति में श्री अनिल कुमार ओझा, सुश्री अंजलि राय और श्री अजीमुल हक हैं। लेकिन कंपनी कार्य मंत्रालय की 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (ई) के प्रावधानों के अनुपालन से छूट दी गयी है। इसलिये इन विवरणों को निदेशक रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

वर्ष के दौरान अनुषंगी , संयुक्त उपक्रम या सहयोगी कंपनियां बनने वाली/अलग होने वाली कंपनियों के नाम

समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी की कोई भी अनुषंगी कंपनी नहीं थी। इस दौरान कोई भी कंपनी अनुषंगी, संयुक्त उपक्रम या असोसिएट कंपनी नहीं बनी। इसकी असोसिएट कंपनियों का ब्योरा इस प्रकार है:

क्र. सं	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/ सब्सिडियरी/ एसोसिएट	शेयर प्रतिशत
1.	इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) हिमाद्री, राजघाट पावर हाउस परिसर, नई दिल्ली–110002	यू40103डीएल2001 एसजीसी 111530	एसोसियेट	19.01%
2.	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल) शक्तिसदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002	यू40103डीएल2001 एसजीसी 111529	एसोसियेट	6.58%

3.	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीएसईएस आरपीएल) बीएसईएस भवन नेहरू प्लेस, दिल्ली–110019	यू40103डीएल2001 पीएलसी 111527	एसोसियेट	49.00%
4.	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीएसईएस वाईपीएल) शक्ति किरण भवन, कड़कड़डूमा दिल्ली डीएल–110092	यू40103डीएल2001 पीएलसी 111525	एसोसियेट	49.00%
5.	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (टीपीडीडीएल) एनडीपीएल हाउस हडसन लाइन्स, किंग्स्वे कैंप, दिल्ली डीएल 110009	यू40103डीएल2001 पीएलसी 111526	एसोसियेट	49.00%
6.	इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 217 ए, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस–III नई दिल्ली–110020	यू37100डीएल2006पीएलसी 146456	एसोसियेट	50.00%

कंपनी सामाजिक दायित्व

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत कंपनी सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया। कंपनी की वर्तमान सीएसआर समिति में सुश्री अंजली राय, श्री अनिल कुमार ओझा और श्री अजीमुल हक सदस्य हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी की सीएसआर नीति के तहत, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर 93.98 लाख रुपए खर्च किए। हालांकि सीएसआर गतिविधियों पर यह व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान नहीं किया जा सका क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा जिन गतिविधियों पर यह राशि खर्च की जानी थी, उसका फैसला 09 मार्च 2020 को निदेशक मंडल की 96वीं बैठक में हो सका। यह राशि राजकीय प्रतिभा विद्यालय, सिविल लाइन्स में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए क्लासरूम परियोजना पर व्यय की जानी थी। इसके बाद कंपनी सीएसआर राशि का व्यय कोरोना महामारी को लेकर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण नहीं कर सकी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सीएसआर व्यय राशि का भुगतान शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कर दिया है।

वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें सीएसआर नीति के विकास और अन्य संबंधित विषयों की विस्तृत जानकारी शामिल है, अनुलग्नक–VI में संलग्न है।

समीक्षा वर्ष के दौरान संचालित बोर्ड बैठकों की संख्या

समीक्षागत वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की 6 बैठकें आयोजित की गई, जिनका ब्यौरा कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है, अनुलग्नक VII में संलग्न है।

आभारोक्ति

कंपनी के निदेशक शेयर धारकों, भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, विशेष रूप से विद्युत विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के सहयोग और समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा वैधानिक लेखाकारों, सचिवालयीय लेखाकारों और आंतरिक लेखा परीक्षकों से मिले रचनात्मक सुझावों के लिए भी आभारी हैं।

निदेशक मंडल बैंकर्स तथा डीटीएल, आईपीजीसीएल, बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल, आईईडब्ल्यूएमसीएल, कंपनी के परामर्श दाताओं और सलाहकारों के प्रति भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल कंपनी के कर्मचारियों की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं के लिए भी हृदय से आभारी है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह./–

(सत्य गोपाल)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

दिनांक : 17.09.2021

स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक–I

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

क. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए (एकल आधार) कंपनी के लेखा पर वैधानिक लेखाकारों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के जवाब।

क्र. सं.	टिप्पणी	प्रबंधन के जवाब
(i)	**(i) मान्य मत का आधार** समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के लिए कंपनी के टिप्पणी संख्या 5.1, 9.1, 12.1 और 15.2 में दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 में 3,32,639 लाख रुपए का ब्याज युक्त ऋण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से, डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकायों के भुगतान के लिए लिया था, इसे 31 मार्च 2014 से दस समान किस्तों में चुकाया जाना था। कंपनी ने 31 मार्च 2020 तक मूलधन और ब्याज के 2,66,111.20 लाख रुपए और 1,95,578.06 लाख रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। दूसरी तरफ कंपनी ने 3,32,639 लाख रुपए की राशि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त गैर वापसी योग्य वित्तीय सहायता माना है। 3,32,639 लाख रुपए की मूल राशि और 31 मार्च 2020 तक 1,95,578.06 लाख रुपए की बकाया ब्याज राशि (पिछले वर्ष 1,63,977.36 लाख रुपए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वापसी योग्य दर्शायी गई है, जो दिल्ली सरकार के अनुमोदन पर है। इसी राशि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य वर्तमान देयता के रूप में भी दर्शाया गया है।	वित्तीय विवरणों की संबंधित टिप्पणियों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाये का भुगतान डीपीसीएल की देयता नहीं है और डीपीसीएल ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के विघटन की तिथि पर बोर्ड से यह देयता नहीं ली थी, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निर्देशों के अनुसार डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाये का भुगतान डीपीसीएल ने, दिल्ली सरकार द्वारा विशेष रूप से इसी उद्देश्य से दिए गए ऋण से कर दिया था। दूसरी तरफ जब कंपनी ने डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाये को अपनी देयता नहीं माना है, तो दिल्ली सरकार को चुकाये जाने वाले ऋण की 3,32,639 लाख रुपए की राशि, 1,95,576.06 लाख (31 मार्च 2020 तक) रुपए की राशि लेखा में निष्प्रभावी कर दी गई थी। इस सदर्भ में कंपनी दिल्ली सरकार के बिजली विभाग से कंपनी के नाम दर्ज ऋण को रद्द कर देने और इस मामले को भारत सरकार के समक्ष रखने का अनुरोध करती आ रही है क्योंकि डीईएसयू अवधि के लिए सीपीएसयू बकाये की देयता भारत सरकार द्वारा पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि पूर्व डीईएसयू भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार में था। यहां यह गैरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह मामला भारत सरकार के समक्ष उठाया है और उस ऋण को रद्द कर देने का अनुरोध किया है जो दिल्ली सरकार के खिलाफ बकाया दिखाया गया है। इसलिए देयता की प्रकृति को देखते हुए, बताई गई परिस्थितियों में डीपीसीएल के हिसाब–किताब में दर्शाई गई राशि का लेखांकन सही और समुचित है, क्योंकि यह राशि कंपनी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य है।

(ii)

(ii) समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियों के अनुसार आस्तियों और देयताओं के तहत पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड से स्थानांतरित निम्नलिखित राशि 2002 से विभिन्न बिजली विरतरणध्पारेषणध्उत्पादन कंपनियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की पुष्टि और समायोजन के अधीन है।

टिप्पणी संख्या	शीर्षक	उपशीर्षक	निकासी / जमा	राशि (लाख रुपए में)	
				31.3.2020	31.3.2019
देयताएं					
13.1	विभिन्न जमाकर्ता गैर वर्तमान देयताएं	विभिन्न जमाकर्ता	जमा	16,933.98	16,933.98
14	अन्य वित्तीय देयताएं गैर वर्तमान देयताएं	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	जमा	1,57,708.99	1,57,708.99
आस्तियां					
6	अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	डूबे और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	जमा	11,523,97	11,523,97
6	अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	डीवीवी के विघटन के पहले की अवधि की बसूली योग्य बिजली बकाया	निकासी	44,653.30	44,653.30
8	अन्य वित्तीय आस्तियां वर्तमान आस्तियां	अग्रिम– अन्य	निकासी	45,718.25	45,935.68
9.2	अन्य वर्तमान आस्तियां	वसूली योग्य अग्रिम	निकासी	8,116.10	8,116.10

वित्तीय विवरणों की संबंधित टिप्पणियों में स्पष्टीकरण के अनुसार दर्ज विषयवस्तु। आरंभिक शेष का समायोजन डीपीसीएल द्वारा किया जा चुका है। इसके अलावा डीपीसीएल द्वारा किए गए समायोजन की फाइल, परामर्शदाता सीए फर्म की रिपोर्ट के साथ दिल्ली सरकार को, समिति के गठनध्सदस्यों के मनोनयन के लिए अग्रसरित कर दी गई है। समिति में डीपीसीएल के निदेशक मंडल के निर्णयानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त और बिजली विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति से प्राप्त सिफारिशों और निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

उपरोक्त के संदर्भ में समायोजन का लंबित परिणाम, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर यदि कोई वित्तीय प्रभाव हो तो वह निर्धारण योग्य नहीं है।

ख. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए (समेकित आधार) कंपनी के लेखा पर वैधानिक लेखाकारों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के जवाब।

क्र. सं.	टिप्पणी	प्रबंधन के जवाब
(क)	**मान्य मत का आधार**	
(i)	**कंपनी के मामले में** समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के लिए कंपनी के टिप्पणी संख्या 5.1, 9.1, 12.1 और 15.2 में दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 में 3,32,639 लाख रुपए का ब्याज युक्त ऋण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से, डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाया के भुगतान के लिए लिया था, इसे 31 मार्च 2014 से दस समान किस्तों में चुकाया जाना था। कंपनी ने 31 मार्च 2020 तक मूलधन और ब्याज के क्रमशरू 2,66,111.20 लाख रुपए और 1,95,578.06 लाख रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। दूसरी तरफ कंपनी ने 3,32,639 लाख रुपए की राशि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त गैर वापसी योग्य वित्तीय सहायता माना है। 3,32,639 लाख रुपए की मूल राशि और 31 मार्च 2020 तक 1,95,578.06 लाख रुपए की बकाया ब्याज राशि (पिछले वर्ष 1,63,977.36 लाख रुपए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वापसी योग्य दर्शायी गई है, जो दिल्ली सरकार के अनुमोदन पर है। इसी राशि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य वर्तमान देयता के रूप में भी दर्शाया गया है।	वित्तीय विवरणों की संबंधित टिप्पणियों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाये का भुगतान डीपीसीएल की देयता नहीं है और डीपीसीएल ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के विघटन की तिथि पर बोर्ड से यह देयता नहीं ली थी, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निर्देशों के अनुसार डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाये का भुगतान डीपीसीएल ने, दिल्ली सरकार द्वारा विशेष रूप से इसी उद्देश्य से दिए गए ऋण से कर दिया था। दूसरी तरफ जब कंपनी ने डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाये को अपनी देयता नहीं माना है, तो दिल्ली सरकार को चुकाये जाने वाले ऋण की 3,32,639 लाख रुपए की राशि, 1,95,576.06 लाख (31 मार्च 2020 तक) रुपए की राशि लेखा में निष्प्रभावी कर दी गई थी। इस सदर्भ में कंपनी दिल्ली सरकार के बिजली विभाग से कंपनी के नाम दर्ज ऋण को रद्द कर देने और इस मामले को भारत सरकार के समक्ष रखने का अनुरोध करती आ रही है क्योंकि डीईएसयू अवधि के लिए सीपीएसयू बकाये की देयता भारत सरकार द्वारा पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि पूर्व डीईएसयू भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार में था। यहां यह गैरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह मामला भारत सरकार के समक्ष उठाया है और उस ऋण को रद्द कर देने का अनुरोध किया है जो दिल्ली सरकार के खिलाफ बकाया दिखाया गया है। इसलिए देयता की प्रकृति को देखते हुए, बताई गई परिस्थितियों में डीपीसीएल के हिसाब–किताब में दर्शाई गई राशि का लेखांकन सही और समुचित है, क्योंकि यह राशि कंपनी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य है।

(ii) समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियों के अनुसार आस्तियों और देयताओं के तहत पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड से स्थानांतरित निम्नलिखित राशि 2002 से विभिन्न बिजली विरतरणध्पारेषणध्उत्पादन कंपनियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की पुष्टि और समायोजन के अधीन है।

टिप्पणी संख्या	शीर्षक	उपशीर्षक	निकासी / जमा	राशि (लाख रुपए में)	
				31.3.2020	31.3.2019
देयताएं					
13.1	विभिन्न जमाकर्ता गैर वर्तमान देयताएं	विभिन्न जमाकर्ता	जमा	16,933.98	16,933.98
14	अन्य वित्तीय देयताएं गैर वर्तमान देयताएं	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	जमा	1,57,708.99	1,57,708.99
आस्तियां					
6	अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	डूबे और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	जमा	11,523,97	11,523,97
6	अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	डीवीवी के विघटन के पहले की अवधि की बसूली योग्य बिजली बकाया	निकासी	44,653.30	44,653.30
8	अन्य वित्तीय आस्तियां वर्तमान आस्तियां	अग्रिम–अन्य	निकासी	45,718.25	45,935.68
9.2	अन्य वर्तमान आस्तियां	वसूली योग्य अग्रिम	निकासी	8,116.10	8,116.10

वित्तीय विवरणों की संबंधित टिप्पणियों में स्पष्टीकरण के अनुसार दर्ज विषयवस्तु। आरंभिक शेष का समायोजन डीपीसीएल द्वारा किया जा चुका है। इसके अलावा डीपीसीएल द्वारा किए गए समायोजन की फाइल, परामर्शदाता सीए फर्म की रिपोर्ट के साथ दिल्ली सरकार को, समिति के गठन/सदस्यों के मनोनयन के लिए अग्रसरित कर दी गई है। समिति में डीपीसीएल के निदेशक मंडल के निर्णयानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त और बिजली विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति से प्राप्त सिफारिशों और निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

उपरोक्त के संदर्भ में समायोजन का लंबित परिणाम, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर यदि कोई वित्तीय प्रभाव हो तो वह निर्धारण योग्य नहीं है।

ख)	**एसोसिएट कंपनियों के संदर्भ में–**	
1.	**दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल)**	
	1. कंपनी ने मध्यस्थताध्अदालती मामले, संपत्ति कर/आयकर और अन्य दावों से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों में विभिन्न आकस्मिक देयताओं को दर्शाया है। कंपनी ने इंड एएस – 37 द्वारा अपेक्षित 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों' द्वारा अपेक्षित संभावित बहिर्गमन का निर्धारण नहीं किया है। 2. व्यापार प्राप्य, व्यापार भुगतान योग्य, अग्रिम और अन्य पक्षों से प्राप्त/भुगतान योग्य पुष्टि और समायोजन के अधीन हैं (टिप्पणी संख्या 40 देखें)। यह अधिशेष 2010 से बकाया हैं। इसके असर का निर्धारण नहीं किया गया है। 3. कंपनी एक नोडल एजेंसी के रूप में एसएलडीसी/यूआई एनर्जी के कार्य का निष्पादन कर रही है। इनके बैंक खाते कंपनी के नाम पर हैं लेकिन इन्हें वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है। कंपनी ने एक नोडल एजेंसी के रूप में सावधि जमा पर 1482.07 लाख रुपए का ब्याज अर्जित किया है जिस पर 148.21 लाख रुपए का टीडीएस काटा गया है। यूआई एनर्जी के कामकाज का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। 4. वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लिए वास्तव में भुगतान किए गए/आकलन किए गए आयकर की पुनरू गणना के आधार पर बिजली वितरण कंपनियों–डिस्कॉम्स से संदिग्ध वसूली राशि के गैर प्रावधान के संदर्भ में, एपीटीईएल के आदेश के अनुरूप लाइसेंस व्यवसाय से अलग प्राप्त आमदनी पर, आय कर को छोड़कर, राशि डिस्कॉम्स से वसूली योग्य है।	कंपनी इंड एएस 28 में निर्दिष्ट इक्विटी विधि के अनुसार समेकित लेखा का प्रबंधन करती है और इसके अनुसार, एसोसियेट कंपनियों के इक्विटी शेयरों में कंपनी द्वारा निवेश मूल्य के अलावा एसोसियेट कंपनियों के लाभों में केवल मूल कंपनी के शेयर शामिल किए जाते हैं। इसलिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरण के क्वालीफिकेशंस पर आधारित नहीं हैं। हालांकि उपर्युक्त बयान के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह के बिना यह स्पष्ट किया जाता है कि यूआई के रिकॉर्डस प्रबंधित रखे गए हैं। इन पर समायोजन की जरूरत थी जो अभी प्रक्रियाधीन है। परामर्शदाता का मत भी इस मामले में मांगा गया है कि किस तरह यूआई निधि डीटीएल की लेखाबही में शामिल की जा सकती है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
ह./–
(सत्य गोपाल)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

दिनांक : 17.09.2021
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक–II

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महा लेखाकार

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत, स्वतंत्र लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए उतरदायी है। दिनांक 30 दिसंबर 2020 की लेखा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा यह कार्य किया जा चुका है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की ओर से दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड की 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षण, कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत किया है। यह पूरक लेखा परीक्षण, वैधानिक लेखा परीक्षक के कार्य दस्तावेजों तक किसी पहुंच के बिना, स्वतंत्र रूप से किया गया है और वैधानिक लेखा परीक्षक तथा कंपनी कर्मियों की पूछताछ तथा कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के परीक्षण तक सीमित है।

अपने पूरक लेखा परीक्षण के आधार पर मैं अधिनियम की 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को रेखांकित करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए जरूरी हैं:

क. तुलन पत्रक

आस्तियां

नकदी और नकदी समतुल्य (टिप्पणी 6)– 9.84 लाख रुपए

1. डीपीसीएल ने अपनी लेखांकन नीति संख्या 10 और इंड एएस 7 की अपेक्षा का उल्लंघन करते हुए 35.01 करोड़ रुपए मूल्य के पांच सावधि जमा शामिल किए हैं, जो नकदी और नकदी समतुल्य के बदले बैंक अधिशेष और जमा के तहत, तुलन पत्रक की तिथि के तीन महीने के अंदर परिपक्वता प्राप्त करने वाले हैं।

   इससे नकदी और नकदी समतुल्य की 35.01 करोड़ रुपए की कम बयानी हुई है और नकदी प्रवाह विवरण में निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह की 35.01 करोड़ रुपए की अधिक बयानी हुई है।

अन्य– गैर वर्तमान आस्तियां (टिप्पणी 5)

वसूली योग्य बकाया–असुरक्षित वसूली योग्य

डीवीबी के विघटन से पहले की अवधि का वसूली योग्य बिजली बकाया 446.53 करोड़ रुपए

टिप्पणी नंबर– 5.2

2. कंपनी ने लेखा टिप्पणियों में यह स्पष्ट नहीं किया कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के विघटन से पहले के बकाया के संबंध में उच्च न्यायालय (ललित गुलाटी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) में सरकार की रिट याचिका खारिज हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिनांक 16/19 मई 2008 की अधिसूचना का लाभ विस्तारित करने का निर्देश दिया गया, जिसमें कहा गया कि 'डिस्कॉम्स को निजी बिजली उपभोक्ताओं के संदर्भ में डीईएसयू/डीवीबी अवधि के दौरान बिजली बिक्री पर मूल बकाया निरस्त और बिलंब भुगतान सरचार्ज माफ करने का निर्देश दिया गया। किसी भी प्रकार के और किसी भी फोरम पर लंबित कानूनू मामले को छोड़कर।' दिल्ली सरकार/डीपीसीएल ने इस आदेश के खिलाफ अपील की, जिसका निर्णय लंबित है।

वित्तीय विवरणों का टिप्पणी संबंधी हिस्सा

3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4) और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) विनियम 2014 के अनुसार डीपीसीएल को कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करनी है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 172 के अनुसार यदि कंपनी अध्याय 11 (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, और जिसके लिए किसी विशेष दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, तो कंपनी और इसके प्रत्येक अधिकारी, जो चूक के दोषी हैं, जुर्माने के भागीदार होंगे, जो किसी भी स्थिति में 50 हजार रुपए से कम नहीं होगा और जिसे बढ़ाकर पांच लाख रुपए तक किया जा सकेगा। कंपनी के पास 31 मार्च 2020 को केवल एक स्वतंत्र निदेशक था। प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी ये तथ्य लेखा टिप्पणियों में उजागर नहीं किये गये हैं।

आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (टिप्पणी संख्या 26)

कंपनी पर 58.01 करोड़ रुपए का ऋण नहीं दर्शाने के खिलाफ दावे

4. इंड एएस 39 की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा टिप्पणियों में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रत्येक आकस्मिक देयता की प्रकृति के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए। लेकिन डीपीसीएल ने इंड एएस 39 का उल्लंघन करते हुए आकस्मिक देयता के तहत 19 दावों के संबंध में देयता की प्रकृति का कोई विवरण नहीं दिया था।

कृते नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की ओर से
ह./–
(समरकांत ठाकुर)
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षण) दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.03.2021

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 143(6)(बी), धारा 129(4) के साथ पठित, के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए डीपीसीएल से समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुरूप करना कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। इस अधिनियम की धारा 139 (5), धारा 129 (4) के साथ पठित, के अंतर्गत नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों पर धारा 143, धारा 129 (4) के साथ पठित के तहत अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह मत इस अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुरूप होना चाहिए। लेखा परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30 दिसंबर 2020 के द्वारा यह दायित्व पूरा किया गया है।

मैंने, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा–परीक्षण अधिनियम की धारा 143 (6) (ए), धारा 129 (4) के साथ पठित के तहत किया है। हमने दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड और इसकी सहयोगी इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड और दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का समेकित लेखा परीक्षण किया है। हमने अन्य चार सहयोगी कंपनियों बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के, स्थिति पर समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया है, क्योंकि अधिनियम की धारा 139 (5) और धारा 1434 (6) (ए) इन कंपनियों पर, प्राइवेट कंपनी होने के नाते वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और पूरक लेखा परीक्षण के संचालन के लिए लागू नहीं है। इसके अनुसार लेखा नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक ने न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इन कंपनियों का पूरक लेखा परीक्षण कराया है। यह पूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से किया गया है, वैधानिक लेखा परीक्षकों के दस्तावेजों तक कोई पहुंच बनाए बिना, और यह वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के परीक्षण तक सीमित है।

अपने पूरक लेखा परीक्षण के आधार पर मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय, अधिनियम की धारा 143 (6) (बी), धारा 129 (4) के साथ पठित, के तहत उठाना चाहूंगा, जिन पर मेरा ध्यान गया है और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षण रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए जरूरी हैः

क. तुलन पत्रक

आस्तियां

नकदी और नकदी समतुल्य (टिप्पणी 6)– 9.84 लाख रुपए

1. डीपीसीएल ने अपनी लेखांकन नीति संख्या 10 और इंड एएस 7 की अपेक्षा का उल्लंघन करते हुए 35.01 करोड़ रुपए मूल्य के पांच सावधि जमा शामिल किए हैं, जो नकदी और नकदी समतुल्य के बदले बैंक अधिशेष और जमा के तहत, तुलन पत्रक की तिथि के तीन महीने के अंदर परिपक्वता प्राप्त करने वाले हैं।

   इससे नकदी और नकदी समतुल्य में 35.01 करोड़ रुपए की कम बयानी तथा बैंक अधिशेष और जमा में इतनी ही राशि की अधिक बयानी हुई है।

   इसके अलावा, नकदी और नकदी समतुल्य की 35.01 करोड़ रुपए की कम बयानी और नकदी प्रवाह विवरण में निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह की 35.01 करोड़ रुपए की अधिक बयानी हुई है।

   अन्य– गैर वर्तमान आस्तियां (टिप्पणी 5)

   वसूली योग्य बकाया–असुरक्षित वसूली योग्य

   डीवीबी के विघटन से पहले की अवधि का वसूली योग्य बिजली बकाया 446.53 करोड़ रुपए

   टिप्पणी नंबर– 5.2

2. कंपनी ने लेखा टिप्पणियों में यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के विघटन से पहले के बकाया के संबंध में उच्च न्यायालय (ललित गुलाटी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) में सरकार की रिट याचिका खारिज हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिनांक 16/19 मई 2008 की अधिसूचना का लाभ विस्तारित करने का निर्देश दिया गया, जिसमें कहा गया कि 'डिस्कॉम्स को निजी बिजली उपभोक्ताओं के संदर्भ में डीईएसयू/डीवीबी अवधि के दौरान बिजली बिक्री पर मूल बकाया निरस्त और बिलंब भुगतान सरचार्ज माफ करने का निर्देश दिया गया। किसी भी प्रकार के और किसी भी फोरम पर लंबित कानूनी मामले को छोड़कर।' दिल्ली सरकार/ डीपीसीएल ने इस आदेश के खिलाफ अपील की, जिसका निर्णय लंबित है।

वित्तीय विवरणों का टिप्पणी में शामिल हिस्सा

3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4) और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) विनियम 2014 के अनुसार डीपीसीएल को कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करनी है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 172 के अनुसार यदि कंपनी अध्याय XI (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, और जिसके लिए किसी विशेष दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, तो कंपनी और इसके प्रत्येक अधिकारी, जो चूक के दोषी हैं, जुर्माने के भागीदार होंगे, जो किसी भी स्थिति में 50 हजार रुपए से कम नहीं होगा और जिसे बढ़ाकर पांच लाख रुपए तक किया जा सकेगा। कंपनी के पास 31 मार्च 2020 को केवल एक स्वतंत्र निदेशक था। प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी ये तथ्य लेखा टिप्पणियों में उजागर नहीं किये गये हैं।

आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (टिप्पणी संख्या 26)

कंपनी पर 58.01 करोड़ रुपए का ऋण नहीं दर्शाने के खिलाफ दावे

4. इंड एएस 39 की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा टिप्पणियों में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रत्येक आकस्मिक देयता की प्रकृति के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए। लेकिन डीपीसीएल ने इंड एएस 39 का उल्लंघन करते हुए आकस्मिक देयता के तहत 19 दावों के संबंध में देयता की प्रकृति का कोई विवरण नहीं दिया था।

कृते और नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की ओर से
ह./–
(समरकांत ठाकुर)
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षण) दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.03.2021

अनुलग्नक–III

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर कंपनी प्रबंधन का जवाब

क्र.सं	टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
1	**क. तुलन पत्रक** **आस्तियां** **नकदी और नकदी समतुल्य (टिप्पणी 6)–9.84 लाख** डीपीसीएल ने अपनी लेखांकन नीति संख्या 10 और इंड एएस 7 की अपेक्षा का उल्लंघन करते हुए 35.01 करोड़ रुपए मूल्य के पांच सावधि जमा शामिल किए हैं, जो नकदी और नकदी समतुल्य के बदले बैंक अधिशेष और जमा के तहत, तुलन पत्रक तिथि के तीन महीने के अंदर परिपक्वता प्राप्त करने वाले हैं। इससे नकदी और नकदी समतुल्य में 35.01 करोड़ रुपए की कम बयानी तथा बैंक अधिशेष और जमा में इतनी ही राशि की अधिक बयानी हुई है। इसके अलावा, नकदी और नकदी समतुल्य की 35.01 करोड़ रुपए की कम बयानी और नकदी प्रवाह विवरण में निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह की 35.01 करोड़ रुपए की अधिक बयानी हुई है।	डीपीसीएल की लेखांकन नीति के अनुसार 'तुलन पत्रक में नकदी और नकदी समतुल्य तथा बैंक अधिशेष और जमा में बैंकों में जमा और पास में उपलब्ध नकदी तथा तीन महीने से कम अवधि की वास्तविक परिपक्वता, जिनमें मूल्य परिवर्तन का जोखिम नहीं के बराबर है, के साथ लघु अवधि जमा शामिल हैं।' तीन महीने से अधिक की वास्तविक परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा सहित बैंक अधिशेष अलग से बैंक अधिशेष के तहत दर्शाए गए हैं। इंड एएस 7 का पैरा 7 आगे स्पष्ट करता है कि 'निवेश या अन्य उद्देश्यों के बदले लघु अवधि की नकदी प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए नकदी और नकदी समतुल्य रखे गए हैं, इसलिए सामान्य रूप से कोई निवेश, नकदी समतुल्य तभी माना जाता है जब इसकी लघु परिपक्वता अवधि हो यानी अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या इससे भी कम। जैसा कि ऊपर हमारी लेखांकन नीति और इंड एएस 7 के अनुसार स्पष्ट किया गया है, कि तीन महीने से कम अवधि की वास्तविक परिपक्वता वाले सावधि जमा नकदी और नकदी समतुल्य शीर्षक के तहत शामिल किए जाएंगे। इसलिए 35.01 करोड़ रुपए के सावधि जमा को वित्तीय वर्ष 2019 –20 के वित्तीय विवरण में केवल नकदी और नकदी समतुल्य के रूप में वर्गीकृत किये जाने की जरूरत है। इसे अगले वित्तीय वर्ष यानी 2020–21 में नकदी और नकदी समतुल्य में रखा जाएगा। 31 मार्च 2020 को कुल सावधि जमा 1216.34 करोड़ रुपए का था और उपर्युक्त सावधि जमा, कुल सावधि जमा के 2.88 प्रतिशत से भी कम है। जिस पुनवर्गीकरण का सुझाव दिया गया है उसका वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और कंपनी की लाभप्रदता पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ेगा।

2	**अन्य–गैर वर्तमान आस्तियां (टिप्पणी 5)** **वसूली योग्य बकाया– असुरक्षित वसूली संभावित** **दिल्ली विद्युत बोर्ड के विघटन से पहले की अवधि का वसूली योग्य बिजली बकाया–446.53 करोड़ रुपए** **टिप्पणी–संख्या–5.2** कंपनी ने लेखा टिप्पणियों में यह स्पष्ट नहीं किया कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के विघटन से पहले के बकाया के संबंध में उच्च न्यायालय (ललित गुलाटी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) में सरकार की रिट याचिका खारिज हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिनांक 16ध्19 मई 2008 की अधिसूचना का लाभ विस्तारित करने का निर्देश दिया गया, जिसमें कहा गया कि 'डिस्कॉम्स को निजी बिजली उपभोक्ताओं के संदर्भ में डीईएसयूध्डीवीबी अवधि के दौरान बिजली बिक्री पर मूल बकाया निरस्त और बिलंब भुगतान सरचार्ज माफ करने का निर्देश दिया गया। किसी भी प्रकार के और किसी भी फोरम पर लंबित कानूनी मामले को छोड़कर।' दिल्ली सरकारध्डीपीसीएल ने इस आदेश के खिलाफ अपील की, जिसका निर्णय लंबित है।	यह आश्वस्त किया जाता है कि ये तथ्य वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरणों की लेखा टिप्पणियों में दे दिए जाएंगे।
3.	**वित्तीय विवरणों का टिप्पणी के संबंधित हिस्सा** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4) और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) विनियम 2014 के विनियम 4 के अनुसार डीपीसीएल को कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करनी है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 172 के अनुसार यदि कंपनी अध्याय 11 (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, और जिसके लिए किसी विशेष दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, तो कंपनी और इसके प्रत्येक अधिकारी, जो चूक के दोषी हैं, जुर्माने के भागीदार होंगे, जो किसी भी स्थिति में 50 हजार रुपए से कम नहीं होगा और जिसे बढ़ाकर पांच लाख रुपए तक किया जा सकेगा। कंपनी के पास 31 मार्च 2020 को केवल एक स्वतंत्र निदेशक था। प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी ये तथ्य लेखा टिप्पणियों में उजागर नहीं किये गये हैं।	यह फिर से स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासनिक अनुमोदनों के अभाव में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की जा सकी। इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार से पहले ही कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (4) की अपेक्षा के अनुरूप एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का अनुरोध किया जा चुका था। यह बताया गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नियुक्त किए जाने वाले दो स्वतंत्र निदेशकों में से एक स्वतंत्र निदेशक श्री अजीत केशव राणाडे की नियुक्ति पहले ही कंपनी के बोर्ड में 31 मई 2016 को हो चुकी थी। हालांकि एक अन्य स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विचाराधीन है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दो स्वतंत्र निदेशक नहीं रखने के लिए कंपनी के खिलाफ चूकिं कोई नोटिस या कार्यवाही शुरू नहीं हुई, इसलिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की अनुमोदन तिथि पर या अभी तक कोई वर्तमान या आकस्मिक देयता नहीं थी। इसलिए लेखा में कथित जुर्माने की राशि दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिस पर कि लेखा परीक्षण टीम ने गौर किया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी विधान तथ्य के

		वैधानिक प्रावधान किसी कंपनी को कथित चूक के लिए जुर्माने या दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाते हैं, जब तक कि कथित चूक का स्वतः संज्ञान संबंधित वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा न लिया गया हो और कंपनी को कारण बताओ नोटिस या कथित चूक के लिए जुर्माना/दंड की मांग जारी न की गई हो। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कंपनी अधिनियम या अन्य कानूनों को तहत अनेक वैधानिक प्रावधान है जो वित्तीय विवरणों पर लागू होते हैं, जिनमें कंपनी द्वारा किसी चूक की स्थिति में जुर्माने या दंड के संबंध में प्रावधान शामिल किए गए हैं। केवल कथित नियमों में शामिल प्रावधानों का अर्थ यह नहीं है कि कंपनी को जुर्माने/दंड के भुगतान के लिए उत्तदायी बनाया जाए, जब तक कि उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में कथित चूक पर जुर्माना/दंड की वसूली के लिए कंपनी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही शुरू नहीं की जाती। इसलिए वित्तीय विवरणों की तिथि पर जुर्माने इत्यादि संबंधी न तो कोई वर्तमान देयता थी न ही कोई आकस्मिक देयता थी, जिसका स्पष्टीकरण या प्रावधान लेखा में किया जाना जरूरी होता। हालांकि इसका स्पष्टीकरण वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरणों में लेखा टिप्पणियों में कर दिया जाएगा।
4	**आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (टिप्पणी संख्या 26)** **कंपनी पर 58.01 करोड़ रुपए का ऋण नहीं दर्शाने के खिलाफ दावे** इंड एएस 39 की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा टिप्पणियों में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रत्येक आकस्मिक देयता की प्रकृति के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए। लेकिन डीपीसीएल ने इंड एएस 39 का उल्लंघन करते हुए आकस्मिक देयता के तहत 19 दावों के संबंध में देयता की प्रकृति का कोई विवरण नहीं दिया था।	इन मामलों में डीपीसीएल की देयता असंबद्ध है, इसके बावजूद कि अपीलीय अदालतों का फैसला डीपीसीएल के खिलाफ आया है। के. आर. जैन और अन्य के मामले में, सिविल अपील संख्या 4269/2006 के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए इन मामलों की देयता संबंधित डिस्कॉम्स की होगी। चूकिं अदालती फैसला डीपीसीएल के खिलाफ आया है इसलिए इन सभी मामलों में अपील, अपीलीय न्यायालयों में दायर कर दी गई है। इसके अलावा विवाद के तहत देयता डीपीसीएल से नहीं जुड़ी है और वास्तव में यह डिस्कॉम्स की मूल देयता है। हालांकि, यह आश्वस्त किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरणों की लेखा टिप्पणियों में प्रत्येक आकस्मिक देयता का संक्षिप्त ब्यौरा दे दिया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी), धारा 129(4) के साथ पठित, के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां

क्र. सं	टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
1	**ए. तुलन पत्रक** **आस्तियां** **नकदी और नकदी समतुल्य (टिप्पणी 6)–9.84 लाख** डीपीसीएल ने अपनी लेखांकन नीति संख्या 10 और इंड एएस 7 की अपेक्षा का उल्लंघन करते हुए 35.01 करोड़ रुपए मूल्य के पांच सावधि जमा शामिल किए हैं, जो नकदी और नकदी समतुल्य के बदले बैंक अधिशेष और जमा के तहत, तुलन पत्रक तिथि के तीन महीने के अंदर परिपक्वता प्राप्त करने वाले हैं। इससे नकदी और नकदी समतुल्य में 35.01 करोड़ रुपए की कम बयानी तथा बैंक अधिशेष और जमा में इतनी ही राशि की अधिक बयानी हुई है। इसके अलावा, नकदी और नकदी समतुल्य की 35.01 करोड़ रुपए की कम बयानी और नकदी प्रवाह विवरण में निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह की 35.01 करोड़ रुपए की अधिक बयानी हुई है।	डीपीसीएल की लेखांकन नीति के अनुसार 'तुलन पत्रक में नकदी और नकदी समतुल्य तथा बैंक अधिशेष और जमा में बैंकों में जमा और पास में उपलब्ध नकदी तथा तीन महीने से कम अवधि की वास्तविक परिपक्वता, जिनमें मूल्य परिवर्तन का जोखिम नहीं के बराबर है, के साथ लघु अवधि जमा शामिल हैं।' तीन महीने से अधिक की वास्तविक परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा सहित बैंक अधिशेष अलग से बैंक अधिशेष के तहत दर्शाए गए हैं।' इंड एएस 7 का पैरा 7 आगे स्पष्ट करता है कि 'निवेश या अन्य उद्देश्यों के बदले लघु अवधि की नकदी प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए नकदी और नकदी समतुल्य रखे गए हैं, इसलिए सामान्य रूप से कोई निवेश, नकदी समतुल्य तभी माना जाता है जब इसकी लघु परिपक्वता अवधि हो यानि अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या इससे भी कम।' जैसा कि ऊपर हमारी लेखांकन नीति और इंड एएस 7 के अनुसार स्पष्ट किया गया है, कि तीन महीने से कम अवधि की वास्तविक परिपक्वता वाले सावधि जमा नकदी और नकदी समतुल्य शीर्षक के तहत शामिल किए जाएंगे। इसलिए 35.01 करोड़ रुपए के सावधि जमा को वित्तीय वर्ष 2019–20 के वित्तीय विवरण में केवल नकदी और नकदी समतुल्य के रूप में वर्गीकृत किये जाने की जरूरत है। इसे अगले वित्तीय वर्ष यानि 2020–21 में नकदी और नकदी समतुल्य में रखा जाएगा। 31 मार्च 2020 को कुल सावधि जमा 1216.34 करोड़ रुपए का था और उपर्युक्त सावधि जमा, कुल सावधि जमा के 2.88 प्रतिशत से भी कम है। जिस पुनवर्गीकरण का सुझाव दिया गया है उसका वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और कंपनी की लाभप्रदता पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ेगा।

2	**अन्य–गैर वर्तमान आस्तियां (टिप्पणी 5)** **वसूली योग्य बकाया– असुरक्षित वसूली संभावित** **दिल्ली विद्युत बोर्ड के विघटन से पहले की अवधि का वसूली योग्य बिजली बकाया–446.53 करोड़ रुपए** **टिप्पणी–संख्या–5.2** कंपनी ने लेखा टिप्पणियों में यह स्पष्ट नहीं किया कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के विघटन से पहले के बकाया के संबंध में उच्च न्यायालय (ललित गुलाटी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) में सरकार की रिट याचिका खारिज हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिनांक 16ध्19 मई 2008 की अधिसूचना का लाभ विस्तारित करने का निर्देश दिया गया, जिसमें कहा गया कि 'डिस्कॉम्स को निजी बिजली उपभोक्ताओं के संदर्भ में डीईएसयूध्डीवीबी अवधि के दौरान बिजली बिक्री पर मूल बकाया निरस्त और बिलंब भुगतान सरचार्ज माफ करने का निर्देश दिया गया। किसी भी प्रकार के और किसी भी फोरम पर लंबित कानूनी मामले को छोड़कर।' दिल्ली सरकारध्डीपीसीएल ने इस आदेश के खिलाफ अपील की, जिसका निर्णय लंबित है।	ये तथ्य वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरणों की लेखा टिप्पणियों में दे दिए जाएंगे।
3.	**वित्तीय विवरणों का टिप्पणी के संबंधित हिस्सा** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4) और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) विनियम 2014 के विनियम 4 के अनुसार डीपीसीएल को कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करनी है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 172 के अनुसार यदि कंपनी अध्याय XI (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, और जिसके लिए किसी विशेष दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, तो कंपनी और इसके प्रत्येक अधिकारी, जो चूक के दोषी हैं, जुर्माने के भागीदार होंगे, जो किसी भी स्थिति में 50 हजार रुपए से कम नहीं होगा और जिसे बढ़ाकर पांच लाख रुपए तक किया	यह फिर से स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासनिक अनुमोदनों के अभाव में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की जा सकी। इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से पहले ही कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (4) की अपेक्षा के अनुरूप एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का अनुरोध किया जा चुका था। यह बताया गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नियुक्त किए जाने वाले दो स्वतंत्र निदेशकों में से एक स्वतंत्र निदेशक श्री अजीत केशव राणाडे की नियुक्ति पहले ही कंपनी के बोर्ड में 31 मई 2016 को हो चुकी थी। हालांकि एक अन्य स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विचाराधीन है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दो स्वतंत्र निदेशक नहीं रखने के लिए कंपनी के खिलाफ चूकिं कोई नोटिस या कार्यवाही शुरू नहीं हुई, इसलिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की अनुमोदन तिथि पर या अभी तक कोई वर्तमान या आकस्मिक देयता नहीं थी। इसलिए लेखा में कथित जुर्माने की राशि दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिस पर कि लेखा परीक्षण टीम ने गौर किया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी विधान तथ्य के वैधानिक प्रावधान किसी कंपनी को कथित चूक के लिए जुर्माने या दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाते हैं, जब तक कि कथित चूक का संज्ञान संबंधित वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा न लिया गया हो और कंपनी को कारण बताओ नोटिस या कथित चूक के लिए जुर्माना/दंड की मांग जारी न की गई हो। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कंपनी

	जा सकेगा। कंपनी के पास 31 मार्च 2020 को केवल एक स्वतंत्र निदेशक था। प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी ये तथ्य लेखा टिप्पणियों में उजागर नहीं किये गये हैं।	अधिनियम या अन्य कानूनों के तहत अनेक वैधानिक प्रावधान है जो वित्तीय विवरणों पर लागू होते हैं, जिनमें कंपनी द्वारा किसी चूक की स्थिति में जुर्माने या दंड के संबंध में प्रावधान शामिल किए गए हैं। केवल कथित नियमों में शामिल प्रावधानों का अर्थ यह नहीं है कि कंपनी को जुर्माने/दंड के भुगतान के लिए उत्तदायी बनाया जाए, जब तक कि उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में कथित चूक पर जुर्माना/दंड की वसूली के लिए कंपनी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही शुरू नहीं की जाती। इसलिए वित्तीय विवरणों की तिथि पर जुर्माने इत्यादि संबंधी न तो कोई वर्तमान देयता थी न ही कोई आकस्मिक देयता थी, जिसका स्पष्टीकरण या प्रावधान लेखा में किया जाना जरूरी होता। हालांकि इसका स्पष्टीकरण वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरणों में लेखा टिप्पणियों में कर दिया जाएगा।
4	**आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (टिप्पणी संख्या 26)** **कंपनी पर 58.01 करोड़ रुपए का ऋण नहीं दर्शाने के खिलाफ दावे** इंड एएस 39 की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा टिप्पणियों में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रत्येक आकस्मिक देयता की प्रकृति के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए। लेकिन डीपीसीएल ने इंड एएस 39 का उल्लंघन करते हुए आकस्मिक देयता के तहत 19 दावों के संबंध में देयता की प्रकृति का कोई विवरण नहीं दिया था।	इन मामलों में डीपीसीएल की देयता असंबद्ध है, इसके बावजूद कि अपीलीय अदालतों का फैसला डीपीसीएल के खिलाफ आया है। के. आर. जैन और अन्य के मामले में, सिविल अपील संख्या 4269/2006 के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए इन मामलों की देयता संबंधित डिस्कॉम्स की होगी। चूकिं अदालती फैसला डीपीसीएल के खिलाफ आया है इसलिए इन सभी मामलों में अपील, अपीलीय न्यायालयों में दायर कर दी गई है। इसके अलावा विवाद के तहत देयता डीपीसीएल से नहीं जुड़ी है और वास्तव में यह डिस्कॉम्स की मूल देयता है। हालांकि, यह आश्वस्त किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरणों की लेखा टिप्पणियों में प्रत्येक आकस्मिक देयता का संक्षिप्त ब्यौरा दे दिया जाएगा।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
ह./–
(सत्य गोपाल)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

दिनांक : 17.09.2021
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक–IV

फॉर्म संख्या–एमआर–3

सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) विनियम 2014 के नियम 9 के अनुरूप]

सेवा में,

सदस्य, दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

शक्ति सदन, कोटला मार्ग

नई दिल्ली– 110002

मैंने **दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड** (जिसे आगे कंपनी कहा गया है) द्वारा व्यवहार्य वैधानिक प्रावधानों और उत्तम कॉरपोरेट अभ्यासों के अनुपालन का सचिवालयीय लेखा परीक्षण किया है। यह सचिवालयीय लेखा परीक्षण इस तरह संचालित किया गया जिससे कॉरपोरेट अभ्यास/वैधानिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपना मत व्यक्त करने का तर्कसंगत आध ाार उपलब्ध हुआ।

कंपनी की बहियों, कागजातों, बैठकों की विवरण पुस्तिकाओं, फॉर्म और दायर रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड की पुष्टि के आधार पर तथा कंपनी, इसके अधिकारी, एजेंट और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवलयीय लेखा परीक्षण के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, मैं रिपोर्ट करता हूं कि मेरे मत में और मेरे परिवेक्षण के अनुसार कंपनी ने 31मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा कंपनी के पास समुचित बोर्ड प्रक्रियाओं और अनुपालन तंत्र की भी व्यवस्था है।

मैंने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बहियों, कागजातों, विवरण पुस्तिकाओं, फॉर्म और भरे गए रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड का परीक्षण इन प्रावधानों के अनुसार किया है:

(i) कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और इसके तहत निर्मित विनियम।

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम 1956 (एससीआरए) और इसके तहत निर्मित नियम– व्यवहार्य नहींय

(iii) डिपोजिटरीज एक्ट 1956 और इसके तहत निर्मित विनियम और उपविधान

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और इसके तहत निर्मित नियम–विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश और वाह्य वाणिज्यिक उधारी से संबंधित– व्यवहार्य नहींय

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम)– व्यवहार्य नहींय

(vi) मैं आगे प्रतिवेदित करता हूं कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि के अनुसार कंपनी के लिए कोई अधिनियम विशेष व्यवहार्य नहीं है।

मैंने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित सचिवालयीय मानकों की व्यवहार्य उपधारा से संबंधित अनुपालन का भी परीक्षण किया है:

(i) निदेशक मंडल की बैठकों के बारे में सचिवालयीय मानक (एसएस–1); और

(ii) आम बैठकों से संबंधित सचिवालयीय मानक (एसएस–2).

समीक्षावधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियम, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का सामान्य रूप से अनुपालन किया है, निम्नलिखित पर्यवेक्षण के अनुसार:

क. समीक्षा वर्ष के दौरान:

(1) निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (1) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी, क्योंकि:
(क) 21.12.2018 से लेकर 04.07.2019 तक बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी और

(ख) कंपनी में दो स्वतंत्र निदेशकों के स्थान पर केवल एक स्वतंत्र निदेशक था।

(ग) कंपनी की लेखा परीक्षण समिति की संरचना व्यवहार्य कानून के अनुरूप नहीं है क्योंकि अधिनियम के अनुसार अधिनियम की धारा 177(2) के अंतर्गत सदस्यों का बहुमत स्वतंत्र निदेशकों का होना चाहिए।

(बी) हालांकि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हुआ है लेकिन कंपनी ने समीक्षा वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कोई राशि खर्च नहीं की है। कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 93.98 लाख रुपए खर्च करने थे।

मैं आगे प्रतिवेदित करता हूं कि उल्लिखित कारणों को देखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन में नहीं हुआ है। हालांकि निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षा अवधि के दौरान किए गए बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में थे।

सामान्य रूप से सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक, एजेंडा के निर्धारण के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए। बैठक के समक्ष रखे जाने वाले एजेंडे के बारे में स्पष्टीकरण और आगे की जानकारी प्राप्त करने तथा बैठक में बोर्डध्समिति के सदस्यों की सार्थक भागीदारी की व्यवस्था भी मौजूद थी।

विधिवत दर्ज और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बैठक की कार्यसूची विवरण के अनुसार बोर्ड के फैसले बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से लिए गए।

मैं आगे प्रतिवेदित करता हूं कि:

कंपनी की अनुपालन व्यवस्था की समीक्षा के आधार पर और कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा जारी और निदेशक मंडल द्वारा अपनी बैठकों में दर्ज वैधानिक अनुपालन प्रमाणपत्र के आधार पर मेरा मानना है कि निम्नलिखित पर्यवेक्षण के अनुसार कंपनी में व्यवहार्य कानूनों, नियमों, निनियमों और दिशा–निर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने की पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं:

(1) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–प्ए के तहत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कंपनी का पंजीकरण।

(2) कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और समाधान) अधिनियम 2013 और अनुबंधित श्रमिक (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के तहत अपेक्षित अनुपालनों का आंशिक रूप से पालन हुआ हैय और

मुझे बताया गया कि कंपनी ने लेखा परीक्षण अवधि के दौरान विभिन्न वैधानिकधनियामक प्राधिकरणों की मांगों, दावों, जुर्मानों से संबंधित नोटिसों का जबाव दिया है और जहां आवश्यक हुआ सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई की है।

मैं आगे प्रतिवेदित करता हूं कि लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान कोई ऐसी विशेष घटनाध्कार्रवाई नहीं हुई जिसका उपर्युक्त विधानों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुसार कंपनी के कार्यों पर कोई महत्वपूर्ण असर पड़ा हो।

कृते पी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी
कंपनी सचिव

ह/–
(प्रमोद पी. अग्रवाल)
प्रोप्राइटर
एफसीएस नं. : 4955, सी.पी.नंबर 10566
पियर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर: 429ध्2016
यूडीआईएन: एफ 004955बी004107966

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19.03.2021

यह रिपोर्ट इसी तिथि के हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाए जो ''अनुलग्नक ए'' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है।

अनुलग्नक क

सेवा में,

सदस्य गण,

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए इसी तिथि की हमारी सचिवालयीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

प्रबंधन का दायित्व

1. सचिवालयीय रिकॉर्ड रखना, सभी व्यवहार्य विधानों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की समुचित व्यवस्था करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं, प्रबंधन का दायित्व है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

1. हमारी जिम्मेदारी इन सचिवालयीय रिकॉर्ड, मानकों और सचिवालयीय अनुपालनों के संदर्भ में कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओँ पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. हमारा विश्वास है कि लेखा परीक्षा प्रमाण और कंपनी प्रबंधन से प्राप्त जानकारी हमारे मत का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं। प्रमाणों और जानकारियों की पुष्टि परीक्षण जांच आधार पर की गई है ताकि सचिवालयीय रिकॉर्ड्स में सही तथ्य सुनिश्चित किए जा सके।
3. कोविड–19 महामारी और संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण कार्यस्थल/कार्यालय बंद रहे या कम से कम कर्मचारियों के साथ काम चलाया गया। सरकार द्वारा जारी परामर्श को देखते हुए कंपनी के कार्यालय दौरा बहुत कम हो सका और इसके कारण सचिवालयीय रिकॉर्ड की भौतिक प्रतियों की पुष्टि विस्तृत रूप से नहीं हो सकी। हमें उपलब्ध कराए गए सचिवालयीय रिकॉर्ड/दस्तावेजों की सॉफ्ट प्रतियों पर अधिक निर्भरता रही। जहां आवश्यक हुआ हमने विधानों/नियमों और विनियमों तथा घटनाक्रमों इत्यादि के बारे में प्रबंधन का वक्तव्य प्राप्त किया।

स्पष्टीकरण

1. सचिवालयीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के विषय में और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों के संचालन संबंधी प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है।
2. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों की परिशुद्धता और औचित्य की पुष्टि नहीं की है।

कृते पी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी
कंपनी सचिव

ह/–
(प्रमोद पी. अग्रवाल)
प्रोप्राइटर
एफसीएस नं.: 4955, सी.पी.नंबर 10566
पियर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर: 429/2016
यूडीआईएन : एफ 004955बी004107966

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19.03.2021

अनुलग्नक–V

सचिवालयीय लेखा परीक्षक के निरीक्षण पर प्रबंधन के जवाब

क्र.सं.	सचिवालयीय लेखा परीक्षक का प्रेक्षण	प्रबंधन के जवाब
1.	निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी, क्योंकिः (क) बोर्ड में 21–12–2018 से लेकर 4–7–2019 तक कोई महिला निदेशक नहीं थी। और (ख) कंपनी में दो की आवश्यकता के स्थान पर केवल एक स्वतंत्र निदेशक था।	डीपीसीएल बोर्ड में महिला निदेशक का पद खाली होने के बाद महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अनुरोध भेजा गया था। इसके बाद सुश्री पद्मिनी सिंगला की नियुक्ति डीपीसीएल के सीएमडी के रूप में 05.07.2019 को की गई। वर्तमान में कंपनी में महिला निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता का अनुपालन कर रही है। कंपनी ने एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति 31.05.2016 को की गई। एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए अनुरोध बार–बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा गया। अभी हाल में डीपीसीएल बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पूरी हुई है।
2.	कंपनी के लेखा परीक्षण समिति का गठन व्यवहार्य विधान के अनुरूप नहीं हुआ है क्योंकि अधिनियम की धारा 177 (2) के अनुसार सदस्यों का बहुमत स्वतंत्र निदेशकों का होना चाहिए।	कंपनी के बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, 17.09.2021 की बैठक में लेखा परीक्षण समिति का पुनर्गठन किया गया है।
3.	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हुआ है लेकिन कंपनी ने समीक्षा वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कोई राशि खर्च नहीं की है। कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 93.98 लाख रुपए खर्च करने थे।	जिन सीएसआर गतिविधियों के लिए राशि का उपयोग शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय (आरपीवीवी), सिविल लाइंस में विद्यार्थियों की सुविधा उपकरणों की क्लासरूम परियोजना पर किया जाना था उन्हें 9 मार्च 2020 को बोर्ड की बैठक में अंतिम रूप दिया जा सका। इसके बाद कंपनी कोविड महामारी को लेकर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण सीएसआर राशि व्यय नहीं कर सकी। कंपनी ने हाल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को सीएसआर व्यय के लिए भुगतान जारी कर दिया है।

4.	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–ए के तहत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कंपनी का पंजीकरण।	प्रबंधन का मानना है कि डीपीसीएल एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कोई भी कार्य संपादित नहीं करता इसलिए इसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में श्रेणीकृत और पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में 27.08.2021 को वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजीव कुमार दुबे की भी राय ली गई। उनका भी मानना है कि 'डीपीसीएल एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है इसलिए इसे रिजर्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत किए जाने की जरूरत नहीं है।' इससे पहले मेसर्स राजहर गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार का मत भी 22.04.2021 को लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि 'डीपीसीएल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के दायरे में नहीं आता इसलिए इसे आरबीआई के साथ पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।' हम डीपीसीएल को एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत किए जाने से छूट की मांग करते हुए रिजर्व बैंक को आवेदन देंगे।
5.	कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और समाधान) अधिनियम 2013 और अनुबंधित श्रमिक (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के तहत अपेक्षित अनुपालनों का आंशिक अनुपालन किया गया है।	डीपीसीएल में विभिन्न क्षमता में पदस्थापित सभी नियमित कर्मचारी डीटीएल की रोल पर हैं। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित नियम सहित सभी मानव संसाधन नीतियां, जो डीटीएल में लागू हैं, वे डीपीसीएल में भी व्यवहार्य हैं। इसके अलावा कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और समाधान) अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का भी डीटीएल द्वारा, डीपीसीएल में पदस्थापित कर्मचारियों के लिए, अनुपालन किया जा रहा है। अनुबंधित श्रमिक (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 उस प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू है जिसमें 20 या 20 से अधिक कामगार अनुबंधित श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं या पिछले 12 महीने के दौरान काम पर रखे गए हैं। चूंकि डीपीसीएल में कभी भी 20 या 20 से अधिक कामगार अनुबंधित श्रमिक के रूप में नहीं रहे, इसलिए यह अधिनियम डीपीसीएल पर लागू नहीं होता।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह/–

(सत्य गोपाल)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

दिनांकः 17.09.2021

स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक–VI

फॉर्म संख्या–एमजीटी–9

वार्षिक रिटर्न उद्धरण

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन)
विनियम 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार

i)	सीआईएन	यू40103डीएल2001एसजीसी111528
ii)	पंजीकरण तिथि (तिथि–माह–वर्ष)	04/07/2001
iii)	कंपनी की श्रेणीध्उपश्रेणी	राज्य सरकारी कंपनी
iv)	**कंपनी का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता**	
	कंपनी का नाम	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड
	पता	शक्ति सदन, कोटला मार्ग
	शहर	नई दिल्ली
	राज्य	दिल्ली
	पिन कोड	110002
	देश का नाम	भारत
	देश कोड	आईएन
	ई–मेल पता	delhipowercompanylimited@gmail.com
	वेबसाईट	–
v)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है (हांध्नहीं)	नहीं
vi)	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम और पताः व्यवहार्य नहीं	

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल टर्नओवर के 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यवसायिक गतिविधियां दी जाएंगी रू–

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1.	निवेश कंपनी	64200	100

III. होल्डिंग, सब्सिडियरी और एसोसियट कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएनध्जीएलएन	होल्डिंग / सब्सिडियरी / एसोसियेट	शेयर का प्रतिशत	व्यवहार्य धारा
1.	इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) हिमाद्री, राजघाट पावर हाउस कम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110002	U40103DL2001SGC111530	एसोसियेट	19.01	कंपनी लेखाकार विनियम 2014 की धारा 134 (3) (क्यू) नियम 8 (5) (IV)
2.	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल) शक्ति सदन कोटला मार्ग, नई दिल्ली 110002	U40103DL2001SGC111529	एसोसियेट	6.58	कंपनी लेखाकार विनियम 2014 की धारा 134 (3) (क्यू) नियम 8 (5) (IV)
3.	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीएसईएस आरपीएल) बीएसईएस भवन, नेहरू प्लेस, दिल्ली–110019	U40109DL2001PLC111527	एसोसियेट	49.00	कंपनी लेखाकार विनियम 2014 की धारा 134 (3) (क्यू) नियम 8 (5) (IV)
4.	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीएसईएस वाईपीएल) शक्ति किरण भवन, कड़कड़डूमा दिल्ली–110092	U40109DL2001PLC111525	एसोसियेट	49.00	कंपनी लेखाकार विनियम 2014 की धारा 134 (3) (क्यू) नियम 8 (5) (IV)
5.	टाटा पावर दिल्ली डिसट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (टीपीडीडीएल) एनडीपीएल हाउस हडसन लाइन्स, किंग्सवे कैंप, दिल्ली 110009	U40109DL2001PLC111526	एसोसियेट	49.00	कंपनी लेखाकार विनियम 2014 की धारा 134 (3) (क्यू) नियम 8 (5) (IV)
6.	इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 217–ए, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस–3 नई दिल्ली 110020	U37100DL2006PLC146456	एसोसियेट	50.00	कंपनी लेखाकार विनियम 2014 की धारा 134 (3) (क्यू) नियम 8 (5) (IV)

IV. शेयर धारिता क्रम (कुल इक्विटी शेयर प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी)

i) श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयर संख्या				वर्ष में प्रतिशत बदलाव
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर %	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर %	
ए. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत / एचयूएफ	0	50000	50000	.01	0	50000	50000	.01	0
(ख) केंद्र सरकार	0	0	0		0	0	0		0
ग) राज्य सरकार	0	74,50,00,000	74,50,00,000	99.99	0	74,50,00,000	74,50,00,000	99.99	0
घ) निकाय निगम	0	0	0		0	0	0		0
(ड.) बैंक / एफआई	0	0	0		0	0	0		0
(च) कोई अन्य	0	0	0		0	0	0		0
उप योग(ए)(1)	0	74,50,50,000	74,50,50,000	100		74,50,50,000	74,50,50,000	100	0
2. विदेशी									
(क) एनआरआई– व्यक्तिगत	0	0	0		0	0	0		0
(ख) अन्य व्यक्ति	0	0	0		0	0	0		0
(ग) निकाय निगम	0	0	0		0	0	0		0
घ) बैंकध्एफआई	0	0	0		0	0	0		0
(ड.) कोई अन्य	0	0	0		0	0	0		0
उप योग(ए)(2)									
प्रमोटर की कुल शेयर–धारिता (ए)=(ए)(1)(ए)(2)	0	74,50,50,000	74,50,50,000	100	0	74,50,50,000	74,50,50,000	100	0
बी. सरकारी शेयरधारिता									
1, संस्थायें									
क) म्युचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक / एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केंद्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ)राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड.) उपक्रम पूंजीगत कोष	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) बीमा कंपनियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ. एफआईआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज. विदेशी उपक्रम पूंजी कोष	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झ. अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप जोड़(बी)(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयर संख्या				वर्ष में प्रतिशत बदलाव
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर %	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर %	
2. गैर संस्थाएं									
क) निकाय निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख)व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) 1 लाख रुपये तक की शेयर पूंजी धारिता वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) 1 लाख रुपये से अधिक की शेयर पूंजी धारिता वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप जोड़ (बी)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयर धारिता(बी)= (बी)(1)(बी)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सी. जीडीआर और एडीआर के लिये अभिरक्षक द्वारा रखे गये शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समग्र कुल (ए+बी +सी)	**0**	**74,50,50,000**	**74,50,50,000**	**100**		**74,50,50,000**	**74,50,50,000**	**100**	**0**

ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			शेयरों की संख्या कंपनी के कुल शेयरों का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में भारग्रस्त/गिरवी शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में भारग्रस्त/गिरवी शेयरों का प्रतिशत	
1	उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	74,50,00,000	99.99	शून्य	74,50,00,000	99.99	शून्य	शून्य
2	श्री अंशु प्रकाश, मुख्य सचिव, दिल्ली	49,991	0.01	शून्य	-	-	-	शून्य
3	श्री विजय कुमार देव, मुख्य सचिव, दिल्ली	-	-	-	49,991	0.01	शून्य	0.007%
4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नामिती	9	-	शून्य	9	-	शून्य	शून्य
	कुल	**74,50,50,000**	**100**	**शून्य**	**74,50,50,000**	**100**	**शून्य**	**शून्य**

iii) प्रमोटर शेयरधारिता में बदलाव

क्र. सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान समग्र शेयरधारिता	
1.	श्री अंशु प्रकाश, मुख्य सचिव, दिल्ली	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के आरंभ में	49,991	0.01	49,991	0.01
	वर्ष के दौरान प्रमोटर शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी का कारण स्पष्ट करते हुए (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि) 21.12.2019 को शेयरों के हस्तांतरण के कारण शेयरधारिता में कमी	49,991	0.01	0	0
	वर्ष के अंत में	0	0	0	0
2.	श्री विजय कुमार देव, मुख्य सचिव, दिल्ली	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
	वर्ष के दौरान प्रमोटर शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी का कारण स्पष्ट करते हुए (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि) 21.12.2019 को शेयरों के हस्तांतरण के कारण शेयरधारिता में वृद्धि	49,991	0.01	49,991	0.01
	वर्ष के अंत में	49,991	0.01	49,991	0.01

iv) शीर्ष 10 शेयर धारकों (निदेशक, प्रमोटर तथा जीडीआर और एडीआर धारकों के अतिरिक्त) की शेयर धारिता पैटर्नः–

क्र. सं.	10 शीर्ष शेयरधारकों में प्रत्येक के लिये	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान समग्र शेयर धारिता	
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**
	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के दौरान प्रमोटर शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी का कारण स्पष्ट करते हुए (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)				
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(V) निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की शेयरधारिता:–

क्र . सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान समग्र शेयर धारिता	
	प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधनकर्मी के लिये	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के दौरान प्रमोटर शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी का कारण स्पष्ट करते हुए (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)				
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	वर्ष के अंत में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

V. ऋणभार

देय ब्याज/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिये अदेय राशि सहित कंपनी का ऋणभार,

	जमा के अतिरिक्त सुरक्षित ऋण (लाख रुपये में)	असुरक्षित ऋण (लाख रुपये में)	जमा (लाख रुपये में)	कुल ऋणभार (लाख रुपये में)
i) मूल राशि	-	3,32,639.00	-	3,32,639.00
ii) ब्याज बकाया लेकिन भुगतान नहीं	-	1,63,977.35		1,63,977.35
iii) ब्याज प्रोद्भूत लेकिन बकाया नहीं	3,023.32	-	-	3,023.32
कुल (i+ii+iii)	**3,023.32**	**4,96,616.35**	**-**	**4,99,639.67**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव				
*(बकाया ब्याज में) कमी/वृद्धि	(3,023.32)	31,600.71	-	28,577..39
*(बकाया ऋण में) कमी/वृद्धि	-	-	-	-
निबल बदलाव	**(3,023.32)**	**31,600.71**	**-**	**28,577..39**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	3,32,639.00		3,32,639.00
ii) ब्याज बकाया लेकिन भुगतान नहीं	-	1,95,578.06		1,95,578.06
iii) ब्याज प्रोद्भूत लेकिन बकाया नहीं	-			-
कुल (i+ii+iii)	**-**	**5,28,217.06**		**5,28,217.06**

VI. निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक औरध्या प्रबंधकः **शून्य**

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक (राशि रुपये में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक विवरण	निर्देशकों के नाम				कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक	अजीत केशव रानाडे	-	-	-	-
	बोर्ड और समिति की बैठकों में शामिल होने की फीस	55,000.00	-	-	-	55,000.00
	कमीशन	-	-	-	-	-
	अन्य,कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-	-
	कुल (1)	55,000.00	-	-	-	55,000.00
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक	-	-	-	-	
	बोर्ड और समिति की बैठकों में शामिल होने की फीस	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-	-
	कुल (2)	-	-	-	-	-
	कुल बी=(1+2)	-	-	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	55,000.00	-	-	-	55,000.00
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग	-	-	-	-	-

ग. एमडी/प्रबंधक/डबल्यूटीडी के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का पारिश्रमिक (रुपये लाख में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधन कर्मी	
		श्री सुरेंद्र बब्बर, सीएफओ	**कुल**
1	कुल वेतन	37.60	37.60
	क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन		
	ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के प्रावधानों के अधीन परिलब्धियों का मूल्य		
	ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ		
2	शेयर विकल्प		
3	स्वेट इक्विटी		
4	कमीशन		
5	–लाभ का प्रतिशत		
	अन्य, स्पष्ट करें...........		
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें.........		
	ईपीएफ प्रबंधन अंशदान		
	कुल	37.60	37.60

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों का शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाये गये जुर्माना/दंड/अपराध शमन शुल्क का ब्योरा	अधिकरण (आरडी / एनसीएलटी / अदालत	की गयी अपील,यदि कोई है तो विवरण
ए. कंपनी					
जुर्माना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अपराध शमन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बी. निदेशक					
जुर्माना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अपराध शमन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सी. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अपराध शमन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/–

(सत्य गोपाल)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

दिनांक: 17.09.2021

स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक–VII

कंपनी सामाजिक दायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **प्रस्तावित कार्यक्रमों या परियोजनाओं की समीक्षा सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा**

   कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और इसके तहत निर्धारित नियमों के अनुसार कंपनी ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से सीएसआर समिति का गठन किया है और सीएसआर नीति तय की है।

   कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति (सीएसआर नीति) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने है कि कंपनी एक जिम्मेदार कॉरपोरेट कंपनी की भूमिक अदा करते हुए बड़े पैमाने पर कल्याण और समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए योगदान करे और सार्वजनिक महत्व के बुनियादी ढांचा विकास में सहयोग करे। सीएसआर के संदर्भ में वैधानिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए कंपनी स्वयं के लिए सद्भावना अर्जित कर सकेगी और सामाजिक रुप से एक सकारात्मक और उत्तरदायी कॉरपोरेट कंपनी की छवि बना सकेगी।

विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र

पहले कंपनी ने समाज कल्याण के लिए अपेक्षित राशि का योगदान कर सीएसआर गतिविधियां संचालित करने का निर्णय लिया था और इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के साथ सहयोग करने का फैसला किया था। लेकिन बाद में कंपनी ने अपनी सीएसआर नीति को संशोधित करने और सीएसआर गतिविधियों का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया। संशोधित सीएसआर नीति में निम्नलिखित क्षेत्रों पर मुख्य ध्यान दिया गया हैरू

i) भूख और गरीबी उन्मूलनय
ii) शिक्षा को बढावाय
iii) स्त्री–पुरुष समानता बढ़ाना और महिलाओं का सशक्तीकरणय
iv) शिशु मृत्युदर कम करना और मातृत्व स्वस्थ्य में सुधार लानाय
v) रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करने वाले वायरस, एड्स, मलेरिया और अन्य रोगों की रोकथामय
vi) पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करनाय
vii) रोजगार देने वाले व्यवसायिक कौशल प्रदान करनाय
viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए गठित किसी अन्य कोष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के कल्याण के लिए गठित कोष में योगदानय और
ix) कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित ऐसे अन्य मामलेय

कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची टप्प् के अंतर्गत निर्दिष्ट सीएसआर गतिविधियों के लिए धनराशि खर्च करने का फैसला किया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 54.99 लाख रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 93.88 लाख रुपए सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करने से संबंधित परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों का विवरण	बोर्ड की बैठक में अनुमोदन की तिथि	व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि (रुपए में)	व्यय की गई वास्तविक राशि (रुपए में)
राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय (आरपीवीवी), सिविल लाइंस, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में विद्यार्थी सुविधाओं के साथ कनेक्टेड क्लासरूम की स्थापना।	09.03.2020	148.87 लाख	–

2. **सीएसआर समिति की वर्तमान संरचना**

   श्रीमती अंजली राय, स्वतंत्र निदेशक : अध्यक्ष

श्री अनिल कुमार ओझा, स्वतंत्र निदेशक : सदस्य
डॉ संजय कुमार लाल, निदेशक (वित्त) : सदस्य

सीएसआर समिति की भूमिका और दायित्वों में सीएसआर नीति तय करना और बोर्ड को इसकी अनुशंसा करना, जिसमें कंपनी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित गतिविधियों या अनुसूची टप्प में निर्दिष्ट विषयों का उल्लेख हो तथा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि की अनुशंसा और समय–समय पर कंपनी के सीएसआर नीति पर निगरानी रखना शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर समिति की दो बैठकें क्रमशरू 13 अगस्त 2019 और 9 मार्च 2020 को हुईं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों का ब्यौरा इस प्रकार है:

सीएसआर समिति की बैठकें	उपस्थिति विवरण	बैठकों में प्रतिभागिता
सदस्य निदेशकों के नाम	अपेक्षित उपस्थिति की बैठकों की संख्या	
1. श्री अजीत केशव रानाडे	2	2
2, सुश्री पद्मिनी सिंग्ला	2	2
3. श्री डी. वर्मा	2	2

सीएसआर समिति की संरचना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुरूप है। कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्यसम्पादित करते हैं।

3. पिछले तीन वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सीएसआर उद्देश्य के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार निवल लाभ रू

2018–19 : 73.12 करोड़ रुपए
2017–18 : 139.97 करोड़ रुपए
2016–17 : (72.12) करोड़ रुपए
औसत निबल लाभ 46.99 करोड़ रुपए

4. निर्धारित सीएसआर व्यय– (औसत निबल लाभ का 2 प्रतिशत, जैसा कि उपर्युक्त विषयवस्तु संख्या 3 में है)–93.98 लाख रुपए।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

क.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि	93.98 लाख रुपए
ख.	व्यय नहीं की जा सकी राशि, यदि कोई हो	93.98 लाख रुपए
ग.	वित्तीय वर्ष के दौरान जिस प्रकार राशि व्यय की गई उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है	व्यवहार्य नहीं

6. कंपनी द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों या इनके किसी भी भाग में, औसत निबल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रहने की स्थिति में, कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट में राशि व्यय नहीं करने का कारण स्पष्ट करना होगा।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में 54.99 लाख रुपए की राशि और वित्तीय वर्ष 2019–20 में 93.98 लाख रुपए की राशि व्यय नहीं की जा सकी, क्योंकि जिन गतिविधियों के लिए इस राशि का उपयोग शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कनेक्टेड क्लासरूम परियोजना पर, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सिविल लाइन्स में किया जाना था, उन गतिविधियों को 9 मार्च 2020 को हुई बोर्ड की 96वीं बैठक में अंतिम रूप दिया जा सका। इसके बाद कंपनी सीएसआर राशि का व्यय कोविड–19 महामारी को लेकर राष्ट्व्यापी लॉकडाउन के कारण नहीं कर सकी। कंपनी ने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को, वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 के सीएसआर व्यय के लिए भुगतान जारी कर दिया है।

7. सीएसआर समिति का दायित्व वक्तव्य

कंपनी अधिनियम 2013 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कंपनी– सीएसआर नीति के तहत कार्यान्वयन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

ह/–
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

ह/–
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

अनुलग्नक–VIII

कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट

कॉरपोरेट शासन को लेकर कंपनी के सिद्धांतों का लक्ष्य अपने संचालन के सभी क्षेत्रों तथा शेयरधारकों, कर्मचारियों, सरकार और अन्य हितधारकों के साथ संबंधो में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और समानता का सर्वोच्च स्तर प्राप्त करना है।

कंपनी अपने मूल सिद्धांतों को बनाये रखते हुए बिजली क्षेत्र की वैश्विक शक्ति बनने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अपने संसाधनों, शक्तियों और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।

बोर्ड की संरचना

वर्ष के अंत में कंपनी में तीन निदेशक थे जिनमें एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित कार्यकारी निदेशक तथा शेष दो मनोनीत और स्वतंत्र निदेशक सहित गैर–कार्यकारी निदेशक थे।

बोर्ड की बैठकें

कंपनी इस ढंग से अपनी बैठकों का आयोजन करती है कि दो बैठकों के बीच में 120 दिनों से अधिक का अंतराल न रहे और वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित हों।

बोर्ड बैठकों का निर्धारण काफी पहले तय हो जाता है और संबंधित नोटिस पर्याप्त समय रहते भेज दी जाती है। बैठक की कार्य सूची विषयों को स्पष्ट करने वाली टिप्पणियों के साथ काफी पहले निर्देशकों को वितरित कर दी जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बोर्ड की 6 बैठकें क्रमशः 13 मई, 13 अगस्त, 20 सितंबर, 24 अक्तूबर और 23 दिसंबर 2019 तथा 09 मार्च 2020 को हुईं।

निदेशक मंडल की बैठकों की जानकारी इस प्रकार हैः–

वर्ष	नाम/निदेशक श्रेणी	वर्ष में बैठकों की कुल संख्या	निदेशकों की भागीदारी में कुल बैठकें	भागीदारी में अपेक्षित बैठकें	क्या निदेशकों ने एजीएम में भाग लिया
2019–20	**1. कार्यकारी निदेशक**	06			
	श्री मधुप व्यास, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक		1	1	लागू नहीं*
	सुश्री पद्मिनी सिंगला, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक		5	5	हां
	गैरकार्यकारी निदेशक	06			
	2. श्री मुकेश प्रसाद मनोनीत निदेशक		1	1	लागू नहीं*
	श्री डी. वर्मा मनोनीत निदेशक		5	5	हां
	श्री अजीत केशव रानाडे, स्वतंत्र निदेशक		5	6	हां

*लागू नहीं का अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति उक्त तिथि पर डीपीसीएल बोर्ड में शामिल नहीं है.

कंपनी के वित्तीय विवरण में संलग्न निदेशक प्रतिवेदन में निदेशक दायित्व ब्यौरा शामिल है। वार्षिक वित्तीय विवरणों की तैयारी में व्यवहार्य लेखांकन मानकों का पालन किया गया है। किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है। कंपनी की परिसंपतियों की सुरक्षा तथा किसी धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकथाम के लिये निदेशकों ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और लेखांकन मानकों के अनुपालन का समुचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

लेखा परीक्षण समिति

समिति में निम्नलिखित निदेशक वर्तमान सदस्य है:

1. श्रीमती अंजलि राय, स्वतंत्र निदेशक
2. श्री अनिल कुमार ओझा, स्वतंत्र निदेशक
3. श्री अजीमुल हक, मनोनीत निदेशक

लेखा परीक्षण समिति का कार्य आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र के बारे में लेखा परीक्षकों से विचार विमर्श के लिये धारा 177 के अनुसार किसी मामले की छानबीन करना, आवधिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना और अनुशंसाओं के साथ बोर्ड को विवरण सौंपना, कंपनी की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा तथा धोखाधड़ी और अनियमितताओं पर नजर रखना है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में लेखा परीक्षा समिति की पांच बैठकें हुईं क्रमशः 13 अगस्त, 30 सितंबर, 24 अक्तूबर और 23 दिसंबर 2019 तथा 09 मार्च 2020 को।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकें और सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:–

लेखा परीक्षा समिति की बैठकें	उपस्थिति विवरण	
सदस्यों के नाम	**अपेक्षित उपस्थिति की बैठकों की संख्या**	**बैठकों में भागीदारी**
श्री अजीत केशव राणाडे	5	4
सुश्री पद्मिनी सिंगला	5	5
श्री डी. वर्मा	5	5

समिति बोर्ड को सौंपे जाने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है। समिति द्वारा सुझायी गयी अनुशंसाओं और उजागर की गयी खामियों को बोर्ड स्वीकार करता है। समिति आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली की पर्याप्तता की भी समीक्षा करती है। समिति के अध्यक्ष कंपनी की वार्षिक आम बैठक में भाग लेते हैं।

कंपनी के कंपनी–सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

गैर कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर कार्यकारी निदेशकों का कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या लेनदेन नहीं होता सिवाय इसके कि स्वतंत्र निदेशक को बोर्ड और अन्य समितियों की बैठकों में शामिल होने के लिये शुल्क का भुगतान किया जाता है।

वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के स्थान और समय:

वर्ष	वार्षिक आम बैठक	स्थान	तिथि	समय
2018–19	18वीं	कंपनी का सम्मेलन कक्ष, चौथी मंजिल, शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002	23.12.2019	दिन के 02.45 बजे
2017–18	17वीं	कंपनी का सम्मेलन कक्ष, चौथी मंजिल, शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002	06.12.2018	शाम 0500 बजे
	17वीं स्थगित	कंपनी का सम्मेलन कक्ष, चौथी मंजिल, शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002	13.12.2018	शाम 0500 बजे
2016-17	16वीं	कंपनी का सम्मेलन कक्ष, चौथी मंजिल, शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002	28.12.2018	सुबह 10.25 2019–20 के लिये वार्षिक आम बैठक

2019–20 के लिये वार्षिक आम बैठक

तिथिः 30.12.2020

समयः दिन के 03.30 बजे

स्थानः कंपनी सम्मेलन कक्ष, चौथी मंजिल,शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002

2019–20 के लिये स्थगित वार्षिक आम बैठक

तिथिः 25.10.2021

समयः दिन के 02.30 बजे

स्थानः कंपनी सम्मेलन कक्ष, चौथी मंजिल,शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002

कंपनी एक मुक्त और प्रेरक माहौल उपलब्ध कराती है और उसका मानना है कि कंपनी का विकास उसके मानव संसाधनों के विकास से ही संभव है। कर्मचारियों की जानकारी और कौशल विकास के लिये लगातार प्रशिक्षण कंपनी की कॉरपोरेट रणनीति का हिस्सा बन गया है। प्रबंधन अपने कर्मचारियों को सर्वोच्च पेशेवर क्षमता तक विकसित होने के लिये प्रोत्साहित करता है। कंपनी का सिद्धांत अपने संचालन और सभी हितधारकों के साथ संपर्कों में पारदर्शिता, निष्ठा और समानता का सर्वोच्च स्तर प्राप्त करना है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह/–
(सत्य गोपाल)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

दिनांकः 17.09.2021
स्थानः नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य गण

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अर्हताप्राप्त मत

हमने दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के एकल वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2020 तक के तुलन पत्रक, लाभ–हानि खाते (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव संबंधी विवरण और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी–प्रवाह विवरण शामिल है। इसमें एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश भी शामिल है (जिसे यहां बाद में एकल वित्तीय विवरण कहा जाएगा) ।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट में अर्हताप्राप्त मत के आधार में दिये गये विषय के प्रभावों को छोड़कर, ये एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित और धारा 133 के तहत, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) विनियम 2015, संशोधित इंड एएस, भारत में स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतो के साथ पठित, निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप, 31 मार्च 2020 को कंपनी की स्थिति तथा इसके लाभ, इक्विटी में बदलाव और इस तिथि पर समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

अर्हताप्राप्त मत का आधार

1. एकल इंड एएस विवरणों की टिप्पणी संख्या 5.1, 9.1, 12.1, 15.2 और 19 के विवरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से, डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये 3,32,639 लाख रुपये का ब्याज युक्त ऋण लिया था जिसे 31 मार्च 2014 से दस समान किस्तों में चुकाया जाना था। कंपनी ने मूल राशि और 31 मार्च 2020 तक के बकाया ब्याज, क्रमशः 2,66,111.20 और 1,95,578.06 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। दूसरी तरफ कंपनी ने 3,32,639 लाख रुपये की राशि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग माना। 3,32,639 लाख रुपये की मूल राशि और 31 मार्च 2020 तक 1,95,578.06 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,63,977.36 लाख रुपये) का बकाया ब्याज जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य दर्शाया गया है, दिल्ली सरकार के अनुमोदन के अधीन है। यही राशि
   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य वर्तमान देयता के रूप में भी दर्शायी गयी है।
2. एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दी गयी विस्तृत जानकारी के अनुसार पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड से हस्तांतरित आस्तियों और देयताओं के तहत दर्शायी गयी निम्नलिखित राशि 2002 से विभिन्न विद्युत वितरणध्पारेषण ६ उत्पादन कंपनियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से समायोजन और पुष्टि के अधीन है।

टि. सं.	शीर्षक	उप शीर्षक	जमा / निकासी	राशि (लाख रुपये में)	
				31.03.2020	31.03.2019
देयताएं					
13.1	विभिन्न जमाकर्ता– गैर वर्तमान देयताएं	विभिन्न जमाकर्ता	जमा	16,933.98	16,933.98
14	अन्य वित्तीय देयताएं–गैर वर्तमान देयताएं	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	जमा	1,57,708.99	1,57,708.99

टि. सं.	शीर्षक	उप शीर्षक	जमा / निकासी	राशि (लाख रुपये में)	
				31.03.2020	31.03.2019
आस्तियां					
6	अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	जमा	11,523.97	11,523.97
6	अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	डीवीबी के विघटन से पहले की अवधि का वसूली योग्य बिजली बकाया	निकासी	44,653.30	44,653.30
8	अन्य वित्तीय आस्तियां वर्तमान आस्तियां	अग्रिम – अन्य	निकासी	45,718.25	45,935.68
9.2	अन्य वर्तमान आस्तियां	अग्रिम वसूली योग्य	निकासी	8,116.10	8,116.10

उपरोक्त के संदर्भ में समायोजन का लंबित परिणाम, एकल इंड एएस वित्तीय विवरण पर संबंधित वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो तो वह निर्धारण योग्य नहीं है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के तहत हमारे दायित्व, हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिये लेखा परीक्षक के दायित्व खंड में आगे स्पष्ट किये गये हैं। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नीति संहिता और साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और संबंधित नियमों के तहत एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी नीतिगत अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारी इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की नीति संहिता के अनुरूप पूरी की है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा संबंधी प्रमाण एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे अर्हताप्राप्त मत का आधार उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त और समुचित हैं।

वित्तीय विवरणों और उसपर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

अन्य जानकारियों की तैयारी के लिये कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारियों में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल सूचनायें आती हैं। उदाहरण के तौर पर प्रबंधकीय विचार विमर्श और विश्लेषण, अनुलग्नक सहित बोर्ड रिपोर्ट, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट, कॉरपोरेट प्रशासन और शेयर धारकों की जानकारी। लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण, एकल वित्तीय विवरण और इनपर लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इसपर किसी भी प्रकार का आश्वासन और निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संदर्भ में हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारियों को पढ़ना और ऐसा करते हुये विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा क्रम में हमें प्राप्त सूचनाओं से बहुत ज्यादा अलग तो नहीं, या कहीं इसमें कोई गलत बयानी तो नहीं।

ध्यान योग्य विषय

अर्हताप्राप्त मत के लिये आधार खंड में वर्णित विषय के अलावा हम कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान 450 लाख रुपये के व्यय से संबंधित, वित्तीय टिप्पणी संख्या 23.1 पर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के प्रति कंपनी के प्रबंधन और प्रशासन के लिये प्रभारी लोगों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी और नकदी प्रवाह में बदलाव की वास्तविक और निष्पक्ष जानकारी देने वाले एकल वित्तीय विवरणों की, इंड एएस और भारत में स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिंद्धांतों के

अनुसार तैयारी के संदर्भ में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित विषयों के प्रति उत्तरदायी है। इस दायित्व में कंपनी की आस्तियों की रक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकथाम, किसी भी गलत बयानी से मुक्त तथा सही और वास्तविक स्थिति की जानकारी देने वाले वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिये समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और कार्यान्वयन, तर्कसंगत और दूरदर्शी निर्णय और आकलन तथा लेखांकन रिकॉर्ड्स की परिशुद्धता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तय करने और लागू करने के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव करना भी शामिल है।

एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी में निदेशक मंडल एक चालू कंपनी के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमताओं के आकलन, व्यवहार्यता अनुरूप चालू कंपनी से संबंधित मुद्दों के स्पष्टीकरण और लेखांकन के लिये जारी आधार का उपयोग करने के लिये उत्तरदायी है जबतक कि निदेशक मंडल अन्य कोई विकल्प नहीं होने पर कंपनी को लिक्विडेट करना या संचालन बंद करना न चाहता हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिये भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य है–तर्कसंगत आश्वस्ति प्राप्त करना कि समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से किसी बड़ी गलतबयानी से, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हुई हो या त्रुटि के कारण, मुक्त हो और लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना जिसमे हमारा मत शामिल हो। तर्कसंगत आश्वस्ति एक उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप किया गया लेखा परीक्षण हमेशा किसी बड़ी गलत बयानी का पता लगा ही लेगा। गलतबयानी या तो धोखाधड़ी के कारण हो सकती है या त्रुटि के कारण और यह तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है अगर इनसे व्यक्तिगत या समग्र रूप से, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये जाने वाले उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों पर असर पड़ने की तर्कसंगत आशंका हो।

एसए के अनुरूप लेखापरीक्षण के हिस्से के रूप में हम पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेगत संशयात्मकता बनाये रखते हैं। हम यह दायित्व भी निभाते है:

- एकल वित्तीय विवरणों की बड़ी गलतबयानियों के जोखिम की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे यह धोखाधड़ी की वजह से हुई हों या किसी त्रुटि की वजह से। इन जोखिमों के अनुकूल लेखा प्रक्रियाएं तय करते हैं और निष्पादित करते हैं और ऐसा लेखा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मत का आधार उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के कारण की गयी गलतबयानी का पता नहीं लग पाने का जोखिम, त्रुटि के कारण होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गयी चूक, भ्रामक उल्लेख या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल होती है।
- लेखा परीक्षा के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुसार समुचित लेखा प्रक्रियाएं तय की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत हम इस बात पर भी अपना मत व्यक्त करने के लिये उत्तरदायी हैं कि कंपनी में समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लागू है या नहीं और इन नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता क्या है।
- प्रयुक्त लेखाकंन नीतियों की उपयुक्तता, लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किये गये संबंधित स्पष्टीकरणों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के चालू आधार उपयोग की उपयुक्तता के बारे में तथा प्राप्त लेखा प्रमाणों के आधार पर यह निर्णय लेना कि क्या कोई ऐसी अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के चालू रह पाने की क्षमता पर संदेह उत्पन्न करती हो। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है तो हमें एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबंधित स्पष्टीकरणों पर ध्यान दिलाना होता है, या यदि ऐसे स्पष्टीकरण अपर्याप्त हैं तो हमें अपना मत संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा प्रमाणों पर आधारित होते हैं। परंतु भविष्य की घटनाएं और स्थितियां कंपनी के चालू रहने पर असर डाल सकती हैं और इसका परिचालन बंद हो सकता है।

- समग्र प्रस्तुति, एकल वित्तीय विवरणों की रूपरेखा और विषयवस्तु, स्पष्टीकरणों सहित का मूल्यांकन करना और यह देखना कि क्या एकल वित्तीय विवरणों में लेन–देन और घटनाक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार दिया गया है या नहीं जो प्रस्तुति को निष्पक्ष बनाता हो।

  एकल वित्तीय विवरणियों में गलत बयानी के प्रभाव का आकलन करना महत्वपूर्ण है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से यह निश्चित करते हों कि इन विवरणों का उपयोग करने वालों के आर्थिक फैसलों पर असर पड़ सकता है। हम निम्नलिखित में मात्रात्मक और गुणात्मक कारणों पर विचार करते हैं।

  (i) अपने लेखांकन कार्य के दायरे को तय करने और कार्यों के परिणामों का मूल्यांकन करने में और

  (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी चिन्हित गलत बयानी के असर का आकलन करने में।

  हम अन्य बातों के अलावा लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा निष्कर्षों के बारे में उन लोगों से संपर्क करते है जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है। आंतरिक नियंत्रण में उन बड़ी खामियों के बारे में भी संपर्क किया जाता है जिन्हें लेखा परीक्षा के दौरान हमने चिन्हित किया है।

  हम संबंधित प्रशासन प्रभारियों को विवरण भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने निष्पक्षता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया है। प्रभारियों को उन सारे संबंधों और विषयों के बारे में भी बताया जाता है जिनका असर हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा नियंत्रणों पर पड़ सकता है।

  प्रशासन प्रभारियों तक संप्रेषित मुद्दों में से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और जिन्हें प्रमुख लेखा परीक्षा विषय माना जा सकता है। हम लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मुद्दों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इसके सार्वजनिक खुलासे को प्रतिबंधित न करता हो या जब अत्यधिक विरल परिस्थितयों में हम निश्चित करते हों कि ये विषय रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल प्रभाव सार्वजनिक हित पर पड़ सकता है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143, उपधारा (11) के संदर्भ में जारी कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) की अपेक्षानुसार हमने अनुलग्नक 'ए' में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट विषयों पर, जहां तक व्यवहार्य हो, विवरण दिया है।
2. भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक ने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 5 के संदर्भ में परीक्षित किए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में निर्देश जारी किया है, जिसका अनुपालन अनुलग्नक –ण्ण में दिया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि रू

   (क) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

   (ख) उपर्युक्त अर्हता प्राप्त मत के आधार में दिए गए विषय के प्रभावों को छोड़कर, हमारे मत में अधिनियम द्वारा अपेक्षित लेखा बहियों का समुचित रख–रखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि इन बहियों के परीक्षण से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्रक, लाभ–हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव संबंधी विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप है।

   (घ) उपर्युक्त अर्हता प्राप्त मत के लिए आधार पैराग्राफ में दिए गए विषय के प्रभावों को छोड़कर, हमारे मत में ये एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) विनियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित, के तहत निर्दिष्ट इंड एएस के अनुरूप हैं।

   (ड़) निर्देशकों से 31 मार्च 2020 को प्राप्त और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए लिखित बयान के आधार पर कोई भी निदेशक 31 मार्च 2020 को अधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में एक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं था।

(च) लेखा विवरणों के रख–रखाव और संबंधित योग्यता का ब्यौरा उपर्युक्त अर्हता प्राप्त मत के आधार पैराग्राफ में दिया गया है।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इन नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता के संदर्भ में अनुलग्नक–II में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(ज) अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार लेखा परीक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संदर्भ में–

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमे उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष, के दौरान अपने निदेशकों को कंपनी द्वारा भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुरूप है।

(i) कंपनी (लेखा और लेखा परीक्षक) विनियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के बारे में हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमे उपलब्ध कराये गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मामलों का प्रभाव स्पष्ट किया है– एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 25 देखें;

ii. कंपनी के पास किसी डेरिवेटिव अनुबंध सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है, जिसे लेकर किसी बड़ी हानि का पूर्वानुमान रहा हो।

iii. कंपनी निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में अंतरित की जाने वाली राशि जमा करने में आमतौर पर नियमित रही है।

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या– 001035एन/एन500050

हस्ता/–
संजय नाथ
साझेदार
सदस्यता संख्या–082700
यूडीआईएनः 20082700एएएबीएनएक्स9447

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.12.2020

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक 'I'

('अन्य विधिक और नियामक अपेक्षा रिपोर्ट' शीर्षक के तहत इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ I में उल्लिखित)

1) अपनी आवधि जमा आस्तियों के संदर्भ में :

(क) कंपनी ने सावधि जमा आस्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हुए समुचित रिकॉर्ड़ का प्रबंधन किया है।

(ख) जैसा कि हमें बताया गया, सावधि जमा आस्तियों का सत्यापन प्रबंधन द्वारा किया गया, जो हमारे मत में कंपनी के आकार तथा इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए तर्कसंगत है। इनकी पुष्टि में कोई बड़ी अनियमितता नहीं पाई गई।

(ग) लेखा परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी के पास कोई भी अचल परिसंपत्ति नहीं है।

2) आदेश के पैराग्राफ (II) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते, क्योंकि कंपनी के पास कोई स्टॉक नहीं है।

3) जैसा कि बताया गया कि, कंपनी ने कोई भी ऋण, किसी सुरक्षित या असुरक्षित कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी या अधिनियम की धारा 189 के तहत प्रबंधित पंजिका के दायरे में आने वाले अन्य पक्षों को नहीं दिए हैं, इसलिए आदेश के पैरा (iii) के प्रावधान (क), (ख) और (ग) लागू नहीं होते।

4) जैसा कि बताया गया कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5) हमारे मत में और हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या किसी अन्य संबंधित प्रावधानों के अर्थ में सार्वजनिक तौर पर कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है।

6) जैसा कि हमें बताया गया कंपनी की संचालित गतिविधियों के संदर्भ में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

7) (क) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी समुचित प्राधिकरणों के पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु और सेवाकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक व्यवहार्य बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकायों को जमा कराने में नियमित रही है। हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2020 को उपर्युक्त बकायों के संदर्भ में, भुगतान योग्य होने की तिथि से 6 महीने से अधिक अवधि की कोई भी अविवादित राशि भुगतान योग्य और बकाया नहीं थी।

(ख) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा जमा नहीं कराये गए आयकर की विवादित राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

वैधानिक कर का नाम	बकाये की प्रकृति	विवादित राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि, जिससे राशि संबंधित है (आकलन वर्ष)	फोरम जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम	आयकर	शून्य	शून्य	––

8) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया है, ब्यौरा इस प्रकार है–

लाख रुपए में

ऋणदाता का नाम	तुलनपत्रक तिथि पर जमा नहीं कराई गई किस्तों की राशि	तुलनपत्रक तिथि पर जमा नहीं कराये गए ब्याज की राशि	चूक की अवधि
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	2,66,111. 20	1,95,578.06	31 मार्च 2020

9) संचालित लेखा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने ऋण पत्रों और सावधि ऋण सहित किसी भी आईपीओ या भविष्य के सार्वजनिक निर्गम द्वारा धन एकत्र नहीं किया है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते और इसीलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

10) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास तथा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कोई भी जालसाजी या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी नहीं पाई गई।

11) हमारे मत में अधिनियम की धारा 197, अनुच्छेद ट के साथ पठित, के प्रावधानों द्वारा अधिदेशित आवश्यक अनुमोदन के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया या उपलब्ध करा दिया गया।

12) हमारे मत में कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 (XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

13) हमारे मत में, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन, जहां भी व्यवहार्य हों, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है। व्यवहार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संबंधित विवरण एकल वित्तीय विवरणों में दे दिया गया है।

14) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्राथमिकता के आधार पर आवंटन या शेयरों का निजी आवंटन या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर का आवंटन नहीं किया है इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 (XIV) के तहत रिपोर्टिंग व्यवहार्य नहीं है।

15) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों के समग्र परीक्षण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी लेन–देन नहीं किया है।

16) 22 मार्च 2012 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में बोर्ड ने आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 (I) के तहत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में कंपनी का पंजीकरण अनुमोदित कर दिया था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने एनबीएफसी के रूप में कंपनी के पंजीकरण के लिए 05.02.2016 को अनुमोदन दिया जो प्रक्रियाधीन है। हालांकि पंजीकरण लंबित होने के कारण कंपनी एनबीएफसी के लिए व्यवहार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है।

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या– 001035एन/एन500050

हस्ता/–
संजय नाथ
साझेदार
सदस्यता संख्या–082700
यूडीआईएन: 20082700एएएबीएनएक्स9447

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.12.2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक 'II'

(अन्य विधिक और नियामक अपेक्षा रिपोर्ट' शीर्षक के तहत इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 (जी) में उल्लिखित)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च 2020 की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के साथ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आवश्यक आंतरिक नियंत्रण घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तय करना, लागू करना और प्रबंधन शामिल हैं, जो व्यवसाय के सुचारू और कुशल संचालन के लिए आवश्यक हैं। कंपनी की नीतियों के अनुपालन, परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की स्टीकता और संपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समयबद्ध तैयारी भी इन जिम्मेदारियों में शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदीरी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण से संबंधित मार्गदर्शक टिप्पणी और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार संपन्न की है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए व्यवहार्य सीमा तक। ये दोनों मार्गदर्शक सिद्धांत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए व्यवहार्य हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजनाओं का अनुपालन करें और इस बारे में तर्क संगत आश्वस्ति प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और कार्यान्वित किए गए थे और क्या यह नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में कारगर ढंग से संचालित किए गए।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और इसकी संचालनगत प्रभावकारिता के बारे में लेखा प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, किसी बड़ी खामी को लेकर जोखिम का आकलन करना तथा इस आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रभावकारिता का मूल्यांकन और परीक्षण करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं एकल वित्तीय विवरणों में किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के करण हुई बड़ी गलत बयानी के जोखिमों के आकलन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखा प्रमाण कंपनी की वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारे लेखा परीक्षा मत का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनियता के बारे में तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने और सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य उद्देश्यों के लिए एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए निर्धारित की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) प्रबंधन रिकॉर्ड से संबंधित हों यानि कंपनी की आस्तियों की लेनदेन और निपटान के बारे में स्टीक और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराती होय (2) यह तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती हो कि लेनदेन सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी की आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड किए गए हैं और यह भी कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की अधिकृत अनुमति के अनुसार किए गए हैं; (3) कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान, जिसका एकल वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है की रोकथाम या समय पर पता लगाने से सबंधित तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं

किसी मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को लेकर अनुपयुक्त प्रबंधन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाओं के कारण हुई त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से बड़ी गलत बयानी होने की आशंका रहती है। इसके अलावा भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आकलन का अनुमान भी जोखिम के अधीन है। क्योंकि परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त साबित हो सकता है।

मत

हमारे मत में कंपनी के पास, सभी प्रमुख संदर्भों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या– 001035एन/एन500050

हस्ता/–
संजय नाथ
साझेदार
सदस्यता संख्या–082700
यूडीआईएनः 20082700एएएबीएनएक्स9447

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.12.2020

स्वतंत्र लेखाकार रिपोर्ट का अनुलग्नक 'III'

वर्ष 2019–20 के लिए दिल्ली पावर कंपनी लिमिडेट के वार्षिक लेखे की लेखा परीक्षा के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत दिशा–निर्देशों के अनुरूप लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

I. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखा संबंधी लेनदेन के लिए समुचित प्रणाली मौजूद है? यदि हां तो आईटी प्रणाली से बाहर लेखा की सत्यता पर एकाउंटिंग ________________ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का प्रभाव, वित्तीय ________________ प्रभावों के साथ, यदि कोई हो तो उल्लेख किया जा सकता है।

   कंपनी के पास आईटी प्रणाली के जरिये सभी लेखा लेन–देन के लिए समुचित प्रणाली उपलब्ध है।

II. क्या ऋण चुकाने की कंपनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण या उधारी/ऋण/ब्याज में कोई माफी/निरस्त किए जाने संबंधी कोई बदलाव हुआ है? यदि हां तो इसका वित्तीय असर उल्लिखित किया जा सकता है।

   कंपनी अपने सभी ऋणों के शोधन में पूरी तरह सक्षम है, किसी भी ऋणदाता द्वारा उधारी/ऋण/ब्याज में माफी/निरस्त किए जाने संबंधी कोई बदलाव नहीं हुआ है।

III. क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य राशि का समुचित लेखांकन/उपयोग, नियम और शर्तों के अनुसार उपयोग हुआ? नहीं होने के मामले स्पष्ट करें।

   केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त राशि का समुचित लेखांकन हुआ और उन नियम और शर्तों के तहत समुचित उपयोग हुआ, जिसके लिए राशि प्राप्त की गई थी।

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम

सीआईएनः यू40103डीएल2001एसजीसी111528

31 मार्च 2020 को तुलन पत्रक

(लाख रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आस्तियां			
1 **गैर वर्तमान आस्तियां**			
क) संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	2	5.68	5.33
ख) अमूर्त आस्तियां	3	0.03	0.03
ग) वित्तीय आस्तियां			
i) इक्विटी शेयर में निवेश	4	1,32,674.80	1,31,565.60
ग) अन्य गैर–वित्तीय आस्तियां	5	99,657.13	1,32,921.03
		2,32,337.64	2,64,491.99
2 **वर्तमान आस्तियां**			
(क) वित्तीय आस्तियां			
(i) नकदी और नकदी समतुल्य	6	9.84	25,740.69
(ii) बैंक शेष और जमा	7	1,21,634.10	82,897.38
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियां	8	50,525.00	52,120.33
(ख) अन्य वर्तमान आस्तियां	9	4,70,860.68	4,05,995.01
		6,43,029.62	**5,66,753.41**
कुल परिसंपत्तियां		**8,75,367.26**	**8,31,245.40**
इक्विटी और देयताएं			
1 **इक्विटी**			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	74,505.00	74,505.00
(ख) अन्य इक्विटी	11	97,937.69	85,251.03
		1,72,442.69	1,59,756.03
2 **देयताएं**			
गैर वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	12	66,527.80	99,791.70
(ii) व्यापार देयताएं			
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को	13	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से अलग अन्य को	13	16,933.98	16,933.98
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	14	1,57,709.00	1,57,708.99
		2,41,170.78	**2,74,434.67**
वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) अन्य वित्तीय देयताएं	15	4,61,689.26	3,96,954.59
(ii) व्यापार देयताएं			
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को	16	2.38	7.76
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से अलग अन्य को	16	-	-
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	17	6.93	13.32
(ग) वर्तमान कर देयता	18	55.22	79.03
		4,61,753.79	**3,97,054.70**
कुल इक्विटी और देयताएं		**8,75,367.26**	**8,31,245.40**

संलग्न टिप्पणियां 1 से 39, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एएस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
सीए संजय नाथ	**(हरशिंदर सिंह)**	**(पलक जैन)**	**(पद्मिनी सिंगला)**
साझेदार	उप महाप्रबंधक वित्त	कंपनी सचिव	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 082700			डीनः 007539635

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.12.2020

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम

सीआईएनः यू40103डीएल2001एसजीसी111528

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि विवरण

(लाख रुपये में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये
	आय			
I	संचालन से राजस्व	21	-	-
II	अन्य आय	22	14,399.94	15,039.93
III	**कुल आय (I+II)**		**14,399.94**	**15,039.93**
IV	**व्यय**			
	(क) कर्मचारी लाभ व्यय	23	217.43	209.73
	(ख) ह्रास	2 & 3	1.07	1.19
	(ग) अन्य व्यय	24	72.51	514.84
	कुल व्यय (IV)		**291.01**	**725.76**
V	**कर पूर्व लाभ/(हानि)(III–IV)**		**14,108.93**	**14,314.17**
VI	**कर व्यय**			
	(क) वर्तमान कर		1,422.27	1,011.03
	(ख) आस्थगित कर			-
VII	**कर बाद लाभ/(हानि)(V–VI)**		**12,686.66**	**13,303.14**
VIII	**अन्य व्यापक आय**			
	ए. (i) लाभ–हानि में पुनवर्गीकृत नहीं किये जाने वाले मद		-	-
	(ii) लाभ–हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किये जाने वाले मदों से संबंधित आयकर		-	-
	बी (i) लाभ–हानि में पुनःवर्गीकृत किये जाने वाले मद		-	-
	(ii) लाभ–हानि में पुनःवर्गीकृत किये जाने वाले मदों से संबंधित आयकर		-	-
			-	-
IX	**अवधि के लिये कुल व्यापक आय (VII+VIII)(लाभ हानि) शामिल**		**12,686.66**	**13,303.14**
	प्रति इक्विटी शेयर आय			
	प्राथमिक (मूल्य प्रत्येक 10 रुपये)	25	1.70	1.79
	तनुकृत (प्रत्येक 10 रुपये मूल्य का)	25	1.70	1.79

संलग्न टिप्पणियां 1 से 39, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एएस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
सीए संजय नाथ	**(हरशिंदर सिंह)**	**(पलक जैन)**	**(पद्मिनी सिंगला)**
साझेदार	उप महाप्रबंधक वित्त	कंपनी सचिव	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 082700			डीनः 007539635

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.12.2020

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम

सीआईएनः यू40103डीएल2001एसजीसी111528

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये
क. संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व कुल व्यापक आय	14,108.93	14,314.17
निम्न के लिये समायोजनः		
ह्रास	1.07	1.19
बैंको के पास सावधि जमा से ब्याज आय	(8,373.30)	(5,365.78)
सहयोगी कंपनियों में निवेश पर क्षति हानि की वापसी	(1,109.20)	(2,624.13)
लाभांश आय	(4,868.64)	(7,001.87)
देयताओं और आस्तियों में समायोजन से पहले संचालन गत आय	(241.14)	(676.42)
अन्य वित्तीय आस्तियों (वर्तमान आस्तियों) में कमी/(वृद्धि)	3,239.72	1,209.72
वर्तमान देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(11.78)	7.64
अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(129.93)	-
वर्तमान कर देयता में वृद्धि/(कमी)	(23.81)	0.00
	3,074.20	1,217.36
आयकर भुगतान योग्य	(55.22)	430.54
भुगतान किया गया अग्रिम कर	(1,367.06)	(932.00)
संचालन गत गतिविधियों से निबल नकदी प्रवाह (क)	**1,410.78**	**39.48**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शोधन योग्य संचयी प्राथमिकता शेयरों के 12 प्रतिशत का शोधन	-	24,500.00
परिसंपति, संयंत्र और उपकरण पर पूंजी व्यय	(1.43)	(1.88)
बैंकों में सावधि जमा से ब्याज आय	6,727.88	4,387.37
लाभांश आय	4,868.64	9,941.87
नकदीकृत और निवेशित सावधि जमा	(38,736.72)	(13,173.86)
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(27,141.63)**	**25,653.50**
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
वर्ष के दौरान चुकाया गया ऋण	-	-
वित्तीय गतिविधियों से निबल नकदी प्रवाह (ग)	-	-
नकदी और नकदी समतुल्य में निबल वृद्धि/और (ह्रास) (क+ख+ग)	**(25,730.85)**	**25,692.98**
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	25,740.69	47.71
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	9.84	25,740.68
तुलन पत्रक के साथ नकदी और नकदी समतुल्य का पुनर्मिलान		
तुलन पत्रक के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य	**9.84**	**25,740.68**
नकदी और नकदी समतुल्य के घटक		
बैंक शेष		
(i) चालू खाता	9.84	25,740.69
(ii) बैंको में जमा खाता		
कुल नकदी और नकदी समतुल्य	**9.84**	**25,740.69**

संलग्न टिप्पणियां 1 से 39, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एएस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
सीए संजय नाथ	**(हरशिंदर सिंह)**	**(पलक जैन)**	**(पद्मिनी सिंगला)**
साझेदार	उप महाप्रबंधक वित्त	कंपनी सचिव	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 082700			डीनः 007539635

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.12.2020

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये इक्विटी में बदलाव का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपये में)

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति यानी 31.03.2019 को शेष	वर्ष 2019–2020 के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति यानी 31.03.2020 को शेष
74,505.00	–	74,505.00

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	रिजर्व और अधिशेष (2018–19)		कुल
	पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित आय	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत यानी 1 अप्रैल 2018 को शेष	2,07,969.69	(1,36,021.80)	**71,947.89**
वर्ष के लिये लाभ (क)	-	13,303.14	**13,303.14**
अन्य व्यापक आय (ख)	-	-	**-**
वर्ष के लिये कुल व्यापक आय (क+ख)	-	13,303.14	**13,303.14**
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यानी 31 मार्च 2019 को शेष	2,07,969.69	(1,22,718.66)	**85,251.03**

(लाख रुपये में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष (2019–20)		कुल
	पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित आय	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत यानी 1 अप्रैल 2019 को शेष	2,07,969.69	(1,22,718.66)	**85,251.03**
वर्ष के लिये लाभ (क)	-	12,686.66	**12,686.66**
अन्य व्यापक आय (ख)	-	-	**-**
वर्ष के लिये कुल व्यापक आय (क+ख)	-	12,686.66	**12,686.66**
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यानी 31 मार्च 2020 को शेष	2,07,969.69	(1,10,032.00)	**97,937.69**

संलग्न टिप्पणियां 1 से 39, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एएस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
सीए संजय नाथ	**(हरशिंदर सिंह)**	**(पलक जैन)**	**(पद्मनी सिंगला)**
साझेदार	उप महाप्रबंधक वित्त	कंपनी सचिव	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 082700			डीन: 007539635

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.12.2020

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

टिप्पणी–1

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में शामिल टिप्पणियां।

क. कंपनी संबंधी जानकारी

(i) दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (कंपनी) भारत में स्थित और शेयरों से संचालित कंपनी है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है– 'शक्तिसदन, कोटला मार्ग नई दिल्ली, 110002' कंपनी दिल्ली विद्युत बोर्ड की उत्तराधिकारी कंपनी के रूप में शुरू की गई थी।

(ii) दिल्ली बिजली सुधार अधिनियम 2020 की धारा 60, धारा 15 और 16 के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली बिजली सुधार (हस्तांतरण योजना) विनियम 2001 बनाया और दिनांक 20.11.2001 की अधिसूचना संख्या एफ.11(99)2001–पावर2867 द्वारा जारी किया। इसके तहत दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) की आस्तियों, कार्यवाहियों और कर्मियों का उत्तराधिकारी कंपनियों में हस्तांतरण और इसके लिए आवश्यक नियम और शर्तों तय की गईं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 26 जून 2002 की अधिसूचना संख्या 215 के द्वारा एक जुलाई 2002 से इन नियमों को प्रभावी बनाया। इसी तिथि से दिल्ली विद्युत बोर्ड की आस्तियां और देयताएं दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड सहित उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गईं।

(iii) दिल्ली विद्युत बोर्ड की आस्तियां और देयताएं उत्तराधिकारी कंपनियों में, हस्तांतरण योजना विनियम की अनुसूची बी से जी तक अनुग्नित आरंभिक तुलनपत्रकों के अनुरूप हस्तांतरित की गई। दिल्ली विद्युत बोर्ड को समाप्त किए जाने के पहले की अवधि की देयताएं जो बाद की पांच उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित नहीं की गई थी, वे अनुसूची जी के अनुसार दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई।

(iv) कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी तीन डिस्कॉम्स– बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड तथा पारेषण केंद्र– दिल्ली ट्रांस्को लिमिडेट, उत्पादन केंद्र– इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड और कचरा प्रबंधन परियोजना के लिए गठित इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में है। कंपनी ने इन कंपनियों की कुल इक्विटी शेयर पूंजी के निम्नलिखित अनुपात में इक्विटी शेयर पूंजी का अंशदान किया है।

संस्था / कंपनी		डीपीसीएल की इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत
क)	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	49
ख)	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	49
ग)	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड	49
घ)	दिल्ली ट्रांस्को लिमिडेट	6.58
ड़)	इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	19.01
च)	इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50

ख. तैयारी का आधार

1. अनुपालन विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (कंपनी) की धारा 133, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) विनियम 2015, अद्यतन संशोधित, और अधिनियम के अन्य व्यवहार्य प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक–(इंड एएस) के अनुसार लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. मापन का आधार

वित्तीय विवरण कॉस्ट कन्वेंशन के तहत लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं। केवल कुछ वित्तीय आस्तियों और देयताओं का मापन समुचित मूल्य पर किया गया है।

3. सक्रिय और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रूपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि कंपनी की सक्रिय मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत वित्तीय जानकारी कंपनी के लिए निकटतम लाख रुपए में समायोजित की गई है।

4. आकलनों और प्रबंधकीय निर्णयों का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमानों और आकलनों की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और तुलन पत्रक तिथि पर आकस्मिक आस्तियों और देयताओं सहित आस्तियों, देयताओं के प्रतिवेदित मूल्य, आय, व्यय और संबंधित स्पष्टीकरणों पर प्रभाव डाल सके। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पूर्व अनुभव और संबंधित परिस्थियों में तर्कसंगत और विवेकपूर्ण माने गए अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। आकलनों और निहित अनुमानों की समीक्षा मौजूदा आधार पर की गई है, लेखांकन आकलनों की पुनरू समीक्षा, यदि कोई हो तो, वे उस अवधि में मान्य की जाएंगी जिसमें इन आकलनों को संशोधित किया गया था।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वर्तमान और गैर वर्तमान वर्गीकरण।

कंपनी वर्तमानध्गैर वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्रक में आस्तियों और देयताओं को दर्शाती है।

कोई आस्ति वर्तमान माना जाती है जब यह रू

– सामान्य संचालन क्रम में मान्य या बिक्री के लिए प्रस्तुत या उपयोग में लाई जाती है,
– मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है,
– रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर मान्य की जा सकती है, या
– नकदी या नकदी समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 महीने बाद किसी देयता के समायोजन के लिए प्रयुक्त या अदल–बदल के लिए प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी आस्तियां गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

कोई देयता वर्तमान मानी जाती है जब इसकेरू

– सामान्य संचालन क्रम में समायोजित होने की संभावना हो,
– मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के रखी गई हो,
– रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर समायोजित किया जाना हो, या
– रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता का समायोजन स्थगित करने का कोई अप्रतिबंधित अधिकार न हो।

अन्य सभी देयताएं गैर वर्तमान श्रेणी में रखी जाती हैं। वर्तमान देयताओं में गैर वर्तमान वित्तीय देयताओं का वर्तमान हिस्सा शामिल है।

2. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के मदों का मापन लागत रहित संचित ह्रासध्परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, के रुप में होता है। लागत में वह व्यय शामिल है जो आस्ति को स्थल तक लाने और प्रबंधन के निर्णयानुसार संचालन के लिए सक्षम बनाने में किया गया। पीपीई का कोई मद एक आस्ति के रूप में मान्य होता है यदि यह संभावना हो कि भविष्य में इससे जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकेगी।

ii) बाद में किया जाने वाला व्यय आस्ति के मौजूदा मूल्य में बढोतरी के रूप में मान्य होता है जब ये संभावना हो कि किए गए व्यय से होने वाला आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकेगी।

iii) पीपीई के किसी मद को अमान्य किया जाता जब उसके निस्तारण या उसके उपयोग से किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। अमूर्त आस्तियों को अमान्य किए जाने से होने वाला लाभ या हानि का मापन निबल निस्तारण प्रक्रिया और आस्ति के मौजूदा मूल्य के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे आस्ति के अमान्य होने पर लाभ हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

3. अमूर्त आस्तियां

i) अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त आस्तियों का मापन लागत की आरंभिक मान्यता पर किया जाता है। आरंभिक मान्यता के बाद अमूर्त आस्तियां, किसी संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मान्य की जाती है।

ii) आंतरिक उपयोग के लिए अधिगृहित सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं होने की स्थिति में), अधिग्रहण लागत पर, संचित परिशोधन और क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मान्य किए जाते हैं।

iii) अमूर्त आस्तियों का कोई मद निस्तारण के बाद या भविष्य में इसके उपयोग या निस्तारण से किसी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहने के बाद अमान्य कर दिया जाता है। किसी अमूर्त आस्ति को अमान्य किए जाने से होने वाले लाभ या हानि का मापन निबल निस्तारण प्रक्रिया और आस्ति के मौजूदा मूल्य के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे आस्ति के अमान्य होने पर लाभ–हानि विवरण में मान्य कर दिया जाता है।

4. ह्रास और परिशोधन

i) स्थाई आस्तियों में ह्रास का मापन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ᴵᴵ में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के अनुरूप सीधी रेखा विधि से किया जाता है।

ii) अमूर्त आस्तियों का परिशोधन इसके उपयोग की कानूनी अवधि या तीन वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर सीधी रेखा विधि से किया जाता है।

iii) पांच हजार रूपए मूल्य की या इससे कम की स्थायी आस्तियां, खरीद वर्ष में पूरी तरह ह्रासित कर दी जाती हैं।

5. अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और सहायक कंपनियों में निवेश

i) अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर में निवेश लागत मूल्य पर किया जाता है। इंड एएस 36 'आस्तियों की क्षति' के प्रावधानों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी किसी संकेत के निर्धारण के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर निवेश की समीक्षा की जाती है। यदि कोई ऐसा संकेत मिलता है तो क्षति हानि मान्य कर दी जाती है।

6. अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और सहायक कंपनियों में निवेश के अलावा वित्तीय आस्तियां

i) कंपनी की वित्तीय आस्तियों में नकदी और नकदी समतुल्य, बैंक बैलेंस, अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयर में निवेश, व्यापार प्राप्य, कर्मचारियोंध्ठेकेदारों को अग्रिम, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे इत्यादि शामिल होते हैं। इन आस्तियों में नकदी या कोई अन्य वित्तीय आस्ति प्राप्त करने संबंधी अनुबंध या कंपनी के लिए अनुकूल होने की स्थिति में वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देयताओं की अदला–बदली भी शामिल है। किसी वित्तीय आस्ति को तभी मान्य किया जाता है जब कंपनी अनुबंधगत प्रावधानों के तहत एक पक्ष होती है।

ii) कंपनी अपनी वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती हैय

परिशोधित मूल्य पर आकलित आस्तियां,

अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य पर आकलित आस्तियां (एफवीटीओसीआई)।

iii) सभी वित्तीय आस्तियों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य पर दर्ज न होने की स्थिति में उस वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण में लगी लागत वित्तीय आस्ति की लागत के रूप में मान्य की जाती है।

iv) उधारी का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है यदि ये दोनों शर्तें पूरी होती होंरू

– आस्ति ऐसे व्यवसाय मॉडल में हो, जिसका उद्देश्य अनुबंधगत नकदी प्रवाह के संकलन के लिए आस्ति धारित करना हो।

– आस्ति की अनुबंधगत शर्तें विशिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह में वृद्धि करती हों जो पूरी तरह से मूल राशि और मूल राशि पर बकाया ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान हो।

आरंभिक मापन के बाद इन वित्तीय आस्तियों का मापन परिशोधित लागत पर, प्रभावी ब्याजदर (ईआईआर) विधि से किया जाता है। परिशोधित लागत की संगणना किसी डिस्काउंट या प्रिमियम तथा शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न हिस्सा है। ईआईआर परिशोधन लाभ हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। क्षति के कारण होनेवाली हानि लाभ–हानि विवरण में मान्य की जाती है।

v) किसी उधारी का मापन एफवीटीओसीआई पर किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती होंरू

– व्यापार मॉडल का उद्देश्य, अनुबंधगत नकदी प्रवाह के संकलन और वित्तीय आस्ति के बिक्रय दोनों माध्यमों से पूरा होता हो, और

– आस्ति का अनुबंधगत नकदी प्रवाह, एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता हो।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर उधारी का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संबंधी गतिविधियां अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य की जाती हैं। हालांकि कंपनी ब्याज आय, क्षति हानि को लाभ–हानि विवरण में दर्शाती है। आस्ति को अमान्य किए जाने की स्थिति में संचित लाभ या हानि जो पहले ओसीआई में मान्य की गई थी, लाभ और हानि से इक्विटी में पुनरूवर्गीकृत की जाती है। इन वित्तीय आस्तियों से होने वाली ब्याज आय ईआईआर विधि से अन्य आय में शामिल की गई है।

अप) अनुषंगी, सहायक और संयुक्त उपक्रमों के अलावा अन्य कंपनियों में इक्विटी निवेश का मापन अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर किया जाता है। ये वर्गीकरण आरंभिक मान्यता पर किया गया है और बदले जाने योग्य नहीं है। एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत किसी इक्विटी के मूल्य संबंधी बदलावों को ओसीआई में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का पुनरूवर्गीकरण नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी में हस्तांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यदि कोई हो तो उसका मापन लाभ–हानि विवरण में मान्य सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर किया जाता है।

vii) किसी वित्तीय आस्ति को तभी अमान्य किया जाता है जबः

– कंपनी ने वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया हो या

– वित्तीय आस्ति का नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अनुबंधगत अधिकार बनाए रखा हो लेकिन नकदी प्रवाह का भुगतान एक या अनेक प्राप्तकर्ताओं को करने के अनुबंधगत शर्त से बंधा हो।

viii) इंड एएस 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित आस्तियों पर क्षति हानि के मापन और मान्यता के लिए अनुमानित जमा हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती हैः

– वित्तीय आस्तियां जो ऋण साधन है और परिशोधित लागत पर मापी गई हैं,

– वित्तीय आस्तियां जो ऋण साधन है और एफवीटीओसीआई पर मापी गई हैं।

7. वित्तीय देयताएं

i) कंपनी की वित्तीय देयताएं कंपनी के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में अन्य कंपनी को नकद भुगतान या अन्य वित्तीय आस्तियां देने या किसी अन्य कंपनी के साथ वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं की अदल–बदल की अनुबंधगत शर्त है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण और उधारी, व्यापार और अन्य भुगतान योग्य, प्रतिभूति जमा, धन धारिता इत्यादि आती हैं।

ii) वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य से सीधे तौर पर भुगतान योग्य लेन–देन लागत घटाकर मान्य किया जाता है। निबल लेन देन लागत और आरंभिक मान्यता पर उचित मूल्य का अंतर लाभ–हानि विवरण में या आस्ति के मौजूदा मूल्य में मान्य किया जाता है, यदि अन्य मानक प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए उधारी अवधि से इतर के लिए अनुमति देता हो।

iii) आरंभिक मान्यता के बाद वित्तीय देयताओं का मापन ईआईआर विधि से परिशोधित लागत पर किया जाता है अन्य मामलों में जब देयताएं अमान्य की जाती हैं तो लाभ और हानि को लाभ हानि विवरण में या आस्ति की

मौजूदा राशि में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक अनुमति देते हों। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रिमियम को और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है, जो ईआईआर का अभिन्न हिस्सा है। लाभ–हानि विवरण में ईआईआर परिशोधन को वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

iv) एक वित्तीय देयता तब अमान्य की जाती है जब देयता के अंतर्गत दायित्वों को पूरा कर दिया गया हो या रद्द कर दिया गया हो या उनकी अवधि समाप्त हो चुकी हो। जब कोई मौजूदा वित्तीय देयता उसी ऋणदाता के अन्य देयता से भिन्न शर्तों पर बदली जाती है या मौजूदा देयता की शर्तें संशोधित हो जाती हैं, तो इस प्रकार की अदल–बदल का संशोधन मूल देयता के अमान्यीकरण और एक नई देयता के मान्यीकरण के रूप में मानी जाती है। संबंधित मौजूदा राशि में अंतर लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

v) वित्तीय आस्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट कर दी जाती है और निबल राशि तुलनपत्रक में प्रतिवेदित की जाती है, यदि मान्य राशि को ऑफसेट करने का बाध्यकारी कानूनी अधिकार होता है और निबल आधार पर आस्तियों को मान्य करने तथा देयताओं के समायोजन की मंशा होती है।

8. राजस्व मान्यीकरण और अन्य आय

कंपनी की, 01.04.2018 से प्रभावी इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व" के तहत आने वाली कोई आय नहीं है, इसलिये कंपनी के लिये इंड एएस 115 के अनुसार लेखा में मापन और स्पष्टीकरण संबंधी अपेक्षाएं पूरी करना जरूरी नहीं है। अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व को उस सीमा तक मान्य किया गया है जहां तक उससे कंपनी को आर्थिक लाभ पाने और राजस्व के विश्वसनीय ढंग से मापन की संभावना है, चाहे भुगतान किसी भी समय किया जा रहा हो, केवल निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर जो नकदी आधार पर लेखांकित किये जाते हैं।

ii) समायोजन पर या न्यायालयध्मध्यस्थता, अर्दध न्यायिक निकायों के निर्णय के अनुसार ब्याज सहित प्राप्त दावे

iii) बीमा दावों की प्राप्ति

iv) स्क्रैप की बिक्री

v) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को चुकाया गया ब्याजध्एपीडीआरपी योजना के तहत ऋण पर डिस्कॉम्स से प्राप्त ब्याज

vi) इक्विटी शेयर पर प्राप्त लाभांश

vii) ऋण पर दंडात्मक ब्याज सहित ओवरड्यू भुगतान पर विलंब भुगतान सरचार्ज प्राप्ति आधार पर दर्ज किया जाता है।

ब्याज आय

सभी ऋण साधनों के लिये, चाहे वे अन्य व्यापक आय के जरिये परिशोधित लागत पर मापे गये हों या उचित मूल्य पर, ब्याज आय प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करते हुए दर्ज की जाती है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय साधन के अनुमानित जीवन काल या उससे कम अवधि पर, जहां उचित हो, होने वाली भविष्य की अनुमानित नकद प्राप्तियों को वित्तीय साधन की सकल मौजूदा राशि से या वित्तीय देयता के परिशोधित मूल्य से सटीक ढंग से घटाता हो। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय कंपनी वित्तीय साधन की सभी अनुबंधगत शर्तों (उदाहरण के लिये पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और समान विकल्प) पर विचार करते हुए अनुमानित नकदी प्रवाह का आकलन करती है, लेकिन अनुमानित जमा हानि पर विचार नहीं करती। लाभ हानि विवरण में ब्याज आय अन्य आय में शामिल की जाती है।

लाभांश

लाभांश आय तब मान्य की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है जो सामान्य रूप से शेयर धारकों द्वारा लाभांश के अनुमोदन से होता है।

9. सरकारी अनुदान

प्रमोटर के अंशदान के रूप में सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता पूंजीगत रिजर्व मानी जाती है।

जहां सरकारी अनुदान सकल मूल्य पर प्रस्तुत आस्ति से जुड़ा होता है, वहां वह लाभ–हानि विवरण में आस्ति के उपयोगी जीवन पर आय के रूप में मान्य होता है। जो अनुदान कंपनी द्वारा किये गये व्यय की क्षतिपूर्ति के लिये होते हैं वे उस अवधि में मान्य होते हैं जिसमें व्यय किया गया।

10. नकदी और नकदी समतुल्य तथा बैंक शेष और जमा

तुलन पत्रक में नकदी और नकदी समतुल्य तथा बैंक शेष और जमा में बैंक में रखी और पास में उपलब्ध नकद राशि तथा तीन महीने से कम की वास्तविक परिपक्वता अवधि वाले लघु अवधि जमा शामिल होते हैं, जिनके मूल्य में बदलाव का जोखिम नहीं के बराबर होता है। तीन महीने से अधिक की वास्तविक परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा सहित बैंक शेष अलग से बैंक शेष के तहत दर्शाये जाते हैं।

11. प्रावधान और आपात देयताएं

कोई प्रावधान तब मान्य किया जाता है जब किसी पिछली घटना के कारण कंपनी की मौजूदा कानूनी या रचनात्मक दायित्व हो जिसका विश्वसनीय ढंग से आकलन किया जा सकता हो, और यह संभावित हो कि इस दायित्व के समायोजन के लिये आर्थिक लाभ का बहिर्गमन जरूरी होगा। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो, तो प्रावधानों का निर्धारण कर पूर्व दर पर भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह को निकाल कर किया जाता है जो धन के समय मूल्य का मौजूदा बाजार आकलन और देयता के लिये जोखिम विशेष दर्शाता है। जब कटौती का उपयोग किया जाता है तो समय गुजरने के साथ प्रावधान में वृद्धि वित्तीय लागत के रूप में दर्शायी जाती है।

जब किसी प्रावधान के समायोजन के लिये आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से वसूले जाने की संभावना होती है तो प्राप्य को एक आस्ति के रूप में मान्य किया जाता है यदि यह निश्चित प्रतीत होता हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जायेगी और प्राप्य राशि विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकेगी। प्रावधान से संबंधित लागत, किसी भी प्रतिपूर्ति से निबल, लाभ– हानि विवरण में दर्शायी जाती है।

आपात देयताएं लेखा में टिप्पणी या इन देयताओं की राशि के जरिये स्पष्ट की जाती है।

12. कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ

डीपीसीएल में कार्यरत कर्मचारी डीटीएल ध्आईपीजीसीएल से या तो स्थानांतरित या प्रतिनियुक्ति आधार पर हैं। कंपनी इन्हें वेतन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, एलटीसी, अवकाश वेतन, पेंशन अंशदान आदि का भुगतान डीटीएल द आईपीजीसीएल को प्रतिपूर्तिध समायोजन के जरिये कर रही है। कंपनी में प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के लिये अंशदान का भुगतान संबंधित मूल विभागध्कंपनी को किया जा रहा है। चूंकि कंपनी का अपना कोई नियमित कर्मचारी नहीं है, इसलिये कंपनी में सेवा निवृत्ति लाभ की कोई नीति नहीं बनायी गयी है।

13. पूर्व अवधि व्यय

पूर्व वर्षों के प्रत्येक संदर्भ में 25,000 रुपये तक का आय/व्यय मौजूदा वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

14. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर प्राथमिक आय की संगणना, कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को होने वाले निबल लाभ या हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत आय में प्रति शेयर प्राथमिक आय के निर्धारण में प्रयुक्त आंकड़ों का समायोजन किया जाता है ताकि ब्याज के कर बाद प्रभाव और तनुकृत किये जा सकने वाले इक्विटी शेयर से जुड़े अन्य वित्तीय लागत, तथा अतिरिक्त इक्विटी शेयर की औसत संख्या, जो तनुकृत किये जा सकने वाले शेयरों के बदलाव के कारण बकाया रह सकते थे, को ध्यान में रखा जा सके।

15. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण इंड एएस–7 "नकदी प्रवाह विवरण " में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

16. स्थायी आस्तियों की क्षति

गैर– वित्तीय आस्तियां

अमूर्त आस्तियां और परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यांकन प्रतिलब्धता के लिये तब किया जाता है जब घटनाक्रम या परिस्थितियों में बदलाव संकेत करते हैं कि उनकी वर्तमान राशि की वसूली संदिग्ध है। क्षतिगत परीक्षण के उद्देश्य से वसूलीयोग्य राशि (जैसे बिक्री लागत और उपयोग मूल्य को घटाकर अधिकतम उचित मूल्य) का निर्धारण एक अलग आस्ति आधार पर होता है जबतक कि वह आस्ति अन्य आस्तियों से बड़े पैमाने पर स्वतंत्र नकदी प्रवाह का सृजन न करती हो। ऐसे मामलों में वसूली योग्य राशि का निर्धारण सीजीयू के लिये होता है जिससे कि वह आस्ति संबंधित है।

यदि ऐसी आस्तियां क्षतिग्रस्त निर्धारित की जाती हैं तो लाभ–हानि विवरण में दर्शायी जाने वाली क्षति का मापन उस राशि से किया जाता है जितनी राशि से आस्ति का वास्तविक मूल्य उसके अनुमानित वसूली योग्य मूल्य से अधिक होता है। यदि वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन होता है तो लाभ–हानि विवरण में क्षति हानि पलट दी जाती है। आस्ति का मूल्य उसके संशोधित वसूली योग्य मूल्य तक बढ़ा दिया जाता है, लेकिन यह राशि आस्ति के उस मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिये जो पहले के वर्षों में कोई क्षति हानि नहीं होने पर (किसी संचित परिशोधन या ह्रास से निबल) निर्धारित किया जाता।

वित्तीय आस्तियां

कंपनी उन वित्तीय आस्तियों के लिये हानि भत्तों को अनुमानित जमा हानि (ईसीएल) मॉडल अपनाकर मान्य करती है जिनका लाभ या हानि के जरिये उचित मूल्यांकन नहीं हुआ है।

उन व्यापार प्राप्यों का मापन, जिनमें कोई महत्वपूर्ण घटक नहीं है, लाइफ टाईम ईसीएल के बराबर राशि पर किया जाता है। अन्य सभी वित्तीय आस्तियों के लिये अनुमानित जमा हानि का मापन 12 महीने के ईसीएल के बराबर राशि पर किया जाता है।

17. कराधान

आय कर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल होता है। वर्तमान कर व्यय लाभ या हानि में मान्य किया जाता है, उस सीमा को छोड़कर जहां यह सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में दर्ज मदों से या इक्विटी से संबंधित होता है, इस स्थिति में यह ओसीआई या इक्विटी में मान्य होता है।

वर्तमान कर वर्ष के लिये कर योग्य आय पर भुगतान योग्य अनुमानित कर है। इसकी गणना लागू कर दर या बाद में लागू और रिपोर्टिंग तिथि पर व्यवहार्य दर और पिछले वर्षो के किसी भुगतान योग्य कर के समायोजन से की जाती है।

आस्थगित कर तुलन पत्रक विधि का उपयोग करते हुए मान्य किया जाता है, वित्तीय रिपोर्टिंग के लिये आस्तियों और देयताओं की वर्तमान राशि और कराधान के लिये प्रयुक्त राशि के बीच के अस्थायी अंतर का प्रावधान करते हुए। अनावशोषित संचित हानियों का लाभ, जिसे आयकर विभाग तय करता है, आस्थगित कर माना जाता है। आस्थगित कर का मापन, लागू या रिपोर्टिंग तिथि पर लागू होने वाले कानूनों के आधार पर, उन दरों पर होता है जिन्हें अस्थायी अंतरों पर लागू किये जाने की संभावना होती है। आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं ऑफसेट हो जाती हैं यदि वर्तमान कर देयता और आस्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी बाध्यकारी अधिकार होता है और वे उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाये गये आय करों से संबंधित होती हैं।

आस्थगित कर लाभ या हानि में मान्य किया जाता है, उस सीमा को छोड़कर जहां यह सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में दर्ज मदों से या इक्विटी से संबंधित होता है, इस स्थिति में यह ओसीआई या इक्विटी में मान्य होता है।

आस्थगित कर आस्ति उस सीमा तक मान्य की जाती है जहां यह संभव हो कि भविष्य में करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसपर अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर आस्ति के लिये अनावशोषित हानि और क्षति की राशि पर केवल तभी विचार किया जाता है जब इस राशि का अंतिम आकलन आयकर विभाग द्वारा किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर आस्तियों की समीक्षा की जाती है और इसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि संबंधित कर लाभ मान्य होने की कोई संभावना नहीं रह जाती।

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों का टिप्पणी भाग

टिप्पणी 2. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण – गैर वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कम्प्यूटर	एयर कंडीशनर	मोबाईल फोन	ब्रीफ केस	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	
समग्र ब्लॉक								
1 अप्रैल 2019 को	**26.66**	**4.33**	**3.40**	**18.94**	**3.64**	**0.25**	**0.33**	**57.55**
योग	-	-	-	1.31	-	0.08	0.04	**1.43**
निस्तारण	-	-	0.01	-	-	-	-	**0.01**
31 मार्च 2020 को	**26.66**	**4.33**	**3.39**	**20.25**	**3.64**	**0.33**	**0.37**	**58.97**
ह्रास								
1 अप्रैल 2019 को	**25.06**	**4.12**	**3.04**	**18.63**	**0.87**	**0.17**	**0.33**	**52.22**
अवधि के लिये प्रभार	0.17	-	0.05	0.12	0.65	0.04	0.04	**1.07**
निरसन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च 2020 को	**25.23**	**4.12**	**3.09**	**18.75**	**1.52**	**0.21**	**0.37**	**53.29**
निबल खंड								
31 मार्च 2019 को	**1.60**	**0.21**	**0.36**	**0.31**	**2.77**	**0.08**	**-**	**5.33**
31 मार्च 2020 को	**1.43**	**0.21**	**0.30**	**1.50**	**2.12**	**0.12**	**(0.00)**	**5.68**

टिप्पणी 3. अमूर्त आस्तियां– गैर वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल खंड	
1 अप्रैल 2019 को	**0.93**
योग	-
निस्तारण	-
31 मार्च 2020 को	**0.93**
ह्रास / परिशोधन	
1 अप्रैल 2019 को	**(0.90)**
अवधि के लिये प्रभार	-
निरस्ती करण/समायोजन	**-**
31 मार्च 2020 को	**(0.90)**
निवल खंड	
31 मार्च 2019 को	**0.03**
31 मार्च 2020 को	**0.03**

3.1 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की राशि, कंपनी द्वारा लगातार उपयोग में लाये जाने पर अपने परिरक्षित मूल्य पर रहती है।

टिप्पणी 4. इक्विटी शेयर में निवेश – गैर वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	%	इकाईयां	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अनुषंगी कंपनी के शेयरों में निवेश–(अनुदधृत, पूर्ण चुकता)				
(i) इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लि. (रु. 10/–प्रत्येक शेयर)	19.01	140000000	14000.00	14000.00
(ii) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड. (रु. 10/–प्रत्येक शेयर)	6.58	260000000	26000.00	26000.00
(iii) बीएसईएस यमुना पावर लि. (रु. 10/–प्रत्येक शेयर)	49.00	272440000	27244.00	27244.00
(iv) बीएसईएस राजधानी पावर लि. (रु. 10/–प्रत्येक शेयर)	49.00	509600000	50960.00	50960.00
(v) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. (रु. 10/–प्रत्येक शेयर) (इसमें 901,60,000 बोनस शेयर शामिल है)	49.00	270480000	18032.00	18032.00
(vi) इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लि. (रु. 10/–प्रत्येक शेयर)	0.00			
	50.00	50000	5.00	5.00
घटाएं : डीटीएल में निवेश पर क्षति हानि			(3,561.20)	(4,670.40)
घटाएं : आईडबल्यूएमसीएल में निवेश पर क्षति हानि			(5.00)	(5.00)
कुल			**1,32,674.80**	**1,31,565.60**

4.1 इंड एएस 28 के अनुसार क्रम संख्या (iii), (iv), (v) और (vi) की कंपनियां डीपीसीएल की सहयोगी कंपनियां हैं। डीपीसीएल की इन कंपनियों के कुल इक्विटी शेयर में 20 प्रतिशत या अधिक की शेयर धारिता के जरिये वोटिंग पावर है। क्रम संख्या (i) और (ii) की कंपनियां एसोसिएट कंपनियां हैं और डीपीसीएल का इन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।

टिप्पणी 5. अन्य गैर वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
वसूली योग्य बकाया–असुरक्षित लेकिन अच्छे समझे गए		
i. दिल्ली विद्युत बोर्ड के विघटन से पहले का वसूली योग्य बकाया	44,653.30	44,653.30
घटाएं: फंसे और संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	(11,523.97)	(11,523.97)
	33,129.33	33,129.33
ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य सीपीएसयू बकाया (डेसू अवधि)	66,527.80	99,791.70
कुल	**99,657.13**	**1,32,921.03**

5.1 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार डेसू अवधि का सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को चुकाये जाने वाली बिजली खरीद लागत देयता का भुगतान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया जाना था जिसके लिये भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को 3,32,639 लाख रुपये का ऋण स्वीकृतध्संवितरित किया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये कंपनी को यह ऋण 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर जारी कर दिया। इस ऋण को 31 मार्च 2014 से दस बराबर किस्तों में चुकाया जाना था। चूंकि कंपनी कोई वाणिज्यिक राजस्व सृजित नहीं करती इसलिये वह तय भुगतान रूपरेखा के अनुसार ऋण देयता के भुगतान में सक्षम नहीं हुई और कंपनी के जिम्मे 31.03.2020 को 66,527.80 लाख रुपये (पिछले वर्ष 99,791.70 लाख रुपये) बकाया हैं। हांला कि कंपनी की राय में डीईएसयू अवधि का सीपीएसयू बकाया हस्तांतरण योजना नियमों के अनुसार कंपनी की देयता का हिस्सा नहीं था, इसलिये कंपनी ने यह मामला, बकाया राशि को दिल्ली सरकार से गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग मानने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार इस ऋण को रद्द करने और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में एक मुश्त अनुदान में बदलने के लिये केंद्र सरकार से लगातार संपर्क कर रही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि इस राशि को दिल्ली सरकार के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल देने से डीपीसीएल के खाते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य दिखाई गयी यह राशि अपने आप दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल जायेगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने 18.04.2017 को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय को फिर इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव को दिनांक 21.10.2020 को डीओ पत्र भी भेजा है।इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लंबित अनुमोदन के कारण कंपनी इस ऋण राशि को ब्याज सहित बकाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अग्रिम के रूप में वसूली योग्य दिखला रही है, जिसे इस टिप्पणी और टिप्पणी –9 में 'अन्य वर्तमान आस्तियों' के रूप में दर्शाया गया है। इसे देखते हुए लेखा में ऋण की बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

5.2 संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को छोडकर 44,653.30 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष 44,653.30 लाख) उपभोक्तातओं–घरेलू/औद्योगिक और सरकारी विभागध्कंपनियों से वसूली योग्य दिल्ली विद्युत बोर्ड के विभाजन से पहले की अवधि के बिजली शुल्क को दर्शाती है। जहां 28,682.80 लाख रुपये (पिछले वर्ष 28,682.80 लाख) सरकारी विभागों/कंपनियों से वसूली योग्य है वहीं 15,970.50 लाख रुपये (पिछले वर्ष 15,970.50 लाख) अन्य घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं से वसूली योग्य हैं। इन बकाया राशियों की वसूली का प्रयास अदालतों और अन्य अर्द्ध न्यायिक फोरम और तीन डिस्कॉम्स के हस्तक्षेप से किया जा रहा है। हालांकि अधिशेष विलंब भुगतान प्रभार राशि, पुष्टि और समायोजन के अधीन है, जिसकी प्रक्रिया जारी है और सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद आवश्यक समायोजन कर लिया जायेगा।

टिप्पणी 6. नकदी और नकदी समतुल्य

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
बैंको में अधिशेष		
चालू खाते में	9.84	25,740.69
कुल	**9.84**	**25,740.69**

6.1 नकदी और नकदी समतुल्य उचित मूल्य होने से परिशोधित मूल्य पर लिया गया है।

टिप्पणी 7. बैंक अधिशेष और जमा

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
बैंको में अधिशेष		
जमा खाते में (एफडीआर)	1,21,634.10	82,897.38
कुल	**1,21,634.10**	**82,897.38**

टिप्पणी 8. अन्य वित्तीय आस्तियां– वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i) जमा पर प्रोद्भूत ब्याज		
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन एफडीआर पर बकाया नहीं	4,806.75	3,161.33
ब्याज प्रोद्भूत और ऋण–आईपीजीसीएल पर बकाया	-	3,023.32
(i) अग्रिम–अन्य		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य	5.72	5.72
डीटीएल से वसूली योग्य	17,808.40	18,025.83
आईपीजीसीएल से वसूली योग्य	8,011.61	8,011.61
बीएसईएस– आरपीएल से वसूली योग्य	12,293.81	12,293.81
बीएसईएस– वाईपीएल से वसूली योग्य	5,579.89	5,579.89
टीपीडीडीएल से वसूली योग्य	2,018.82	2,018.82
कुल	**50,525.00**	**52,120.33**

8.1 अग्रिम अन्य के तहत दर्शायी गयी राशि में दिल्ली विद्युत बोर्ड के विभाजन से पहले किये गये कार्यों के लिये ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के दावों पर भुगतान के लिये कंपनी से जारी बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल, डीटीएल और आईपीजीसीएल से वसूली योग्य क्रमशः 9,258.52 लाख, 3,441.41 लाख, 1,319.24 लाख, 12,210.63 लाख और 119.55 लाख रुपये की राशि शामिल है। कानूनी मत के अनुसार ये राशि इन कंपनियों से, 2010 में के.आर.जैन मामले में दिये गये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप, वसूली योग्य हैं। कंपनी ने बकायों की वसूली के लिये बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है। समान प्रबंधन के तहत सरकारी कंपनियां होने के नाते डीटीएल और आईपीजीसीएल से वसूली का काम कंपनी सीधे देख रही है। अग्रिम अन्य के तहत दर्शाये गये शेष में, दिल्ली विद्युत बोर्ड को समाप्त किये जाने की तिथि पर कंपनी को स्थानांतरित 19,363.18 लाख रुपये की राशि भी शामिल है, जो समायोजन/पुष्टि के अधीन है, जिसकी प्रक्रिया जारी है और आवश्यक समायोजन सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन और समाधान के तहत किया जायेगा।

8.2 वित्तीय आस्तियां उचित मूल्य होने से परिशोधित मूल्य पर ली गयी है।

टिप्पणी 9. अन्य वित्तीय आस्तियां

(लाख रुपये मे)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
1. सीपीएसयू बकाये (डीईएसयू अवधि) पर रा.रा.क्षे.दि.स. से वसूली योग्य अग्रिम	2,66,111.20	2,32,847.30
2. सीपीएसयू (डीईएसयू अवधि) पर रा.रा.क्षे.दि.स. से वसूली योग्य राशि पर ब्याज	1,95,578.06	1,63,977.36
3. वसूली योग्य अग्रिम	8,116.10	8,116.10
4. रिफंड योग्य आयकर	1,055.32	1,054.25
कुल	**4,70,860.68**	**4,05,995.01**

9.1 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को भुगतान योग्य डीईएसयू अवधि की बिजली खरीद देयता का निर्वहन रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किया जाना था, और इसके लिये भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को 3,32,639 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत/संवितरित किया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये यह ऋण 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कंपनी को संवितरित कर दिया और 31 मार्च 2014 से 10 समान किस्तों में ऋण चुकाने का निर्देश दिया। चूंकि कंपनी कोई वाणिज्यिक राजस्व सृजित नहीं करती इसलिये वह तय भुगतान रूपरेखा के अनुसार ऋण देयता के भुगतान में सक्षम नहीं हुई और कंपनी के जिम्मे 31.03.2020 को 66,527.80 लाख रुपये (पिछले वर्ष 99,791.70 लाख रुपये) बकाया हैं। हांला कि कंपनी की राय में डीईएसयू अवधि का सीपीएसयू बकाया हस्तांतरण योजना नियमों के अनुसार कंपनी की देयता का हिस्सा नहीं था, इसलिये कंपनी ने यह मामला, बकाया राशि को दिल्ली सरकार से गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग मानने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार इस ऋण को रद्द करने और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में एक मुश्त अनुदान में बदलने के लिये केंद्र सरकार से लगातार संपर्क कर रही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि इस राशि को दिल्ली सरकार के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल देने से डीपीसीएल के खाते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य दिखाई गयी यह राशि अपने आप दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल जायेगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने 18.04.2017 को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय को फिर इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव को दिनांक 21.10.2020 को डीओ पत्र भी भेजा है। इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लंबित अनुमोदन के कारण कंपनी इस ऋण राशि को ब्याज सहित बकाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अग्रिम के रूप में वसूली योग्य दिखला रही है, जिसे इस टिप्पणी और टिप्पणी –5 में 'अन्य गैर वर्तमान आस्तियों' के रूप में दर्शाया गया है। इसे देखते हुए लेखा में ऋण की बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

9.2 8,1116 लाख रुपये (पिछले वर्ष 8,1116 लाख) की राशि वसूली योग्य अग्रिम को दर्शाती है जो दिल्ली विद्युत बोर्ड को समाप्त किये जाने की तिथि पर कंपनी को स्थानांतरित हुई थी। हांलाकि अधिशेष समायोजनध्पुष्टि के अधीन है, जिसकी प्रक्रिया जारी है और आवश्यक समायोजन सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन और समाधान के तहत किया जायेगा

टिप्पणी 10. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अधिकृत शेयर पूंजी		
प्रति 10 रुपये का इक्विटी शेयर	1,50,000.00	1,50,000.00
	1,50,000.00	**1,50,000.00**
जारी, सब्सक्राईब्ड और भुगतान की गयी पूंजी		
प्रति 10 रु. इक्विटी शेयर, पूर्ण चुकता	74,505.00	74,505.00
कुल	**74,505.00**	**74,505.00**

शेयरों की संख्या का मिलान

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में बचे शेयर	74,50,50,000	74,50,50,000
अवधि के दौरान योग		-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बचे शेयर	**74,50,50,000**	**74,50,50,000**

शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी के पास प्रत्येक 10 रुपये मूल्य का केवल एक ही श्रेणी का शेयर है। प्रत्येक शेयर धारक को समान वोटिंग, पूंजी और अन्य अधिकार हैं। शेयर धारक लाभांश प्राप्त करने और शेयर धारकों की बैठक में अपनी शेयर धारिता के अनुपात में वोटिंग अधिकार का पात्र है। निदेशक मंडल की अनुशंसा के बिना शेयरधारकों को कोई भी लाभांश या निधि लौटाने के अन्य साधनों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर धारकों को वितरित किये जाने के लिये मान्य प्रति शेयर लाभांश की राशि 'शून्य' थी।

कंपनी में कुल शेयर के 5% से अधिक धारिता वाले शेयरधारकों के शेयरों का विवरण:

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
शेयरों की संख्या	74,50,50,000	74,50,50,000
दिल्ली के उपराज्यपाल और नामिती निदेशकः रा.रा.क्षे.दि.स.के कर्मचारी	100%	100%

टिप्पणी 11. अन्य इक्विटी

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
पूंजी रिजर्व		
रा.रा.क्षे.दि.स.से सहायता अनुदान		
31 मार्च 2020 को शेष	2,07,969.69	2,07,969.69
	2,07,969.69	**2,07,969.69**
बहाल आमदनी		
आरंमिक शेष	(1,22,718.66)	(1,36,021.80)
जोड़ः वर्ष के लिये लाभ	12,686.66	13,303.14
	(1,10,032.00)	**(1,22,718.66)**
कुल	**97,937.69**	**85,251.03**

टिप्पणी 12. गैर वर्तमान देयताएं– वित्तीय देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
ऋणध्उधारी–असुरक्षित		
(i) रा.रा.क्षे.दि.स, सीपीएसयू बकाया (डीइएसयू अवधि)	3,32,639.00	3,32,639.00
घटायेः उधारी की वर्तमान परिपक्वता	(2,66,111.20)	(2,32,847.30)
कुल	**66,527.80**	**99,791.70**

12.1 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को भुगतान योग्य डीईएसयू अवधि की बिजली खरीद देयता का निर्वहन रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किया जाना था, और इसके लिये भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को 3,32,639 लाख रुपये का ऋण स्वीकृतध्संवितरित किया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये यह ऋण 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कंपनी को संवितरित कर दिया और 31 मार्च 2014 से 10 समान किस्तों में ऋण चुकाने का निर्देश दिया। चूंकि कंपनी कोई वाणिज्यिक राजस्व सृजित नहीं करती इसलिये वह तय भुगतान रूपरेखा के अनुसार ऋण देयता के भुगतान में सक्षम नहीं हुई और कंपनी के जिम्मे 31.03.2020 को 66,527.80 लाख रुपये (पिछले वर्ष 99,791.70 लाख रुपये) बकाया हैं। हांला कि कंपनी की राय में डीईएसयू अवधि का सीपीएसयू बकाया हस्तांतरण योजना नियमों के अनुसार कंपनी की देयता का हिस्सा नहीं था, इसलिये कंपनी ने यह मामला, बकाया राशि को दिल्ली सरकार से गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग मानने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार इस ऋण को रद्द करने और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में एक मुश्त अनुदान में बदलने के लिये केंद्र सरकार से लगातार संपर्क कर रही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि इस राशि को दिल्ली सरकार के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल देने से डीपीसीएल के खाते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य दिखाई गयी यह राशि अपने आप दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल जायेगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने 18.04.2017 को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय को फिर इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव को दिनांक 21.10.2020 को डीओ पत्र भी भेजा है। इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लंबित अनुमोदन के कारण कंपनी इस ऋण राशि को ब्याज सहित बकाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अग्रिम के रूप में वसूली योग्य दिखला रही है, जिसे इस टिप्पणी और टिप्पणी–5 और टिप्पणी– 9 में दर्शाया गया है। इसे देखते हुए लेखा में ऋण की बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

12.2 उधारियां उचित मूल्य होने से परिशोधित मूल्य पर ली गयी है।

टिप्पणी 13. व्यापार भुगतान योग्य/ऋणदाता–गैर वर्तमान देयताएं

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
व्यापार भुगतान योग्य		
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को दाय	-	-
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के अलावा अन्य को दाय	16,933.98	16,933.98
कुल	**16,933.98**	**16,933.98**

13.1 दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) समाप्त किये जाने पर पांच उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित किये जाने के बाद रह गयीं डीवीबी की सभी आस्तियां और देयताएं दिल्ली बिजली सुधार (हंस्तातरण योजना) विनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा ले ली गयीं थीं। इसके अनुसार फुटकर ऋणदाताओं (डीवीबी अवधि) के प्रति देयता राशि 16,933.98 लाख रुपये, डीवीबी से ली गयी देयताओं की राशि है जो समायोजनध्पुष्टि के अधीन है। समाधान प्रक्रिया जारी है और सक्षम प्राधिकरण के समाधानध्अनुमोदन द्वारा आवश्यक समायोजन किया जायेगा।

13.2 व्यापार भुगतान योग्य/ऋणदाताओं को उचित मूल्य होने के कारण परिशोधित मूल्य पर रखा गया है।

टिप्पणी 14. अन्य वित्तीय देयताएं– गैर वर्तमान देयताएं

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अन्य		
(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	1,57,709.00	1,57,708.99
कुल	**1,57,709.00**	**1,57,708.99**

14.1 दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) समाप्त किये जाने पर पांच उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित किये जाने के बाद रह गयीं डीवीबी की सभी आस्तियां और देयताएं दिल्ली बिजली सुधार (हंस्तातरण योजना) विनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा ले ली गयीं थीं। इसके अनुसार रा.रा.क्षे.दि.स. को भुगतान योग्य राशि, जैसा कि उपर दर्शाया गया है, सौदेध्आपतन का निबल प्रभाव व्यक्त करती है और वसूली योग्य नहीं श्रेणी की विभिन्न आस्तियों और भुगतान योग्य नहीं श्रेणी की वर्तमान देयताएं/फुटकर ऋणदाताओं को रद्द किया जाना आवश्यक बनाती है क्योंकि ये सौदे/आपतन कंपनी के दायित्व नहीं हैं। हालांकि रा.रा.क्षे.दि.स. को भुगतान योग्य दर्शायी गयी राशि कंपनी और रा.रा.क्षे.दि.स. के विद्युत विभाग के बीच पुष्टि/समाधान के अधीन है। समाधान प्रक्रिया जारी है और सक्षम प्राधिकरण के समाधानध्अनुमोदन द्वारा आवश्यक समायोजन किया जायेगा।

टिप्पणी 15. अन्य वित्तीय देयताएं–वर्तमान

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(a) दीर्घावधि उधारियों की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 12 देखें)	2,66,111.20	2,32,847.30
(b) रा.रा.क्षे.दि.स.को भुगतानयोग्य सीपीएसयू बकाया(डीईएसयू अवधि) के लिये उधारियों पर प्रोद्भूत ब्याज	1,95,578.06	1,63,977.36
(c) एपीडीआरपी के लिये ऋण पर रा.रा.क्षे.दि.स.को भुगतान योग्य	-	129.93
कुल	**4,61,689.26**	**3,96,954.59**

15.1 129.93 लाख रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2004–05 में डीपीसीएल से भुगतान योग्य 621.38 लाख रुपये के एपीडीआरपी ऋण के ब्याज पर बीआरपीएल/बीवाईपीएल द्वारा वसूले गये टीडीएस के लिये रा.रा.क्षे.दि.स. को भुगतान की जानी थी, जिसे डीपीसीएल ने उसी वित्तीय वर्ष में, उसी वित्तीय वर्ष की कर देयता में दर्शाया। चूंकि कंपनी ने 31 मार्च 2019 के बाद आयकर विभाग से रिफंड प्राप्त कर लिया था, इसलिये डीपीसीएल द्वारा मई 2019 में 129.93 लाख रुपये की राशि का भुगतान रा.रा.क्षे.दि.स. को कर दिया गया।

15.2 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को भुगतान योग्य डीईएसयू अवधि की बिजली खरीद लागत की देयता का निर्वहन रा.रा.क्षे.दि.स.द्वारा किया जाना था और इसके लिये भारत सरकार ने रा.रा. क्षे.दि.स. को 3,32,639 लाख रुपये का ऋण स्वीकृतध्संवितरित किया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये यह ऋण 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कंपनी को संवितरित कर दिया। यह ऋण 31 मार्च 2014 से 10 समान किस्तों में चुकाया जाना था। चूंकि कंपनी कोई वाणिज्यिक राजस्व सृजित नहीं करती इसलिये वह तय भुगतान रूपरेखा के अनुसार ऋण देयता के भुगतान में सक्षम नहीं हुई और कंपनी के जिम्मे 31.03.2020 को 2,66,111.20 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2,32847.30 लाख रुपये) बकाया हैं। हांला कि कंपनी की राय में डीईएसयू अवधि का सीपीएसयू बकाया हस्तांतरण योजना नियमों के अनुसार कंपनी की देयता का हिस्सा नहीं था, इसलिये कंपनी ने यह मामला, बकाया राशि को दिल्ली सरकार से गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग मानने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार इस ऋण को रद्द करने और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में एक मुश्त अनुदान में बदलने के लिये केंद्र सरकार से लगातार संपर्क कर रही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि इस राशि को दिल्ली सरकार के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल देने से डीपीसीएल के खाते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य दिखाई गयी यह राशि अपने आप दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल जायेगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने 18.04.2017 को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय को फिर इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव को दिनांक 21.10.2020 को डीओ पत्र भी भेजा है। इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लंबित अनुमोदन के कारण कंपनी इस ऋण राशि को ब्याज सहित बकाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अग्रिम के रूप में वसूली योग्य दिखला रही है, जिसे टिप्पणी–5 और टिप्पणी–9 में दर्शाया गया है। इसे देखते हुए लेखा में ऋण की बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

15.3 अन्य वित्तीय देयताएं चालू वित्तीय वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर होने के कारण परिशोधित मूल्य पर ली गयी है।

टिप्पणी 16. व्यापार भुगतान योग्य

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
व्यापार भुगतान योग्य		
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को दाय	2.38	7.76
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के अलावा अन्य को दाय	-	-
कुल	**2.38**	**7.76**

टिप्पणी– 17. अन्य वर्तमान देयताएं

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
व्यय भुगतान योग्य	2.11	7.20
लेखा परीक्षक पारिश्रमिक भुगतानयोग्य	3.91	4.60
सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि	0.05	0.05
वैधानिक देयताएं		
टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर	0.15	0.18
टीडीएस वैधानिक/पेशेवर	0.68	1.09
प्रतिप्रभार के अंतर्गत जीएसटी	0.03	0.19
कुल	**6.93**	**13.32**

टिप्पणी 18.वर्तमान कर देयताएं

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
वर्ष के लिये मैट देयता	1,422.28	1,011.03
घटायेः चुकाया गया अग्रिम कर	(1,367.06)	(932.00)
कुल	**55.22**	**79.03**

टिप्पणी 19– उचित मूल्य के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अन्य वित्तीय आस्तियां (टिप्पणी 8 देखें)	50,525.00	52,120.33
नकदी और नकदी समतुल्य (टिप्पणी 6 देखें)	9.84	25,740.69
नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंकशेष (टिप्पणी 7 देखें)	1,21,634.10	82,897.38
कुल	**1,72,168.94**	**1,60,758.40**

टिप्पणी 20– उचित मूल्य के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
गैर वर्तमान देयताएं–वित्तीय देयताएं (हानि/उधारी–टिप्पणी 12 देखें)	66,527.80	99,791.70
भुगतान दायध्ऋण दाता (टिप्पणी 13 देखें)	16,933.98	16,933.98
अन्य वित्तीय देयताएं– गैर वर्तमान देयता (टिप्पणी 14 देखें)	1,57,709.00	1,57,708.99
अन्य वित्तीय देयताएं– वर्तमान देयता (टिप्पणी 15 देखें)	4,61,689.26	3,96,954.59
व्यापार भुगतान योग्य (टिप्पणी 16 देखें)	2.38	7.76
कुल	**7,02,862.42**	**6,71,397.02**

टिप्पणी 21. संचालन से राजस्व

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 22. अन्य आय

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
लाभांश आय		
टीपीडीडीएल से लाभांश		
इक्विटी शेयर	4,868.64	4,327.68
प्राथमिकता शेयर	-	2,674.19
बैंक जमा पर ब्याज	8,373.30	5,365.78
विविध आय	48.80	0.00
डीटीएल में निवेश पर पूर्व वर्षों में सृजित क्षति प्रावधानों में बदलाव	1,109.20	2,624.13
आयकर रिफंड पर ब्याज	-	48.15
कुल	**14,399.94**	**15,039.93**

22.1 टीपीडीडीएल द्वारा 27.02.2019 को 24,500 लाख रुपये की प्राथमिकता शेयर पूंजी रिडीम किये जाने से पहले 26.02.2019 तक (वित्तीय वर्ष 2018–19) कंपनी को 2,674.19 लाख रुपये का प्राथमिकता शेयर लाभांश प्राप्त हुआ था। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये इक्विटी शेयर पर मौजूदा वित्तीय वर्ष में 4,868.64 लाख रुपये का लाभांश प्राप्त किया, जो लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये कंपनी की आय के रूप में लेखांकित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये टीपीडीडीएल द्वारा भी 6,491.52 लाख रुपये का इक्विटी लाभांश घोषित किया गया हांलाकि इस संदर्भ में कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये कंपनी की आय के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है क्योंकि यह 31.03.2020 तक प्राप्त नहीं हुआ था। इक्विटी लाभांश की यह राशि कंपनी को जुलाई 2020 में मिली।

टिप्पणी 23. कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
वेतन, पारिश्रमिक, भत्ता और लाभ	217.43	209.73
कुल	**217.43**	**209.73**

23.1 डीपीसीएल में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और पारिश्रमिक की राशि डीटीएल और आईपीजीसीएल द्वारा डीपीसीएल में कार्यरत कर्मचारियों के लिये जारी वेतन, पारिश्रमिक इत्यादि विवरण पर आधारित है।

टिप्पणी 24. अन्य व्यय

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
प्रशासनिक और सामान्य व्यय		
कानूनी और पेशेवर शुल्क	10.86	12.18
यात्रा और परिवहन	0.73	1.05
निदेशक बैठक शुल्क	0.65	0.44
विविध व्यय	0.95	450.92
बैंक प्रभार	0.08	0.03

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
डाक और टेलीफोन	1.86	1.44
छपाई और स्टेशनरी	2.23	2.96
मरम्मत और रखरखाव	0.60	0.39
पुस्तकें और पत्रिकायें	0.13	0.16
वाहन बीमा	-	0.05
वाहन–पेट्रोल	0.16	0.33
मानव शक्ति हायरिंग व्यय	35.46	31.56
डी–मैट शुल्क	0.02	-
बिजली शुल्क	4.88	5.86
शुल्क और अंशदान	0.18	0.12
कम्प्यूटर सामान	1.07	0.75
कर और शुल्क	1.00	0.01
कार्यालय की साफ सफाई	0.15	-
कार्यालय रखरखाव व्यय	0.81	0.72
परामर्श शुल्क	6.12	1.27
लेखापरीक्षा शुल्क	4.56	4.60
आस्तियों को दर्ज करने पर व्यय	0.01	-
कुल	**72.51**	**514.84**

(i) लेखा परीक्षकों को भुगतान

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
लेखा परीक्षा शुल्क		
वैधानिक लेखापरीक्षक	2.92	2.92
कर लेखापरीक्षक	0.40	0.40
वैधानिक लेखापरीक्षको पर अतिरिक्त व्यय	0.50	0.50
आंतरिक लेखापरीक्षक	0.45	0.45
सचिवालयीय लेखापरीक्षक	0.29	0.33
कुल	**4.56**	**4.60**

24.1 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विविध व्यय की राशि में डीपीसीएल द्वारा टीपीडीडीएल को भलस्वा में डूसिब के आर्थिक रूप मे कमजोर वर्गों के फ्लैटों के विद्युतीकरण के लिये दिये गये 450 लाख रुपये भी शामिल हैं। यह राशि डूसिब ने विभाजन से पहले दिल्ली विद्युत बोर्ड में जमा करायी थी लेकिन बोर्ड समाप्त हो जाने के बाद विद्युतीकरण का यह कार्य, हस्तांतरण योजना के प्रावधानों के अनुसार टीपीडीडीएल द्वारा किया गया।

24.2 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198, धारा 135 के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 में कॉरपोरेट दृसामाजिक दायित्व गतिविधियों पर 93.98 लाख रुपये की राशि खर्च करनी थी, लेकिन इन गतिविधियों पर वित्तीय वर्ष 2018–19 के 54.99 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2019–20 के 93.98 लाख रुपये खर्च नहीं किये जा सके, क्योंकि शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सिविल लाइंस में कनेक्टेड क्लास रूम प्रोजेक्ट की गतिविधियां, जिनपर यह राशि व्यय की जानी थी, निदेशक मंडल की 09.03.2020 की बैठक में तय हो सकी। इस बारे में शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कई बार संपर्क किया जा चुका है और कार्य प्रक्रियाधीन है।

टिप्पणी– 25– प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (ईपीएस)

प्राथमिक ईपीएस राशि की गणना वर्ष में इक्विटी धारकों के लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है।

निम्नलिखित तालिका प्राथमिक और तनुकृत ईपीएस संगणना में प्रयुक्त आय और शेयरों से संबंधित डेटा दर्शाती है।

(लाख रुपये)

विवरण	31मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये	31मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये
प्राथमिक अर्जन		
रिपोर्टिंग वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयर	74,50,50,000	74,50,50,000
वर्ष के दौरान योग	-	-
वर्ष के अंत में कुल शेयर	**74,50,50,000**	**74,50,50,000**
रिपोर्टिंग वर्ष का लाभ (रुपये में)	12686.66	13303.14
प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर पर प्राथमिक अर्जन (रुपये में)	**1.70**	**1.79**
तनुकृत अर्जन		**-**
वर्ष के आरंभ में ईक्विटी शेयर	74,50,50,000	74,50,50,000
वर्ष के दौरान योग	-	-
वर्ष के अंत में कुल शेयर	**74,50,50,000**	**74,50,50,000**
वर्ष का लाभ (रुपये में)	12686.66	13303.14
प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर पर तनुकृत अर्जन (रुपये में)	**1.70**	**1.79**

टिप्पणी –26– आकस्मिक देयता और प्रतिबद्धतायें

(लाख रुपये)

विवरण	2019-20	2018-19
	राशि	राशि
कंपनी के खिलाफ दावे जो ऋण के रूप में मान्य नहीं	5801.04	5160.40
अतिरिक्त आयकर की मांग	4525.44	4525.44
कुल	**10,326.48**	**9,685.84**

26.1 उपरोक्त क्रम संख्या (क) के अनुसार आकस्मिक देयताएं जिला न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और संपत्ति कर अधिकरण में लंबित अदालती मामले दर्शाती हैं। इन मामलों में हांलाकि कंपनी अपने कानूनी दृष्टिकोण से प्रतिपक्षोंध्दावेदारों द्वारा उठाये गये दावों के लिये उत्तरदायी नहीं है लेकिन चूंकि कंपनी को इस मामलें में प्रतिवादीध जवाबदेह बनाया गया है इसलिये कंपनी अदालत में ये मुकदमें लड़ रही है। इसलिये कानूनी दृष्टिकोण से कंपनी पर प्रतिपक्ष द्वारा विभिन्न अदालतों में दायर इन दावों के लिये कोई वर्तमान दायित्व नहीं है और इसे देखते हुए वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 के लिये लेखा में देयता के किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है। हालांकि इंड एएस 37 के अनुसार विभिन्न अदालतों और अधिकरणों में लंबित दावों की राशि आकस्मिक देयता के रूप में दर्शायी गयी है।

26.2 उपर्युक्त क्रम संख्या क) और ख) में दर्शायी गयी आपात देयता की राशि ब्याज या विलंब भुगतान अधिशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, प्रभारित किये जाने के अधीन है।

टिप्पणी 27–वित्तीय जोखिम प्रबंधन–उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की मूल वित्तीय देयताओँ में उधारी और भुगतान योग्य शामिल है। वित्तीय देयताएं दिल्ली विद्युत बोर्ड समाप्त किये जाने की अवधि से पहले की देयताओं के कारण रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सौंपे गये वित्तीय दायित्वों के कारण हैं। कंपनी की मूल वित्तीय आस्तियों में ऋण और अग्रिम, नकदी और नकदी समतुल्य, बैंक शेष और जमा तथा अन्य प्राप्य शामिल हैं। ये मुख्य

रूप से निवेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश तथा दिल्ली विद्युत बोर्ड की विभाजन तिथि पर वसूली योग्य और अन्य अग्रिम प्राप्त हो जाने से और आधिक्य निधि से किये गये एफडीआर पर ब्याज से प्राप्त होते हैं।

कंपनी को किसी बाजार जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और ऋण जोखिम की आशंका नहीं है क्योंकि कंपनी ऋण और अग्रिम स्वीकार करने और मंजूर करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रही है और किसी वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं है।

इसके अलावा कंपनी की सभी उधारियां निर्धारित ब्याज दर पर हैं और इसलिये उसे किसी ब्याज दर जोखिम की आशंका नहीं है। नकदी और नकदी समतुल्य तथा बैंक शेष और जमा के मामले में भी उसे कोई जोखिम नहीं है।

टिप्पणी–28 श्रेणी और उचित मूल्य वर्गीकरण द्वारा वित्तीय साधन

कंपनी के वित्तीय साधनों की मौजूदा राशि और उचित मूल्य की श्रेणी गत तुलना उचित मूल्य से तर्कसंगत निकटता की मौजूदा राशियों से नीचे दी गयी है। (लाख रुपये)

विवरण	मौजूदा मूल्य		उचित मूल्य	
	31मार्च 2020 को	31मार्च 2019को	31मार्च 2020 को	31मार्च 2019 को
वित्तीय आस्तियां				
इक्विटी शेयरों में निवेश	1,32,674.80	1,31,565.60	1,32,674.80	1,31,565.60
नकदी और बैंक शेष	9.84	25,740.69	9.84	25,740.69
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	1,21,634.10	82,897.38	1,21,634.10	82,897.38
अन्य वित्तीय आस्तियां	50,525.00	52,120.33	50,525.00	52,120.33
वित्तीय देयताएं				
गैरवर्तमान देयता–वित्तीय देयता	3,32,639.00	3,32,639.00	3,32,639.00	3,32,639.00
अन्य वित्तीय देयताएं	3,53,287.06	3,21,816.28	3,53,287.06	3,21,816.28

नकदी और नकदी समतुल्य, बैंक शेष और जमा, वसूली योग्य, अन्य भुगतान योग्य इत्यादि अपनी लघु अवधि के कारण अपने वर्तमान मूल्य के समान माने गये हैं।

टिप्पणी संख्या 4,6,7,8,12,14 और 15 में उल्लिखित वित्तीय आस्तियां और देयताएं, स्थानांतरण योजना विनियम में निर्दिष्ट मूल्य पर पहले के दिल्ली विद्युत बोर्ड से ली गयीं आस्तियों और देयताओं सहित, वर्तमान मूल्य पर दर्ज की गयी हैं क्योंकि इनका समाधानध्पुष्टि ध्समायोजन होना है।

टिप्पणी–29– पूंजी प्रबंधन

पूंजी में कंपनी के शेयर धारकों के लिये निर्धारित जारी इक्विटी पूंजी और अन्य इक्विटी रिजर्व शामिल है। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी लागत कम करने के लिये समुचित पूंजी व्यवस्था बनाये रखना और शेयर धारक मूल्य अधिकतम करना है। कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव और वित्तीय संविदाओं की आवश्यकतानुसार पूंजी संरचना व्यवस्थित करती है और जरूरी समायोजन करती है। पूंजी संरचना बनाये रखने या व्यवस्थित करने के लिये कंपनी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान समायोजित कर सकती है, पूंजी लौटा सकती है या नये शेयर जारी कर सकती है।

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
उधारी (ब्याज सहित)	5,28,217.06	4,96,616.36
घटाये: नकदी और अन्य नकदी आस्तियां	1,21,643.95	1,08,638.08
निबल ऋण	**4,06,573.11**	**3,87,978.28**
इक्विटी	**1,72,442.69**	**1,59,756.03**
निबल ऋण / इक्विटी अनुपात	**2.36**	**2.43**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के लिये उदेदश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

30. कर व्यय

कंपनी अनावशोषित अग्रसारित हानियों के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1965 की धारा 115 जे बी के तहत अपनी लाभ बही में न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान के लिये उत्तरदायी है, जो 1422.27 लाख रुपये है।

31. आस्थगित कर देयताएं ध्आस्तियां

(लाख रुपये)

विवरण		31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
		राशि	आयकर @29.12%	राशि	आयकर @29.12%
क.	**आस्थगित कर देयता**				
क)	आस्तियों की डबल्यूडीवी का अंतर	–	–	–	–
	उप योग (ए)	**–**	**–**	**–**	**–**
ख.	**आस्थगित कर आस्तियां**				
क)	आस्तियों की डबल्यूडीवी का अंतर	5.21	1.51	5.73	1.67
ख)	आयकर के अनुसार अनावशोषित ह्रास	–	–	48.26	14.05
ग)	आयकर के अनुसार अनावशोषित हानि	–	–	1082.15	315.12
	उप योग (बी)	**5.21**	**1.51**	**1136.14**	**330.84**
	आस्थगित कर आस्ति (निबल) (बी–ए)	**5.21**	**1.51**	**1136.14**	**330.84**

कंपनी ने वर्तमान वर्ष के लेखे में आस्थगित कर आस्तियों को मान्य नहीं किया है क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि कंपनी इसका लाभ भविष्य की आय में ले पायेगी, इसलिये इस आस्ति को मौजूदा वर्ष के लेखे में मान्य करने पर विचार नहीं किया गया है।

32. संबंधित पक्ष स्पष्टीकरण

क) इंड एस 24 के अनुसार निर्दिष्ट संबंधित पक्षों की सूची नीचे दी गयी है:–

प्रमुख प्रबंधन कर्मी (31 मार्च 2020 को)

क्र.सं.	नाम	वर्ष के दौरान	
		नियुक्ति	समाप्ति/जारी
1	सुश्री पद्मिनी सिंगला,आईएएस सीएमडी	05.07.2019	जारी
2	श्री मधुप व्यास,आईएएस सीएमडी	11.01.2019	11.07.2019
3	श्री सुरेंद्र बब्बर, सीएफओ	22.06.2016	जारी
4	सुश्री पलक जैन, कंपनी सचिव	21.10.2016	जारी

सहयोगी/संयुक्त उद्यम

क) इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)
ख) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल)
ग) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीएसईएस–आरपीएल)
घ) बीसीईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीसीईएस– वाईपीएल)
ङ) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (टीपीडीडीसीएल)
च) इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

ख) संबंधित पक्ष लेन देन

(लाख रुपये में)

i)

विवरण	टीपीडीडीएल		बीएसईएस वाईपीएल		बीएसईएस आरपीएल		डीटीएल		आईपीजीसीएल	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
ऋण बकाया (वसूलियां)	2018.82	2018.82	5579.89	5579.89	12293.81	12293.81	17808.40	18025.83	8011.60	8011.60
शेयरों में निवेश	18032.00	18032.00	27244.00	27244.00	50960.00	50960.00	26000.00	26000.00	14000.00	14000.00
लाभांश प्राप्त	4868.64	7001.87	–	–	–	–	–	–	–	–
वर्ष के दौरान समायोजित वेतन और भत्ते	–	–	–	–	–	–	217.43	197.88	–	11.84
सुरक्षित ऋणों पर प्रोदभूत ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3023.32

ii) कंपनी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में वितरित 332639.00 लाख रूपए की राशि के ऋणों के बकाया संव्यवहार डेसू अवधि की सीपीएसयू देयताओं के लिए किए हैं। ऋण के इन संव्यवहारों के उपरांत कंपनी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से समान राशि के लिए वसूली योग्य अग्रिम भी सृजित किए हैं। इस संव्यवहार का स्पश्टीकरण अन्य टिप्पणियों में भी दिया गया है। टिप्पणी संख्या 14 में दर्षाए गए अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के साथ संव्यवहार की राशि पुष्टि एवं समाधान की शर्त के अध्याधीन है।

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कमिर्सयों को पारिश्रमिक

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	2019–20	2018–19
1	सीएमडी	शून्य	शून्य
2	मुख्य वित्तीय अधिकारी	37.60	36.59
3	कंपनी सचिव	शून्य	शून्य

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी – सीएमडी और कंपनी सचिव के पारिश्रमिक का वहन कंपनी द्वारा नहीं किया गया, इसलिये उपर्युक्त टिप्पणी में इसे शून्य दिखलाया गया है। कंपनी सचिव का पारिश्रमिक डेल्ही ट्रांसको लिमिटेड द्वारा और डीपीसीएल के सीएमडी का पारिश्रमिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया गया।

33. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर केवल एक मानव शक्ति एजेंसी और अन्य मेसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड और मेसर्स असलेखा इंटरप्राईजेज को छोड़कर और कोई भी सप्लायर/ठेकेदार/सेवा प्रदाता नहीं है जो 31 मार्च 2020 को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियमस 2006' के अंतर्गत पंजीकृत हों।

34. वर्तमान वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया संबंधित पक्षों/केंद्रो, डिस्कॉम्स, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, अग्रिम, वसूली योग्य और भुगतान योग्य अधिशेष पुष्टि/समायोजन के अधीन है।

35. कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए इंड एएस 108 द्वारा अपेक्षित रिपोर्टिंग खंड व्यवहार्य नहीं है।

36. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई व्ययध्आमदनी नहीं है।

37. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ

डीपीसीएल में काम कर रहे कर्मचारी या तो डीटीएल/आईपीजीसीएल या अन्य संगठनों से स्थानांतरित हैं या फिर डेपुटेशन पर हैं। कंपनी के कर्मचारियों के वेतन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, एलटीसी, अवकाश वेतन, पेंशन अंशदान आदि का भुगतान डीटीएल/आईपीजीसीएल द्वारा किया जाता है, जहां से ये कर्मचारी स्थानांतरित किये गये हैं और कंपनी में पदस्थापित किये गये हैं। कंपनी कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की राशि की प्रतिपूर्ति डीटीएल और आईपीजीसीएल से प्राप्य राशि के समायोजन से करती है। चूंकि कंपनी का अपना कोई नियमित कर्मचारी नहीं है, इसलिये नियोजन

की शर्ते भी डीटीएल/आईपीजीसीएल द्वारा तय की जाती हैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिक और अन्य लाभों के प्रति देयता के प्रोद्भूत मूल्यांकन का प्रावधान भी डीटीएल और आईपीजीसीएल देखती हैं और इसे कंपनी को प्रभारित नहीं किया जाता।

38. कंपनी सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम की धारा 135, धारा 198 के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 में कॉरपोरेट–सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर 93.98 लाख रुपये खर्च करने थे। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये सीएसआर गतिविधियों की 54.99 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2018–19 की 93.98 रुपये की राशि व्यय नहीं की जा सकी थी क्योंकि जिन गतिविधियों पर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सिविल लाईंस में विद्यार्थी सुविधा उपकरणों के साथ कनेक्टेड क्लास रूम परियोजना में इस राशि का व्यय होना था, उन्हें निदेशक मंडल की 09.03.2020 को हुई 96वीं बैठक में ही अंतिम रूप दिया जा सका। इस बारे में शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ कई बार संपर्क किया जा चुका है और यह प्रक्रिया जारी है।

39. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से पुष्टि के लिये पिछले वर्षों के आंकड़े फिर से वर्गीकृत और समूहबद्ध किये गये हैं। वित्तीय लेखा निदेशक मंडल की 30 दिसंबर 2020 को हुई बैठक में अनुमोदन के लिये रखा गया।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
सीए संजय नाथ	**(हरशिंदर सिंह)**	**(पलक जैन)**	**(पद्मिनी सिंगला)**
साझेदार	उप महाप्रबंधक वित्त	कंपनी सचिव	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 082700			डीनः 007539635

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.12.2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में,

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के सदस्य

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

अर्हताप्राप्त मत

हमने दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (आगे 'कंपनी' के रूप में उल्लेख) और इसकी सहयोगी कंपनियों की समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2020 का तुलन पत्रक, समेकित लाभ– हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव संबंधी विवरण और समाप्त हुए वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण सूचनाओं (यहां समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणो का संदर्भ) का सारांश शामिल है।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट में अर्हताप्राप्त मत के आधार पैराग्राफ में दिये गये विषय के प्रभावोंध्संभावित प्रभावों को छोड़कर, ये समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधि ानियम 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित और अधिनियम की धारा 133 के तहत, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) विनियम 2015, संशोधित इंड एएस, भारत में स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतो के साथ पठित, निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप, 31 मार्च 2020 को कंपनी और सहयोगी कंपनियों की स्थिति तथा इसके समेकित लाभ, समेकित कुल व्यापक आय, समेकित नकदी प्रवाह और इस तिथि पर समाप्त वर्ष के के लिये इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण उपलब्ध कराते हैं।

अर्हताप्राप्त मत का आधार

कंपनी के मामले में

1. समेकित इंड एएस विवरणों की टिप्पणी संख्या 6.1, 9.1, 12.1, 15.2 और 19 के अनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से, डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये 3,32,639 लाख रुपये का ब्याज युक्त ऋण लिया था जिसे 31 मार्च 2014 से दस समान किस्तों में चुकाया जाना था। कंपनी ने मूल राशि और 31 मार्च 2020 तक के बकाया ब्याज, क्रमशः 2,66,111.20 और 1,95,578.06 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। दूसरी तरफ कंपनी ने 3,32,639 लाख रुपये की राशि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग माना। 3,32,639 लाख रुपये की मूल राशि और 31 मार्च 2020 तक 1,95,578.06 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,63,977.36 लाख रुपये) का बकाया ब्याज जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य दर्शाया गया है, दिल्ली सरकार की मंजूरी के अधीन है। यही राशि
   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य वर्तमान देयता के रूप में भी दर्शायी गयी है।

2. समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दी गयी विस्तृत जानकारी के अनुसार पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड से हस्तांतरित आस्तियों और देयताओं के तहत दर्शायी गयी निम्नलिखित राशि 2002 से विभिन्न विद्युत वितरणध्पारेषण ध् उत्पादन कंपनियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से समायोजन और पुष्टि के अधीन है।

टि. संख्या	शीर्षक	उप शीर्षक	ऋण/जमा	राशि (लाख रुपये में)	
				31.03.2020	31.03.2019
		देयताएं			
13.1	विभिन्न जमाकर्ता– गैर वर्तमान देयताएं	विभिन्न जमाकर्ता	जमा	16,933.98	16,933.98
14	अन्य वित्तीय देयताएं–गैर वर्तमान देयताएं	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	जमा	1,57,708.99	1,57,708.99
		आस्तियां			
6	अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	डूबे और संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	जमा	11,523.97	11,523.97
6	अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	डीवीबी के विघटन से पहले की अवधि का वसूली योग्य बिजली बकाया	निकासी	44,653.30	44,653.30
8	वर्तमान आस्तियां	अग्रिम – अन्य	निकासी	45,718.25	46,935.68
9.2	अन्य वर्तमान आस्तियां	अग्रिम वसूली योग्य	निकासी	8,116.10	8,116.10

उपरोक्त के संदर्भ में समाधान का लंबित परिणाम, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण पर संबंधित वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो तो, वह निर्धारण योग्य नहीं है।

3. सहयोगी कंपनियों के मामले में

I. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल)

1. कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरणों में मध्यस्थता/अदालती मामलों, संपत्ति करध्आय कर और अन्य दावों को लेकर विभिन्न आपात देयताएं दर्शायी हैं। कंपनी ने इंड एएस –37 "प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं ओर आकस्मिक आस्तियों "की अपेक्षानुसार संभावित आउटफ्लो का निर्धारण नहीं किया है।
2. व्यापार प्राप्य शेष, व्यापार दाय, अग्रिम और अन्य पक्षों द्वाराध्से भुगतान योग्यध्प्राप्ति योग्य पुष्टि और समाधान के अध ाीन है (टिप्पणी संख्या 40 देखें)। ये शेष 2010 से बकाया हैं। इसका प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं है।
3. कंपनी एक नोडल एजेंसी के रूप में एसएलडीसीध्यूआई एनर्जी का कार्य निष्पादित कर रहा है। इनके बैंक खाते कंपनी के नाम में है लेकिन इन्हें वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है। एक नोडल एजेंसी के रूप में कंपनी को सावधि जमा पर 1482.07 लाख रुपये का ब्याज मिला है जिसपर 148.21 लाख रुपये का टीडीएस काटा गया। यूआई एनर्जी के कार्यों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है।
4. वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक वास्तव में चुकाये गयेध्आकलित किये गये आयकर की पुनर्गणना के कारण डिस्कॉम्स से संदिग्ध वसूली राशि के गैर प्रावधान के संदर्भ में, एपीटीईएल के आदेशानुसार यह राशि लाईसेंस व्यवसाय के अलावा प्राप्त आय पर आय कर को छोड़कर, डिस्कॉम्स से वसूली जानी है।

विषयों का प्रभाव

हम समेकित वित्तीय विवरणों की निम्नलिखित टिप्पणी की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं।

ए. सहयोगी कंपनियां–

1. इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)

हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 4.3 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन

कंपनी लिमिटेड का लेखा, प्रबंधन से प्राप्त गैर लेखा परीक्षित अस्थायी विवरण के आधार पर समेकित किया गया है।

2. **मेसर्स बीएसईएस यमुना पावर लि.(बीवाईपीएल) और बीएसईएस राजधानी पावर लि. (बीआरपीएल)**

हम इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैः

i. कंपनी को मिले डीईआरसी शुल्क आदेश के संदर्भ में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण, जिसमें डीईआरसी ने दिनांक 29 सितंबर 2015 के शुल्क आदेश द्वारा कुछ अस्वीकृतियों के साथ, 31 मार्च 2014 तक के राजस्व अंतराल को व्यवस्थित किया है। कंपनी ने अस्वीकृतियों के खिलाफ माननीय एपीटीईएल में अपील की है। वित्तीय विवरणों में कानूनी मत के आधार पर 31 मार्च 2020 को नियामक आस्ति के मौजूदा मूल्य पर इन अस्वीकृतियों के असर पर, जो कि अपील के अधीन हैं, विचार नहीं किया गया है।

   डीईआरसी नें आगे, कुछ अस्वीकृतियों के साथ, दिनांक 31 अगस्त 2017 के आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 और 2015–16 के राजस्व अंतराल और 28 मार्च 2018 के आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के राजस्व अंतराल में बदलाव किया है। अस्वीकृतियों को लेकर कंपनी ने माननीय एपीटीईएएल में अपील की है या करने की प्रक्रिया में है। कानूनी मत के आधार पर कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2020 को नियामक आस्थगित खाता शेष की संगणना में इन अस्वीकृतियों के असर पर विचार नहीं किया है।

ii. विभिन्न बिजली उत्पादन कंपनियों को भुगतान योग्य पुराने बकाया से संबंधित समेकित वित्तीय विवरण, जिनमें मामला माननीय उच्चतम न्यायालय क समक्ष लंबित है।

iii. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरण ।

   हांला कि हमारा मत इन विषयो के संदर्भ में अर्हता प्राप्त नहीं है।

3. **इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड**

हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 4.3 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का लेखा प्रबंधन से प्राप्त अस्थायी गैर लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के प्रति कंपनी के प्रबंधन और प्रशासन के लिये प्रभारी लोगों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, सहयोगी कंपनियों सहित कंपनी की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकदी प्रवाह में बदलाव की वास्तविक और निष्पक्ष जानकारी देने वाले एकल वित्तीय विवरणों की, इंड एएस और भारत में स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयारी के संदर्भ में अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित विषयों के प्रति उत्तरदायी है। कंपनी की सहयोगी और शामिल कंपनियों के निदेशकों के बोर्ड के इस दायित्व में कंपनी की आस्तियों की रक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकथाम, किसी भी गलत बयानी से मुक्त तथा सही और वास्तविक स्थिति की जानकारी देने वाले वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिये समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और कार्यान्वयन, तर्कसंगत और दूरदर्शी निर्णय और आकलन तथा लेखांकन रिकॉर्ड्स की परिशुद्धता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तय करने और लागू करने के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव करना भी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में सहयोगी कंपनियों सहित कंपनी का निदेशक मंडल एक चालू कंपनी के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमताओं के आकलन, व्यवहार्यता अनुरूप चालू कंपनी से संबंधित मुद्दों के स्पष्टीकरण और लेखांकन के लिये जारी आधार का उपयोग करने के लिये उत्तरदायी है जबतक कि निदेशक मंडल अन्य कोई विकल्प नहीं होने पर कंपनी को लिक्विडेट करना या संचालन बंद करना न चाहता हो।

सहयोगी कंपनियों सहित कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी और सहयोगी कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिये भी उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य है –तर्कसंगत आश्वस्ति प्राप्त करना कि समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से किसी बड़ी गलतबयानी से, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हुई हो या त्रुटि के कारण, मुक्त हो और इसके अलावा लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना जिसमे हमारा मत शामिल हो। तर्कसंगत आश्वस्ति उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप किया गया लेखा परीक्षण हमेशा किसी बड़ी गलत बयानी का पता लगा ही लेगा। गलतबयानी या तो धोखाधड़ी के कारण हो सकती है या त्रुटि के कारण और यह तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है अगर इनसे व्यक्तिगत या समग्र रूप से, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये जाने वाले उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों पर असर पड़ने की तर्कसंगत आशंका हो।

एसए के अनुरूप लेखापरीक्षण तहत हम पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेगत संशयात्मकता बनाये रखते हैं। हम यह दायित्व भी निभाते हैः

- समेकित वित्तीय विवरणों की बड़ी गलतबयानियों के जोखिम की पहचान और आकलन करना, चाहे यह धोखाधड़ी की वजह से हुई हों या किसी त्रुटि की वजह से। इन जोखिमों के अनुकूल लेखा प्रक्रियाएं तय करते हैं और निष्पादित करते हैं और लेखा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मत का आधार उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के कारण की गयी गलतबयानी का पता नहीं लग पाने का जोखिम, त्रुटि के कारण होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गयी चूक, भ्रामक उल्लेख या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल होती है।
- लेखा परीक्षा के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना ताकि परिस्थियों के अनुसार समुचित लेखा प्रक्रियाएं तय की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत हम इस बात पर भी अपना मत व्यक्त करने के लिये उत्तरदायी हैं कि कंपनी में समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लागू है या नहीं और इन नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता क्या है।
- प्रयुक्त लेखाकंन नीतियों की उपयत्तुता, लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किये गये संबंधित स्पष्टीकरणों के मूल्यांकन के लिये भी उत्तदायी हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के चालू आधार उपयोग की उपयुक्तता के बारे में तथा प्राप्त लेखा प्रमाणों के आधार पर यह निर्णय लेना कि क्या घटनाक्रम और स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी अनिश्चितता मौजूद है जो सहयोगी कंपनियों सहित कंपनी के चालू रह पाने की क्षमता पर संदेह उत्पन्न करती हो। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है तो हमें समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबंधित स्पष्टीकरणों पर ध्यान दिलाना होता है, या यदि ऐसे स्पष्टीकरण अपर्याप्त हैं तो हमें अपना मत संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा प्रमाणों पर आधारित होते हैं। हांलाकि भविष्य की घटनाएं और स्थितियां सहयोगियों सहित कंपनी के चालू रहने पर असर डाल सकती हैं और इसका परिचालन बंद हो सकता है।
- समग्र प्रस्तुति, समेकित वित्तीय विवरणों की रूपरेखा और विषयवस्तु, स्पष्टीकरणों सहित, का मूल्यांकन करना और यह देखना कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों में लेन–देन और घटनाक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार दिया गया है कि नहीं जो प्रस्तुति को निष्पक्ष बनाते हों।
- समेकित वित्तीय विवरणों में अपना मत व्यक्त कर पाने के लिये कंपनियों की वित्तीय स्थिति या कंपनी और इसकी सहयोगी कंपनियों में संचालित गतिविधियों के बारे में पर्याप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करना। हम उन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों के, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देशन, निरीक्षण और कार्य निष्पादन के लिये उत्तरदायी हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य कंपनियों के लिये, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों ने की है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक अपने लेखा परीक्षण के निर्देशन, निरीक्षण और कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदायी होंगे। हम केवल अपने लेखा परीक्षण मत के लिये उत्तरदायी हैं।

हम कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य कंपनियों के प्रशासन प्रभारियों से अन्य मुद्दों के अलावा लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा हमारी लेखा परीक्षा के दौरान सामने आयी आंतरिक नियंत्रण की बड़ी खामियों सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षो के बारे में संपर्क करते हैं

हम संबंधित प्रशासन प्रभारियों को यह बयान भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने निष्पक्षता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। प्रभारियों को उन सारे संबंधों और विषयों के बारे में भी बताया जाता है जिनका असर हमारी स्वतंत्रता और, जहां व्यवहार्य हो, संबंधित सुरक्षा नियंत्रणों पर पड़ सकता है।

प्रशासन प्रभारियों तक संप्रेषित मुद्दों में से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और जिन्हें प्रमुख लेखा परीक्षा विषय माना जा सकता है। हम लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मुद्दों का वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियम इसके सार्वजनिक खुलासे को प्रतिबंधित न करता हो, या जब अत्यधिक विरल स्थितयों में हम निश्चित करते हों कि ये विषय रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल प्रभाव सार्वजनिक हित लाभों पर पड़ सकता है।

अन्य विषय

क) समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में, 6 सहयोगी कंपनियों के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के अनुसार, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हमने नहीं की है, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये 53,031.87 लाख रुपये के निबल लाभ का कंपनी का हिस्सा शामिल है। इन सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणध्वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों ने की है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमें उपलब्ध करायी है। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक यह इन सहयोगी कंपनियों के संदर्भ में शामिल राशियों और स्पष्टीकरणों के बारे में है, और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह सहयोगी कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारा मत और निम्नलिखित अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, अन्य लेखा परीक्षकों के कार्य और उनकी रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित वित्तीय विवरणोध्वित्तीय जानकारी पर हमारे भरोसे और निर्भरता के कारण उपरोक्त विषयों के संदर्भ में संशोधित नहीं है।

ख) इंड एएस के अनुरूप तैयार समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में उपरोक्त अन्य विषयों के पैराग्राफ (क) में उल्लिखित कंपनियों के संदर्भ में 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये तुलनात्मक वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है और हमने इसपर भरोसा किया है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1 अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर तथा पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षको की रिपोर्ट और 'अन्य विषय ' पैराग्राफ में सहयोगी कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करते हुए हम व्यवहार्य सीमा तक प्रतिवेदित करते हैं कि:

क) हम/अन्य लेखा परीक्षक जिनकी रिपोर्ट पर विश्वास किया गया, हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारे मत में उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित विधान द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा बही का रखरखाव किया गया है जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

ग) समेकित तुलनपत्रक, समेकित लाभ–हानि विवरण, इक्विटी में बदलाव संबंधी समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणो की तैयारी के लिये रखी गयी लेखाबहियों के अनुरूप है।

घ) अर्हता प्राप्त मत के आधार पैराग्राफ में दिए गए विषय के प्रभावोंध्संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारे मत में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) विनियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

ङ) हमारे मत में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) विनियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

च) कंपनी और भारत में इसकी सहयोगी कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इन नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता के संदर्भ में अनुलग्नक – ए में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। और

छ) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में दर्ज, कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिनिधित्व और सहयोगी कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, सहयोगी निदेशकों सहित कंपनी के निदेशकों में से कोई भी 31 मार्च 2020 को, अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अनुरूप निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य नहीं था।

ज) भारत सरकार की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुरूप एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी और भारत में कार्यरत इसकी सहयोगी कंपनियों पर लागू नहीं होते।

झ) उपरोक्त 'विषयो का प्रभाव' पैराग्राफ के तहत दिये गये मामले में प्रतिकूल फैसला होने पर, हमारे मत में, कंपनी के कामकाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। 'विषयो का प्रभाव' के पैराग्राफ (पप) के तहत वर्णित मामलों में भी प्रतिकूल निर्णय होने का, हमारे मत में कंपनी के कामों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

ञ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) विनियम 2014 के विनियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य विषयों के संदर्भ में, हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सहयोगी कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारियों पर विचार विमर्श के अनुसार जैसा कि अन्य विषय पैराग्राफ में उल्लिखित हैः

i. समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण, समेकित इंड एएस वित्तीय स्थिति पर लंबित कानूनी मामलों का असर दर्शाता है – समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 25 देखें।

ii. डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घावधि अनुबंधों के संदर्भ में किसी ऐसी बड़ी हानि की आशंका नहीं है जिसके लिये किसी विधान या लेखांकन मानकों के तहत कोई प्रावधान किये जाने की जरूरत हो।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी या सहयोगी कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में स्थानांतरित किये जाने की जरूरत हो।

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या– 001035एनध्एन500050
ह./–
संजय नाथ
साझेदार
सदस्यता संख्या–082700
यूडीआईएन : 20082700एएएबीओए6094

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30.12.2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक – ए

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित इंड एस वित्तीय विवरणो पर दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के लिये समान तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट की अन्य विधिक और नियामक अपेक्षायें रिपोर्ट के पैराग्राफ (1)(एफ) में उल्लिखित।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (प) तहत)

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष और इस तिथि तक दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड की समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण ों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ हमने दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (इसके बाद कंपनी के रूप में उल्लिखित) और इस तिथि पर भारत में कार्यरत इसकी सहयोगी वित्तीय कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी, भारत में कार्यरत इसकी सहयोगी कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल, कंपनी द्वारा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आवश्यक आंतरिक नियंत्रण घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तय करना, लागू करना और प्रबंधन शामिल हैं, जो व्यवसाय के सुचारू और कुशल संचालन के लिए आवश्यक हैं। कंपनी की नीतियों के अनुपालन, परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की स्टीकता और संपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समयबद्ध तैयारी भी इन जिम्मेदारियों में शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण से संबंधित मार्गदर्शक टिप्पणी ("मार्गदर्शक टिप्पणी") और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार संपन्न की है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए व्यवहार्य सीमा तक। ये दोनों मार्गदर्शक सिद्धांत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए व्यवहार्य हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजनाओं का अनुपालन करें और इस बारे में तर्क संगत आश्वस्ति प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और कार्यान्वित किए गए थे और क्या यह नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में कारगर ढंग से संचालित किए गए।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और इसकी संचालनगत प्रभावकारिता के बारे में लेखा प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, किसी बड़ी खामी को लेकर जोखिम का आकलन करना तथा इस आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रभावकारिता का मूल्यांकन और परीक्षण करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं एकल वित्तीय विवरणों में किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के करण हुई बड़ी गलत बयानी के जोखिमों के आकलन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखा प्रमाण और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा नीचे दिये गये पैराग्राफ "अन्य विषय" से संबंधित रिपोर्ट में दिये गये प्रमाण वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारे लेखा परीक्षा मत का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने और सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए निर्धारित की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

(क) रिकॉर्ड प्रबंधन से संबंधित हों यानि कंपनी की आस्तियों की लेनदेन और निपटान के बारे में स्टीक और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराती होय

(ख) यह तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती हो कि लेनदेन सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड किए गए हैं और यह भी कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की अधिकृत अनुमति के अनुसार किए गए हैंय

(ग) कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान, जिसका एकल वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है, की रोकथाम या समय पर पता लगाने से सबंधित तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं

किसी मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को लेकर अनुपयुक्त प्रबंधन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ों की सीमाओं के कारण हुई त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से बड़ी गलत बयानी होने की आशंका रहती है। इसके अलावा भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आकलन का अनुमान भी जोखिम के अधीन है। क्योंकि परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त साबित हो सकता है।

अर्हता प्राप्त मत

हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर 31 मार्च 2020 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की संचालन गत प्रभावकारिता के बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण खामी चिन्हित की गयी। बिजली वितरण, पारेषण, उत्पादन कंपनियो और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संदर्भ में पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड से अंतरित हुए असमाधित शेष की समय समय पर कोई समीक्षा नहीं हुई, जो कंपनी के वित्तीय विवरणों पर असर डाल सकते थे।

हमारे मत में कंपनी के पास, सभी प्रमुख संदर्भों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे। नियंत्रण कसौटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के बारे में उपर वर्णित महत्वपूर्ण खामी के संभावित असर को छोड़कर, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

31 मार्च 2020 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में लागू किये गये लेखा परीक्षण जांच की प्रकृति, समय और सीमा के निर्धारण में हमने चिन्हित और उपर प्रतिवेदित महत्वपूर्ण त्रुटियों पर विचार किया है।

अन्य विषय

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता और पर्याप्तता के बारे में अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी रिपोर्ट, जहां तक इसका संबंध भारत में कार्यरत अपनी 6 सहयोगी कंपनियों से है, यह उन सहयोगी कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या– 001035एनध्एन500050
ह./–
संजय नाथ
साझेदार
सदस्यता संख्या–082700
यूडीआईएन : 20082700एएबीओए6094

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30.12.2020

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम

सीआईएनः यू40103डीएल2001एसजीसी111528

31 मार्च 2020 को समेकित तुलन पत्रक

(लाख रुपये में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	आस्तियां			
1	**गैर वर्तमान आस्तियां**			
	क) संपत्ति, संयंत्र, उपकरण	2	5.68	5.33
	ख) अमूर्त आस्तियां	3	0.03	0.03
	ग) वित्तीय आस्तियां			
	i) इक्विटी शेयर में निवेश	4	402,835.44	354,810.59
	घ) अन्य गैर–वर्तमान आस्तियां	5	99,657.13	132,921.03
	ङ) साख		6,897.69	6,897.69
			509,395.97	**494,634.67**
2	**वर्तमान आस्तियां**			
	(क) वित्तीय आस्तियां			
	(i) नकदी और नकदी समतुल्य	6	9.84	25,740.69
	(ii) बैंक शेष और जमा	7	121,634.10	82,897.38
	(iii) अन्य वित्तीय आस्तियां	8	50,525.00	52,120.34
	(ख) अन्य वर्तमान आस्तियां	9	470,860.68	405,995.01
			643,029.62	**566,753.42**
	कुल परिसंपत्तियां		**1,152,425.59**	**1,061,388.09**
	इक्विटी और देयताएं			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	74,505.00	74,505.00
	(ख) अन्य इक्विटी	11	374,996.03	315,393.72
			449,501.03	**389,898.72**
2	**देयताएं**			
	गैर वर्तमान देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी	12	66,527.80	99,791.70
	(ii) व्यापार देयताएं			
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को	13	-	-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से अलग अन्य को	13	16,933.98	16,933.98
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	14	157,708.99	157,708.99
			241,170.77	**274,434.67**
	वर्तमान देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं	15	461,689.26	396,954.59
	(i) अन्य वित्तीय देयताएं			
	(ii) व्यापार देयताएं	16	2.38	7.76
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को	16	-	-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से अलग अन्य को	17	6.93	13.32
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	18	55.22	79.03
	(ग) वर्तमान कर देयता		**461,753.79**	**397,054.70**
	कुल इक्विटी और देयताएं		**1,152,425.59**	**1,061,388.09**

संलग्न टिप्पणियां 1 से 45, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एएस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
सीए संजय नाथ	**(हरशिंदर सिंह)**	**(पलक जैन)**	**(पद्मनी सिंगला)**
साझेदार	उप महाप्रबंधक वित्त	कंपनी सचिव	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 082700			डीनः 007539635

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.12.2020

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम

सीआईएनः यू40103डीएल2001एसजीसी111528

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित लाभ और हानि विवरण

(लाख रुपये में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये
आय				
I	परिचालन से प्राप्त आय	21	-	-
II	अन्य आय	22	8,422.10	8,088.13
III	**कुल आय (I+II)**		**8,422.10**	**8,088.13**
IV	**व्यय**			
	(क) कर्मचारी लाभ व्यय	23	217.43	209.73
	(ख) ह्रास	2 & 3	1.07	1.19
	(ग) अन्य व्यय	24	72.51	514.84
	कुल व्यय (IV)		**291.01**	**725.76**
V	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (III–IV)**		**8,131.09**	**7,362.37**
	जोड़ेः सहयोगी कंपनियों में निबल लाभ/(हानि) का हिस्सा इक्विटी विधि से लेखा परीक्षित		**53,031.86**	**44,708.68**
VI	**कर व्यय**			
	(क) वर्तमान कर		1,422.27	1,011.03
	(ख) आस्थगित कर			
VII	**कर बाद लाभ/(हानि) (V–VI)**		**59,740.68**	**51,060.02**
VIII	**अन्य व्यापक आय**			
	ए. (i) मद जो लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं होंगे		-	-
	– सहयोगी कंपनियों में अन्य व्यापक आय का हिस्सा इक्विटी विधि से लेखा परीक्षित		(138.37)	26.20
			(138.37)	**26.20**
IX	**अवधि के लिये कुल व्यापक आय (VII–VIII) (लाभ हानि सहित)**		**59,602.31**	**51,086.22**
	प्रति इक्विटी शेयर आय			
	प्राथमिक (प्रत्येक 10 रुपये फेस मूल्य का)	25	8.00	6.86
	तनुकृत (प्रत्येक 10 रुपये अंकित मूल्य का)	25	8.00	6.86

संलग्न टिप्पणियां 1 से 45, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एएस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
सीए संजय नाथ	**(हरशिंदर सिंह)**	**(पलक जैन)**	**(पद्मिनी सिंगला)**
साझेदार	उप महाप्रबंधक वित्त	कंपनी सचिव	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 082700			डीनः 007539635

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.12.2020

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम

सीआईएनः यू40103डीएल2001एसजीसी111528

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व कुल व्यापक आय	61,024.58	52,097.24
निम्नलिखित के लिये समायोजित		
ह्रास	1.07	1.19
बैंको में सावधि जमा से ब्याज आय	(8,373.30)	(5,365.78)
लाभांश आय	-	(2,674.19)
सहयोगी कंपनियों के लिये मान्य लाभ और ओसीआई, इक्विटी विधि से मापित	(52,893.49)	(44,734.87)
देयताओं और आस्तियों में समोयोजन से पहले परिचालन लाभ	(241.14)	(676.41)
अन्य वित्तीय आस्तियों (वर्तमान आस्तियों) में कमी/वृद्धि	3,239.72	1,209.71
वर्तमान देयताओं में कमी/वृद्धि	(11.78)	7.63
अन्य वित्तीय देयताओं में कमी/वृद्धि	(129.93)	-
वर्तमान कर देयता में वृद्धि/कमी	(23.81)	-
	3,074.20	1,217.34
आयकर भुगतान योग्य	(55.22)	430.54
भुगतान किया गया अग्रिम कर	(1,367.06)	(932.00)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	**1,410.78**	**39.48**
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
विमोचन योग्य संचयी प्राथमिकता शेयर के 12 प्रतिशत का शोधन	-	24,500.00
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर पूंजी व्यय	(1.43)	(1.88)
बैंकों में सावधि जमा से ब्याज आय	6,727.88	4,387.37
लाभांश आय	4,868.64	9,941.87
नकदीकृत और निवेशित सावधि जमा	(38,736.72)	(13,173.86)
निवेश गतिविधियों से निबल नकदी प्रवाह (बी)	(27,141.63)	25,653.50
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
वर्ष के दौरान चुकाया गया ऋण	-	-
वित्तीय गतिविधियों से निबल नकदी प्रवाह (सी)	-	-
नकदी और नकदी समतुल्य में निबल वृद्धि/(कमी)	**(25,730.85)**	**25,692.98**
नकद और नकद समतुल्य (ए+बी+सी) में शुद्ध वृद्धि / (कमी)	25,740.69	47.71
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	9.84	25,740.69
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		
तुलन पत्रक के साथ नकदी और नकदी समतुल्य का मिलान	**9.84**	**25,740.69**
तुलन पत्रक के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य		
नकदी और नकदी समतुल्य के घटक		
बैंको में जमा शेष	9.84	25,740.69
(i) चालू खाता		
(ii) बैंको में सावधि जमा	**9.84**	**25,740.69**
कुल नकदी और नकदी समतुल्य		

संलग्न टिप्पणियां 1 से 45, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एएस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
सीए संजय नाथ	**(हरशिंदर सिंह)**	**(पलक जैन)**	**(पद्मिनी सिंगला)**
साझेदार	उप महाप्रबंधक वित्त	कंपनी सचिव	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 082700			डीनः 007539635

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.12.2020

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपये में)

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति यानी 31.03.2019 को शेष	वर्ष 2019–2020 के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति यानी 31. 03.2020 को शेष
74,505.00	-	74,505.00

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	रिजर्व और अधिशेष (2018–19)		कुल
	पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित आय	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत यानी 1 अप्रैल 2018 को शेष	236,311.89	27,995.60	**264,307.49**
वर्ष के लिये लाभ (क)	-	51,060.02	**51,060.02**
अन्य व्यापक आय (ख)	-	26.20	**26.20**
वर्ष के लिये कुल व्यापक आय (क+ख)	-	51,086.22	**51,086.22**
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यानी 31 मार्च 2019 को शेष	236,311.89	79,081.82	**315,393.71**

(INR Lakhs)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष (2019–20)		कुल
	पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित आय	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत यानी 1 अप्रैल 2019 को शेष	236,311.89	79,081.82	**315,393.71**
वर्ष के लिये लाभ (क)	-	59,740.68	**59,740.68**
अन्य व्यापक आय (ख)	-	(138.37)	**(138.37)**
वर्ष के लिये कुल व्यापक आय (क+ख)	-	59,602.31	**59,602.31**
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यानी 31 मार्च 2020 को शेष	236,311.89	138,684.13	**374,996.0**

संलग्न टिप्पणियां 1 से 45, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एएस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
सीए संजय नाथ	**(हरशिंदर सिंह)**	**(पलक जैन)**	**(पद्मनी सिंगला)**
साझेदार	उप महाप्रबंधक वित्त	कंपनी सचिव	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 082700			डीन: 007539635

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.12.2020

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित वित्तीय विवरणों का टिप्पणी भाग

टिप्पणी–1

ए. कंपनी की जानकारी

(i) दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (कंपनी) भारत में निगमित और शेयरों से संचालित कंपनी है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है–'शक्तिसदन, कोटला मार्ग नई दिल्ली, 110002। कंपनी दिल्ली विद्युत बोर्ड की उत्तराधिकारी कंपनी के रूप में शुरू की गई थी।

(ii) दिल्ली बिजली सुधार अधिनियम 2020 की धारा 60, धारा 15 और 16 के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली बिजली सुधार (हस्तांतरण योजना) विनियम 2001 बनाया और दिनांक 20.11.2001 की अधिसूचना संख्या एफ.11(99)2001–पावर/2867 द्वारा जारी किया। इसके तहत दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) की आस्तियों, कार्यवाहियों और कर्मियों का उत्तराधिकारी कंपनियों में हस्तांतरण और इसके लिए आवश्यक नियम और शर्तें तय की गईं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 26 जून 2002 की अधिसूचना संख्या 215 के द्वारा एक जुलाई 2002 से इन नियमों को प्रभावी बनाया। इसी तिथि से दिल्ली विद्युत बोर्ड की आस्तियां और देयताएं दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड सहित उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गईं।

(iii) दिल्ली विद्युत बोर्ड की आस्तियां और देयताएं उत्तराधिकारी कंपनियों में, हस्तांतरण योजना विनियम की अनुसूची 'बी' से 'जी' तक अनुलग्नित आरंभिक तुलनपत्रकों के अनुरूप हस्तांतरित की गई। दिल्ली विद्युत बोर्ड को समाप्त किए जाने के पहले की अवधि की देयताएं जो बाद की पांच उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित नहीं की गई थी, वे अनुसूची 'जी' के अनुसार दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई।

(iv) कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी तीन डिस्कॉम्स– बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, टाटा पावर डेल्ही डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड तथा पारेषण केंद्र– दिल्ली ट्रांस्को लिमिडेट, उत्पादन केंद्र– इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड और कचरा प्रबंधन परियोजना के लिए गठित इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में है। कंपनी ने इन कंपनियों की कुल इक्विटी शेयर पूंजी के निम्नलिखित अनुपात में इक्विटी शेयर पूंजी का अंशदान किया है।

संस्था/कंपनी		डीपीसीएल की इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत
क)	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	49
ख)	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	49
ग)	टाटा पावर डेल्ही डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड	49
घ)	दिल्ली ट्रांस्को लिमिडेट	6.58
ड़)	इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	19.01
च)	इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50

बी. तैयारी का आधार

1. अनुपालन विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (कंपनी) की धारा 133, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) विनियम 2015, अद्यतन संशोधित, और अधिनियम के अन्य व्यवहार्य प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक–(इंड एएस) के अनुसार लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं।

31 मार्च 2016 तक की सभी अवधियों के लिये कंपनी ने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, कंपनी (लेखांकन) विनियम, 2014 के साथ पठित, के अनुरूप तैयार किया है।

2. मापन का आधार

वित्तीय विवरण पारंपरिक कॉस्ट कन्वेंशन के तहत लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं। केवल कुछ वित्तीय आस्तियों और देयताओं का मापन समुचित मूल्य पर किया गया है।

2 ए. समेकन का आधार

(i) कंपनी अधिनियम की धारा 129(3), स्पष्टीकरण के साथ पठित, कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–III के अनुसार फॉर्म में अपनी और सहयोगी कंपनियों का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) विनियम,2015 के साथ पठित, कंपनी को अधिनियम के अन्य व्यवहार्य प्रावधानों और अद्यतन संशोधित नियमों के अनुलग्नक के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) का अनुपालन करना आवश्यक है।

(ii) मूल कंपनी और इसकी सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण इक्विटी विधि के अनुसार उस तिथि से संयुक्त किये गये हैं जिस तिथि पर ये कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) विनियम 2015 के अंतर्गत अधिसूचित "सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रम" में निवेश पर इंड एएस– 28 के अनुसार सहयोगी कंपनी की परिभाषा में आयीं।

(iii) सहयोगी कंपनियों में निवेश का, जिनमें मूल कंपनी इक्विटी का 20 प्रतिशत से अधिक धारण करती हो या महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हो, लेखांकन इक्विटी विधि के उपयोग के लिये "सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रम" में निवेश पर इंड एएस– 28 के अनुसार किया जाता है।

मेसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और मेसर्स इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड सहयोगी कंपनी मानी गयी हैं क्योंकि मूल कंपनी साझा प्रबंधन और लेनदेन के कारण इनपर महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है।

(iv) मेसर्स इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसमें मूल कंपनी की कुल शेयर पूंजी में 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी धारिता है, निम्नलिखित कारणों से संयुक्त नियंत्रण की कंपनी के बदले एसोसियेट मानी गयी हैः–

क) आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिये अनुबंधगत व्यवस्था नहीं है।

ख) आर्थिक गतिविधि संयुक्त नियंत्रण के अधीन नहीं है।

ग) निदेशक मंडल की संरचना मूल कंपनी के नियंत्रण के अधीन नहीं है जिससे इसकी गतिविधियों का कोई आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

(v) समेकन के लिये प्रयुक्त सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तिथि से लिये गये हैं, जिससे कि मूल कंपनी के, यानि 31 मार्च 2020 से और समेकित वित्तीय विवरण भी समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाक्रमों के लिये लेखांकन नीतियों का उपयोग करते हुये तैयार किये गये हैं और संभव सीमा तक मूल कंपनी के पृथक वित्तीय विवरण की तरह समान ढंग से तैयार किये गये हैं।

(vi) मूल कंपनी ने इक्विटी विधि के अनुसार एसोसियेट कंपनी के निबल लाभ में (करों के बाद) अपने आनुपातिक भाग को शामिल करते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये हैं। मूल कंपनी और सहयोगी कंपनियों के बीच लेनदेन से होने वाले अप्राप्त लाभ और हानियों को मूल कंपनी के आनुपातिक भाग की सीमा तक हटा दिया गया है।

(vii) सहयोगी कंपनियों में मूल कंपनी की निवेश राशि का निर्धारण एसोसियेट कंपनियों के लेखा परीक्षित विवरणों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया गया है। निवेश के अधिग्रहण पर अधिग्रहण लागत और एसोसियेट कंपनी में कंपनी के इक्विटी भाग के बीच का कोई अंतर सद्भाव या पूंजी रिजर्व के रूप में माना गया है, जैसी भी स्थिति हो।

(viii) निम्नलिखित विवरण के अनुसार मूल कंपनी ने एसोसियेट कंपनियों में अतिरिक्त निवेश किया है:

कंपनी / कंपनियां		प्रत्येक 10/– के इक्विटी शेयर में अतिरिक्त निवेश	प्रत्येक 100/– के समग्र प्रिफरेंस शेयर में अतिरिक्त निवेश	तिथि
		राशि	राशि	
क)	बीएसईएस राजधानी पावर लि.	21560.00 लाख	–	10.02.2012
ख)	बीएसईएस यमुना पावर लि.	28420.00 लाख	–	10.02.2012
ग)	टाटा पावर डेल्ही डिस्ट्रीब्यूशन लि.	–	24500.00 लाख	19.03.2013 (27.02.2019 को रिडीम)
घ)	डेल्ही ट्रांसको लिमिटेड			
घ)	दिल्ली ट्रांस्को लिमिडेट	8000.00 लाख	–	01.10.2010
ड़)	इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड			19.01
च)	इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड			50

(ix) मूल कंपनी ने इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में 26.12.2006 को प्रत्येक 10/– मूल्य के 50000 इक्विटी शेयर लिये जिनका कुल मूल्य 5 लाख रुपये था। हालांकि कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनी मेसर्स इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में प्रतिधारित निवेश राशि के आधिक्य में हानि का अपना हिस्सा नहीं दर्शाया है और तुलन पत्रक तिथि पर इस एसोसियेट में निवेश शून्य दर्शाया गया है।

(x) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–III के भाग III की अपेक्षानुसार कंपनी को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करानी थी। इसके अनुसार अतिरिक्त जानकारी 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये टिप्पणी 30 और 31 के रूप में उपलब्ध करायी गयी है।

3. कार्यशील और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रूपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि कंपनी की कार्यशील मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी कंपनी के लिए निकटतम लाख रुपए में समायोजित की गई है।

4. आकलनों और प्रबंधकीय निर्णयों का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमानों और आकलनों की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और तुलन पत्रक तिथि पर आकस्मिक आस्तियों और देयताओं सहित आस्तियों, देयताओं के प्रतिवेदित मूल्य, आय, व्यय और संबंधित स्पष्टीकरणों पर प्रभाव डाल सके। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पूर्व अनुभव और संबंधित परिस्थियों में तर्कसंगत और विवेकपूर्ण माने गए अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। आकलनों और निहित अनुमानों की समीक्षा मौजूदा आधार पर की गई है, लेखांकन आकलनों की पुनरू समीक्षा, यदि कोई हो तो, वे उस अवधि में मान्य की जाएंगी जिसमें इन आकलनों को संशोधित किया गया था।

सी. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वर्तमान और गैर वर्तमान वर्गीकरण।

कंपनी वर्तमान/गैर वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्रक में आस्तियों और देयताओं को दर्शाती है।

कोई आस्ति वर्तमान मानी जाती है जब यह:

– सामान्य संचालन क्रम में मान्य या बिक्री के लिए प्रस्तुत या उपयोग में लाई जाती है,

– मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है,

– रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर मान्य की जा सकती है, या

– नकदी या नकदी समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 महीने बाद किसी देयता के समायोजन के लिए प्रयुक्त या अदल–बदल के लिए प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी आस्तियां गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

कोई देयता वर्तमान मानी जाती है जब इसकेः

– सामान्य संचालन क्रम में समायोजित होने की संभावना हो,
– मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के रखी गई हो,
– रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर समायोजित की जानी हो, या
– रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता का समायोजन स्थगित करने का कोई अप्रतिबंधित अधिकार न हो।

अन्य सभी देयताएं गैर वर्तमान श्रेणी में रखी जाती हैं। वर्तमान देयताओं में गैर वर्तमान वित्तीय देयताओं का वर्तमान हिस्सा शामिल है।

2. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के मदों का मापन लागत रहित संचित ह्रासध्परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, के रुप में होता है। लागत में वह व्यय शामिल है जो आस्ति को स्थल तक लाने और प्रबंधन के निर्णयानुसार संचालन के लिए सक्षम बनाने में किया गया हो। पीपीई का कोई मद एक आस्ति के रूप में मान्य होता है यदि यह संभावना हो कि भविष्य में इससे जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकेगी।

ii) बाद में किया जाने वाला व्यय आस्ति के मौजूदा मूल्य में बढोतरी के रूप में मान्य होता है जब यह संभावना हो कि किए गए व्यय से होने वाला आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकेगी।

iii) पीपीई के किसी मद को निस्तारण के बाद अमान्य किया जाता है या जब उसके निस्तारण या उसके उपयोग से किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। अमूर्त आस्तियों को अमान्य किए जाने से होने वाले लाभ या हानि का मापन निबल निस्तारण प्रक्रिया और आस्ति के मौजूदा मूल्य के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे आस्ति के अमान्य होने पर लाभ– हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

3. अमूर्त आस्तियां

i) अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त आस्तियों का मापन लागत की आरंभिक मान्यता पर किया जाता है। आरंभिक मान्यता के बाद अमूर्त आस्तियां, किसी संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मान्य की जाती है।

ii) आंतिरक उपयोग के लिए अधिगृहित सॉफ्टवेयर (संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं होने की स्थिति में), अधिग्रहण लागत पर, संचित परिशोधन और क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मान्य किए जाते हैं।

iii) अमूर्त आस्तियों का कोई मद निस्तारण के बाद या भविष्य में इसके उपयोग या निस्तारण से किसी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहने के बाद अमान्य कर दिया जाता है। किसी अमूर्त आस्ति को अमान्य किए जाने से होने वाले लाभ या हानि का मापन निबल निस्तारण प्रक्रिया और आस्ति के मौजूदा मूल्य के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे आस्ति के अमान्य होने पर लाभ–हानि विवरण में मान्य कर दिया जाता है।

4. ह्रास और परिशोधन

i) स्थाई आस्तियों में ह्रास का मापन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची प्प में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के अनुरूप सीधी रेखा विधि से किया जाता है।

ii) अमूर्त आस्तियों का परिशोधन इसके उपयोग की कानूनी अवधि या तीन वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर सीधी रेखा विधि से किया जाता है।

iii) पांच हजार रूपए मूल्य की या इससे कम की स्थायी आस्तियां, खरीद वर्ष में पूरी तरह ह्रासित कर दी जाती हैं।

5. अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और सहायक कंपनियों में निवेश

i) अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर में निवेश लागत मूल्य पर किया जाता है। इंड एएस 36 'आस्तियों की क्षति' के प्रावधानों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी किसी संकेत के निर्धारण के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर निवेश की समीक्षा की जाती है। यदि कोई ऐसा संकेत मिलता है तो क्षति हानि मान्य कर दी जाती है।

6. अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और सहायक कंपनियों में निवेश के अलावा वित्तीय आस्तियां

i) कंपनी की वित्तीय आस्तियों में नकदी और नकदी समतुल्य, बैंक बैलेंस, अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयर में निवेश, व्यापार प्राप्य, कर्मचारियोंध्ठेकेदारों को अग्रिम, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे इत्यादि शामिल होते हैं। इन आस्तियों में नकदी या कोई अन्य वित्तीय आस्ति प्राप्त करने संबंधी अनुबंध या कंपनी के लिए अनुकूल होने की स्थिति में वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देयताओं की अदला–बदली भी शामिल है। किसी वित्तीय आस्ति को तभी मान्य किया जाता है जब कंपनी उसके अनुबंधगत प्रावधानों के तहत एक पक्ष होती है।

ii) कंपनी अपनी वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती हैय

- परिशोधित मूल्य पर आकलित आस्तियां,
- अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य पर आकलित आस्तियां (एफवीटीओसीआई)।

iii) सभी वित्तीय आस्तियों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य पर दर्ज न होने की स्थिति में उस वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण में लगी लागत वित्तीय आस्ति की लागत के रूप में मान्य की जाती है।

iv) उधारी उपायों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है यदि ये दोनों शर्तें पूरी होती हों:

- आस्ति ऐसे व्यवसाय मॉडल में हो, जिसका उद्देश्य अनुबंधगत नकदी प्रवाह के संकलन के लिए आस्ति धारित करना हो।
- आस्ति की अनुबंधगत शर्तें विशिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह में वृद्धि करती हों जो पूरी तरह से मूल राशि और मूल राशि पर बकाया ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान हो।

आरंभिक मापन के बाद इन वित्तीय आस्तियों का मापन परिशोधित लागत पर, प्रभावी ब्याजदर (ईआईआर) विधि से किया जाता है। परिशोधित लागत की संगणना किसी डिस्काउंट या प्रीमियम तथा शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न हिस्सा है। ईआईआर परिशोधन लाभ हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। क्षति के कारण होनेवाली हानि लाभ–हानि विवरण में मान्य की जाती है।

v) किसी उधारी का मापन एफवीटीओसीआई पर किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों:

- व्यापार मॉडल का उद्देश्य, अनुबंधगत नकदी प्रवाह के संकलन और वित्तीय आस्ति के बिक्रय दोनों माध्यमों से पूरा होता हो, और
- आस्ति का अनुबंधगत नकदी प्रवाह, एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता हो।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर उधारी का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संबंधी गतिविधियां अन्य व्यापक आय (ओसीआईद्ध में मान्य की जाती हैं। हालांकि कंपनी ब्याज आय, क्षति हानि को लाभ–हानि विवरण में दर्शाती है। आस्ति को अमान्य किए जाने की स्थिति में संचित लाभ या हानि जो पहले ओसीआई में मान्य की गई थी, लाभ और हानि से इक्विटी में पुनरूवर्गीकृत की जाती है। इन वित्तीय आस्तियों से होने वाली ब्याज आय ईआईआर विधि से अन्य आय में शामिल की गई है।

vi) अनुषंगी, सहायक और संयुक्त उपक्रमों के अलावा अन्य कंपनियों में इक्विटी निवेश का मापन अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीओसीआईद्ध पर किया जाता है। ये वर्गीकरण आरंभिक मान्यता पर किया गया है और बदले जाने योग्य नहीं है। एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत किसी इक्विटी के मूल्य संबंधी बदलावों को ओसीआई में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का पुनरूवर्गीकरण नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी में हस्तांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यदि कोई हो तो उसका मापन लाभ–हानि विवरण में मान्य सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर किया जाता है।

vii) किसी वित्तीय आस्ति को तभी अमान्य किया जाता है जब रू

- कंपनी ने वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया हो या
- वित्तीय आस्ति का नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अनुबंधगत अधिकार बनाए रखा हो लेकिन नकदी प्रवाह का भुगतान एक या अनेक प्राप्तकर्ताओं को करने के अनुबंधगत शर्त से बंधा हो।

viii) इंड एएस 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित आस्तियों पर क्षति हानि के मापन और मान्यता के लिए अनुमानित जमा हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है रू

- वित्तीय आस्तियां जो ऋण साधन हैं और परिशोधित लागत पर मापी गई हैं,
- वित्तीय आस्तियां जो ऋण साधन है और एफवीटीओसीआई पर मापी गई हैं।

7. वित्तीय देयताएं

i) कंपनी की वित्तीय देयताएं कंपनी के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में अन्य कंपनी को नकद भुगतान या अन्य वित्तीय आस्तियां देने या किसी अन्य कंपनी के साथ वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं की अदल–बदल की अनुबंधगत शर्त है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण और उधारी, व्यापार और अन्य भुगतान योग्य, प्रतिभूति जमा, धारित राशि इत्यादि आती हैं।

ii) वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य से सीधे तौर पर भुगतान योग्य लेन–देन लागत घटाकर मान्य किया जाता है। प्रक्रिया (निबल लेन देन लागत) और आरंभिक मान्यता पर उचित मूल्य का अंतर लाभ–हानि विवरण में या आस्ति के मौजूदा मूल्य में मान्य किया जाता है, यदि अन्य मानक प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए उधारी अवधि से इतर के लिए अनुमति देता हो।

iii) आरंभिक मान्यता के बाद वित्तीय देयताओं का मापन ईआईआर विधि से परिशोधित लागत पर किया जाता है अन्य मामलों में जब देयताएं अमान्य की जाती हैं तो लाभ और हानि को लाभ हानि विवरण में या आस्ति की मौजूदा राशि में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक अनुमति देते हों। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है, जो ईआईआर का अभिन्न हिस्सा है। लाभ–हानि विवरण में ईआईआर परिशोधन को वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

iv) एक वित्तीय देयता तब अमान्य की जाती है जब देयता के अंतर्गत दायित्वों को पूरा कर दिया गया हो या रद्द कर दिया गया हो या उनकी अवधि समाप्त हो चुकी हो। जब कोई मौजूदा वित्तीय देयता उसी ऋणदाता के अन्य देयता से भिन्न शर्तों पर बदली जाती है या मौजूदा देयता की शर्तें संशोधित हो जाती हैं, तो इस प्रकार की अदल–बदल का संशोधन मूल देयता के अमान्यीकरण और एक नई देयता के मान्यीकरण के रूप में मानी जाती है। संबंधित मौजूदा राशि में अंतर लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

v) वित्तीय आस्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट कर दी जाती है और निबल राशि तुलनपत्रक में प्रतिवेदित की जाती है, यदि मान्य राशि को ऑफसेट करने का बाध्यकारी कानूनी अधिकार होता है और निबल आधार पर आस्तियों को मान्य करने तथा देयताओं के समायोजन की मंशा होती है।

8. राजस्व मान्यीकरण और अन्य आय

कंपनी की, 01.04.2018 से प्रभावी इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व" के तहत आने वाली कोई आय नहीं है, इसलिये कंपनी के लिये इंड एएस 115 के अनुसार लेखा में मापन और स्पष्टीकरण संबंधी अपेक्षाएं पूरी करना जरूरी नहीं है। अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व को उस सीमा तक मान्य किया गया है जहां तक उससे कंपनी को आर्थिक लाभ पाने और राजस्व के विश्वसनीय ढंग से मापन की संभावना है, चाहे भुगतान किसी भी समय किया जा रहा हो, केवल निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर जो नकदी आधार पर लेखांकित किये जाते हैं।

i. समायोजन पर या न्यायालयध्मध्यस्थता, अर्दधन्यायिक निकायों के निर्णय के अनुसार ब्याज सहित प्राप्त दावे

ii. बीमा दावों की प्राप्ति

iii. स्क्रैप की बिक्री

iv. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को चुकाया गया ब्याजध्एपीडीआरपी योजना के तहत ऋण पर डिस्कॉम्स से प्राप्त ब्याज

v. इक्विटी शेयर पर प्राप्त लाभांश

vi. ऋण पर दंडात्मक ब्याज सहित ओवरड्यू भुगतान पर विलंब भुगतान सरचार्ज प्राप्ति आधार पर दर्ज किया जाता है।

9. सरकारी अनुदान

i. प्रमोटर के अंशदान के रूप में सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता पूंजी रिजर्व मानी जाती है।

ii. जहां सरकारी अनुदान सकल मूल्य पर प्रस्तुत आस्ति से जुड़ा होता है, वहां वह लाभ–हानि विवरण में आस्ति के उपयोगी जीवन पर आय के रूप में मान्य होता है। जो अनुदान कंपनी द्वारा किये गये व्यय की क्षतिपूर्ति के लिये होते हैं वे उस अवधि में मान्य होते हैं जिसमें व्यय किया गया।

10. नकदी और नकदी समतुल्य तथा बैंक शेष और जमा

तुलन पत्रक में नकदी और नकदी समतुल्य तथा बैंक शेष और जमा में बैंक में रखी और पास में उपलब्ध नकद राशि तथा तीन महीने से कम की वास्तविक परिपक्वता अवधि वाले लघु अवधि जमा शामिल होते हैं, जिनके मूल्य में बदलाव का जोखिम नहीं के बराबर होता है। तीन महीने से अधिक की वास्तविक परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा सहित बैंक शेष अलग से बैंक शेष के तहत दर्शाये जाते हैं।

11. प्रावधान और आपात देयताएं

कोई प्रावधान तब मान्य किया जाता है जब किसी पिछली घटना के कारण कंपनी का मौजूदा कानूनी या रचनात्मक दायित्व हो जिसका विश्वसनीय ढंग से आकलन किया जा सकता हो, और यह संभावित हो कि इस दायित्व के समायोजन के लिये आर्थिक लाभ का बहिर्गमन जरूरी होगा। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो, तो प्रावधानों का निर्धारण कर पूर्व दर पर भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह को निकाल कर किया जाता है जो धन के समय मूल्य का मौजूदा बाजार आकलन और देयता के लिये जोखिम विशेष दर्शाता है। जब मितीकाटा का उपयोग किया जाता है तो समय गुजरने के साथ प्रावधान में वृद्धि वित्तीय लागत के रूप में दर्शायी जाती है।

जब किसी प्रावधान के समायोजन के लिये आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से वसूले जाने की संभावना होती है तो प्राप्य को एक आस्ति के रूप में मान्य किया जाता है यदि यह निश्चित प्रतीत होता हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जायेगी और प्राप्य राशि विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकेगी। प्रावधान से संबंधित लागत, किसी भी प्रतिपूर्ति से निबल, लाभ– हानि विवरण में दर्शायी जाती है।

आपात देयताएं लेखा में टिप्पणी या इन देयताओं की राशि के जरिये स्पष्ट की जाती है।

12. कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ

डीपीसीएल में कार्यरत कर्मचारी डीटीएल/आईपीजीसीएल से या तो स्थानांतरित या प्रतिनियुक्ति आधार पर हैं। कंपनी इन्हें वेतन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, एलटीसी, अवकाश वेतन, पेंशन अंशदान आदि का भुगतान डीटीएल/आईपीजीसीएल को प्रतिपूर्ति/समायोजन के जरिये कर रही है। कंपनी में प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के लिये अंशदान का भुगतान संबंधित मूल विभाग/कंपनी को किया जा रहा है। चूंकि कंपनी का अपना कोई नियमित कर्मचारी नहीं है, इसलिये कंपनी में सेवा निवृत्ति लाभ की कोई नीति नहीं बनायी गयी है।

13. पूर्व अवधि व्यय

पूर्व वर्षों के प्रत्येक संदर्भ में 25,000 रुपये तक का आय / व्यय मौजूदा वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

14. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर प्राथमिक आय की संगणना, कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को होने वाले निबल लाभ या हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत आय में प्रति शेयर प्राथमिक आय के निर्धारण में प्रयुक्त आंकड़ों का समायोजन किया जाता है ताकि ब्याज के कर बाद प्रभाव और तनुकृत किये जा सकने वाले इक्विटी शेयर से जुड़े अन्य वित्तीय लागत, तथा अतिरिक्त इक्विटी शेयर की औसत संख्या, जो तनुकृत किये जा सकने वाले शेयरों के बदलाव के कारण बकाया रह सकते थे, को ध्यान में रखा जा सके।

15. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण इंड एएस–7 "नकदी प्रवाह विवरण" में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

16. कराधान

आय कर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल होता है। वर्तमान कर व्यय लाभ या हानि में मान्य किया जाता है, उस सीमा को छोड़कर जहां यह सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में दर्ज मदों से या इक्विटी से संबंधित होता है, इस स्थिति में यह ओसीआई या इक्विटी में मान्य होता है।

वर्तमान कर, वर्ष के लिये कर योग्य आय पर भुगतान योग्य अनुमानित कर है। इसकी गणना लागू कर दर या बाद में लागू और रिपोर्टिंग तिथि पर व्यवहार्य दर और पिछले वर्षो के किसी भुगतान योग्य कर के समायोजन से की जाती है।

आस्थगित कर तुलन पत्रक विधि का उपयोग करते हुए मान्य किया जाता है, वित्तीय रिपोर्टिंग के लिये आस्तियों और देयताओं की वर्तमान राशि और कराधान के लिये प्रयुक्त राशि के बीच के अस्थायी अंतर का प्रावधान करते हुए। आस्थगित कर का मापन, लागू या रिपोर्टिंग तिथि पर लागू होने वाले कानूनों के आधार पर, उन दरों पर होता है जिन्हें अस्थायी अंतरों पर लागू किये जाने की संभावना होती है। आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं ऑफसेट हो जाती हैं यदि वर्तमान कर देयता और आस्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी बाध्यकारी अधिकार होता है और वे उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाये गये आय करों से संबंधित होती हैं।

आस्थगित कर लाभ या हानि में मान्य किया जाता है, उस सीमा को छोड़कर जहां यह सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में दर्ज मदों से या इक्विटी से संबंधित होता है, इस स्थिति में यह ओसीआई या इक्विटी में मान्य होता है।

आस्थगित कर आस्ति उस सीमा तक मान्य की जाती है जहां यह संभव हो कि भविष्य में करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसपर अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर आस्तियों की समीक्षा की जाती है और इसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि संबंधित कर लाभ मान्य होने की कोई संभावना नहीं रह जाती।

17. सद्भावना/पूंजी रिजर्व

सद्भाव/पूंजी रिजर्व एसोसियेट कंपनी के निबल मूल्य में मूल कंपनी का हिस्सा और सहायक कंपनी में निवेश करते समय अधिग्रहण लागत के बीच के अंतर को दर्शाता है। इस उद्देश्य के लिये सहायक कंपनियों के निबल मूल्य में मूल कंपनी के हिस्से का निर्धारण अधिग्रहण से पहले एसोसियेट कंपनियों के अद्यतन वित्तीय विवरणों के आधार पर, इन वित्तीय विवरणों की तिथि और संबंधित अधिग्रहण की तिथि के बीच के घटनाक्रमों के लिये जरूरी समायोजन के बाद, किया जाता है।

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित वित्तीय विवरणों का टिप्पणी भाग

टिप्पणी 2: परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (लाख रूपये)

विवरण	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कम्प्यूटर	एयर कंडीशनर	मोबाईल फोन	ब्रीफ केस	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8
समग्र ब्लॉक								
1 अप्रैल 2019 को	**26.66**	**4.33**	**3.40**	**18.94**	**3.64**	**0.25**	**0.33**	**57.55**
योग	-	-	-	1.31	-	0.08	0.04	**1.43**
निस्तारण	-	-	0.01	-	-	-	-	**0.01**
31 मार्च 2020 को	**26.66**	**4.33**	**3.39**	**20.25**	**3.64**	**0.33**	**0.37**	**58.97**
ह्रास								
1 अप्रैल 2019 को	**25.06**	**4.12**	**3.04**	**18.63**	**0.87**	**0.17**	**0.33**	**52.22**
अवधि के लिये प्रभार	0.17	-	0.05	0.12	0.65	0.04	0.04	**1.07**
निरसन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च 2020 को	**25.23**	**4.12**	**3.09**	**18.75**	**1.52**	**0.21**	**0.37**	**53.29**
निवल खंड								
31 मार्च 2019 को	**1.60**	**0.21**	**0.36**	**0.31**	**2.77**	**0.08**	**-**	**5.33**
31 मार्च 2020 को	**1.43**	**0.21**	**0.30**	**1.50**	**2.12**	**0.12**	**(0.00)**	**5.68**

टिप्पणी 3. अमूर्त आस्तियां– गैर वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल खंड	
1 अप्रैल 2019 को	**0.93**
योग	-
निस्तारण	-
31 मार्च 2020 को	**0.93**
ह्रास / परिशोधन	
1 अप्रैल 2019 को	**(0.90)**
अवधि के लिये प्रभार	-
निरस्ती करण/समायोजन	-
31 मार्च 2020 को	**(0.90)**
निवल खंड	
31 मार्च 2019 को	**0.03**
31 मार्च 2020 को	**0.03**

3.1 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की राशि, कंपनी द्वारा लगातार उपयोग में लाये जाने पर अपने परिरक्षित मूल्य पर रहती है।

टिप्पणी 4. इक्विटी शेयर में निवेश – गैर वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	%	इकाईयां	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अनुषंगी कंपनी के शेयरों में निवेश–(अनुदधृत, पूर्ण चुकता)				
(i) इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लि. (रु. 10/–प्रत्येक शेयर)	19.01	140000000	41713.22	36102.85
(ii) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड. (रु. 10/–प्रत्येक शेयर)	6.58	260000000	23751.60	22642.40
(iii) बीएसईएस यमुना पावर लि. (रु. 10/–प्रत्येक शेयर)	49.00	272440000	56778.26	46053.14
(iv) बीएसईएस राजधानी पावर लि. (रु. 10/–प्रत्येक शेयर)	49.00	509600000	101909.22	86696.19
(v) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. (रु. 10/–प्रत्येक शेयर) (इसमें 901,60,000 बोनस शेयर शामिल है)	49.00	270480000	178683.14	163316.01
(vi) इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लि.	0.00			
घटाएं : डीटीएल में निवेश पर क्षति हानि	50.00	50000	-	-
घटाएं : आईडबल्यूएमसीएल में निवेश पर क्षति हानि				
कुल			**402,835.44**	**354,810.59**

4.1 इंड एएस 28 के अनुसार क्रम संख्या (iii), (iv), (v) और (vi) की कंपनियां डीपीसीएल की सहयोगी कंपनियां हैं। डीपीसीएल की इन कंपनियों के कुल इक्विटी शेयर में 20 प्रतिशत या अधिक की शेयर धारिता के जरिये वोटिंग पावर है। क्रम संख्या (i) और (ii) की कंपनियां एसोसियेट हैं और डीपीसीएल का इनपर महत्वपूर्ण प्रभाव है।

4.2 चूंकि आईईडबल्यूएमसीएल की समग्र हानि डीपीसीएल द्वारा इसमें निवेश से अधिक है, इसलिये निवेश मूल्य शून्य दर्शाया गया है।

4.3 इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लि.और इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लि.अपने गैर लेखा परीक्षित अस्थायी वित्तीय विवरणों के आधार पर, हमारे वैधानिक अनुपालनों से अनुरूपता के लिये समेकित की जा रही हैं। उनकी वैधानिक लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय जानकारी में कोई बदलाव अगले वर्षों के वित्तीय विवरणों में शामिल कर लिया जायेगा।

टिप्पणी 5. अन्य गैर वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
वसूली योग्य बकाया–असुरक्षित लेकिन अच्छे समझे गए		
i. दिल्ली विद्युत बोर्ड के विघटन से पहले का वसूली योग्य बकाया	44,653.30	44,653.30
घटाएं: फंसे और संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	(11,523.97)	(11,523.97)
	33,129.33	33,129.33
ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य सीपीएसयू बकाया (डेसू अवधि)	66,527.80	99,791.70
कुल	**99,657.13**	**132,921.03**

5.1 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार डेसू अवधि का सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को चुकाये जाने वाली बिजली खरीद लागत देयता का भुगतान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया जाना था जिसके लिये भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को 3,32,639 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत/संवितरित किया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये कंपनी को यह ऋण 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर जारी कर दिया। इस ऋण को 31 मार्च 2014 से दस बराबर किस्तों में चुकाया जाना था। चूंकि कंपनी कोई वाणिज्यिक राजस्व सृजित नहीं करती इसलिये वह तय भुगतान रूपरेखा के अनुसार ऋण देयता के भुगतान में सक्षम नहीं हुई और कंपनी के जिम्मे 31.03.2020 को 66,527.80 लाख रुपये (पिछले वर्ष 99,791.70 लाख रुपये) बकाया हैं। हांला कि कंपनी की राय में डीईएसयू अवधि का सीपीएसयू बकाया हस्तांतरण योजना नियमों के अनुसार कंपनी की देयता का हिस्सा नहीं था, इसलिये कंपनी ने यह मामला, बकाया राशि को दिल्ली सरकार से गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग मानने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार इस ऋण को रद्द करने और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में एक मुश्त अनुदान में बदलने के लिये केंद्र सरकार से लगातार संपर्क कर रही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि इस राशि को दिल्ली सरकार के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल देने से डीपीसीएल के खाते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य दिखाई गयी यह राशि अपने आप दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल जायेगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने 18.04.2017 को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय को फिर इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव को दिनांक 21.10.2020 को डीओ पत्र भी भेजा है।इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लंबित अनुमोदन के कारण कंपनी इस ऋण राशि को ब्याज सहित बकाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अग्रिम के रूप में वसूली योग्य दिखला रही है, जिसे इस टिप्पणी और टिप्पण ी –9 में 'अन्य वर्तमान आस्तियों' के रूप में दर्शाया गया है। इसे देखते हुए लेखा में ऋण की बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

5.2 संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को छोडकर 44,653.30 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष 44,653.30 लाख) उपभोक्तातओं–घरेलू/औद्योगिक और सरकारी विभाग/कंपनियों से वसूली योग्य दिल्ली विद्युत बोर्ड के विभाजन से पहले की अवधि के बिजली शुल्क को दर्शाती है। जहां 28,682.80 लाख रुपये (पिछले वर्ष 28,682.80 लाख) सरकारी विभागों/कंपनियों से वसूली योग्य है वहीं 15,970.50 लाख रुपये (पिछले वर्ष 15,970.50 लाख) अन्य घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं से वसूली योग्य हैं। इन बकाया राशियों की वसूली का प्रयास अदालतों और अन्य अर्द्ध न्यायिक फोरम और तीन

डिस्कॉम्स के हस्तक्षेप से किया जा रहा है। हालांकि अधिशेष विलंब भुगतान प्रभार राशि, पुष्टि और समायोजन के अधीन है, जिसकी प्रक्रिया जारी है और सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद आवश्यक समायोजन कर लिया जायेगा।

टिप्पणी 6. नकदी और नकदी समतुल्य

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
बैंको में अधिशेष		
चालू खाते में	9.84	25,740.69
कुल	**9.84**	**25,740.69**

6.1 नकदी और नकदी समतुल्य उचित मूल्य होने से परिशोधित मूल्य पर लिया गया है।

टिप्पणी 7. बैंक अधिशेष और जमा

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
बैंको में अधिशेष		
जमा खाते में (एफडीआर)	121,634.10	82,897.38
कुल	**121,634.10**	**82,897.38**

टिप्पणी 8. अन्य वित्तीय आस्तियां– वर्तमान आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i) जमा पर प्रोद्भूत ब्याज		
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन एफडीआर पर बकाया नहीं	4,806.75	3,161.33
ब्याज प्रोद्भूत और ऋण–आईपीजीसीएल पर बकाया	-	3,023.32
(i) अग्रिम–अन्य		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य	5.72	5.72
डीटीएल से वसूली योग्य	17,808.40	18,025.83
आईपीजीसीएल से वसूली योग्य	8,011.61	8,011.62
बीएसईएस– आरपीएल से वसूली योग्य	12,293.81	12,293.81
बीएसईएस– वाईपीएल से वसूली योग्य	5,579.89	5,579.89
टीपीडीडीएल से वसूली योग्य	2,018.82	2,018.82
कुल	**50,525.00**	**52,120.34**

8.1 अग्रिम अन्य के तहत दर्शायी गयी राशि में दिल्ली विद्युत बोर्ड के विभाजन से पहले किये गये कार्यों के लिये ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के दावों के भुगतान के लिये कंपनी से जारी बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल, डीटीएल और आईपीजीसीएल से वसूली योग्य क्रमशः 9,258.52 लाख, 3,441.41लाख, 1,319.24 लाख, 12,210.63 लाख और 119.55 लाख रुपये की राशि शामिल है। कानूनी मत के अनुसार ये राशि इन कंपनियों से, 2010 में के.आर.जैन मामले में दिये गये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप, वसूली योग्य हैं। कंपनी ने बकायों की वसूली के लिये बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है। समान प्रबंधन के तहत सरकारी कंपनियां होने के नाते डीटीएल और आईपीजीसीएल से वसूली का काम कंपनी सीधे देख रही है। अग्रिम अन्य के तहत दर्शाये गये शेष में, दिल्ली विद्युत बोर्ड को समाप्त किये जाने की तिथि पर कंपनी को स्थानांतरित 19,363.18 लाख रुपये की राशि भी शामिल है, जो समायोजनध्पुष्टि के अधीन है, जिसकी प्रक्रिया जारी है और आवश्यक समायोजन सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन और समाधान के तहत किया जायेगा।

8.2 वित्तीय आस्तियां उचित मूल्य होने से परिशोधित मूल्य पर ली गयी है।

टिप्पणी 9. अन्य वित्तीय आस्तियां

(लाख रुपये मे)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
1. सीपीएसयू बकाये (डीईएसयू अवधि) पर रा.रा.क्षे.दि.स. से वसूली योग्य अग्रिम	266,111.20	232,847.30
2. सीपीएसयू (डीईएसयू अवधि) पर रा.रा.क्षे.दि.स. से वसूली योग्य राशि पर ब्याज	195,578.06	163,977.36
3. वसूली योग्य अग्रिम	8,116.10	8,116.10
4. रिफंड योग्य आयकर	1,055.32	1,054.25
कुल	**470,860.68**	**405,995.01**

9.1 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को भुगतान योग्य डीईएसयू अवधि की बिजली खरीद देयता का निर्वहन रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किया जाना था, और इसके लिये भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को 3,32,639 लाख रुपये का ऋण स्वीकृतध्संवितरित किया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये यह ऋण 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कंपनी को संवितरित कर दिया और 31 मार्च 2014 से 10 समान किस्तों में ऋण चुकाने का निर्देश दिया। चूंकि कंपनी कोई वाणिज्यिक राजस्व सृजित नहीं करती इसलिये वह तय भुगतान रूपरेखा के अनुसार ऋण देयता के भुगतान में सक्षम नहीं हुई और कंपनी के जिम्मे 31.03.2020 को 66,527.80 लाख रुपये (पिछले वर्ष 99,791.70 लाख रुपये) बकाया हैं। हांला कि कंपनी की राय में डीईएसयू अवधि का सीपीएसयू बकाया हस्तांतरण योजना नियमों के अनुसार कंपनी की देयता का हिस्सा नहीं था, इसलिये कंपनी ने यह मामला, बकाया राशि को दिल्ली सरकार से गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग मानने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार इस ऋण को रद्द करने और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में एक मुश्त अनुदान में बदलने के लिये केंद्र सरकार से लगातार संपर्क कर रही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि इस राशि को दिल्ली सरकार के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल देने से डीपीसीएल के खाते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य दिखाई गयी यह राशि अपने आप दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल जायेगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने 18.04.2017 को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय को फिर इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव को दिनांक 21.10.2020 को डीओ पत्र भी भेजा है। इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लंबित अनुमोदन के कारण कंपनी इस ऋण राशि को ब्याज सहित बकाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अग्रिम के रूप में वसूली योग्य दिखला रही है, जिसे इस टिप्पणी और टिप्पणी –5 में "अन्य गैर वर्तमान आस्तियों" के रूप में दर्शाया गया है। इसे देखते हुए लेखा में ऋण की बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

9.2 8,116.10 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष 8,116.10 लाख) रुपये पूर्व डीवीबी को समाप्त किये जाते समय कंपनी द्वारा ली गयी वसूली योग्य राशि दर्शाती है। हांलाकि अधिशेष पुष्टि और समाधान के अधीन है, जिसकी प्रक्रिया जारी है और आवश्यक समायोजन सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के बाद किया जायेगा।

टिप्पणी 10. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अधिकृत शेयर पूंजी		
प्रति 10 रुपये का इक्विटी शेयर	150,000.00	150,000.00
	150,000.00	**150,000.00**
जारी, सब्सक्राईब्ड और भुगतान की गयी पूंजी		
प्रति 10 रु. इक्विटी शेयर, पूर्ण चुकता	74,505.00	74,505.00
कुल	**74,505.00**	**74,505.00**

शेयरों की संख्या का मिलान

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में बचे शेयर	745,050,000	745,050,000
अवधि के दौरान योग	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बचे शेयर	**745,050,000**	**745,050,000**

शेयरो से जुड़े अधिकार, प्राथमिकतायें और पाबंदियां

कंपनी के पास प्रति शेयर 10 रुपये मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक का समान वोटिग, पूंजीगत और अन्य अधिकार हैं। इक्विटी शेयर धारक लाभांश प्राप्त करने और शेयर धारकों की बैठक में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में मताधिकार के लिये पात्र हैं। शेयरधारकों को किसी भी लाभांश या अन्य निधि का भुगतान निदेशक मंडल की अनुशंसा के बिना नहीं होगा।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों में वितरित किये जाने के लिये मान्य प्रति शेयर लाभांश की राशि शून्य थी।

कंपनी के कुल शेयरों में से 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारकों के शेयरों का विवरण

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
शेयरों की संख्या	745,050,000	745,050,000
दिल्ली के उपराज्यपाल और नामिती निदेशक‍ रा.रा.क्षे.दि.स.के कर्मचारी	100%	100%

टिप्पणी 11. अन्य इक्विटी

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
पूंजी रिजर्व		
रा.रा.क्षे.दि.स.से सहायता अनुदान		
31 मार्च 2020 को अधिशेष	207,969.69	207,969.69
	207,969.69	**207,969.69**
समेकन पर पूंजी रिजर्व	**28,342.20**	**28,342.20**
बहाल आय		
आरंभिक शेष	79,081.83	27,995.60
जोड़: वर्ष के लिये लाभ	59,740.68	51,060.02
जोड़: वर्ष के लिये अन्य व्यापक आय	(138.37)	26.20
	138,684.14	**79,081.83**
कुल	**374,996.03**	**315,393.72**

टिप्पणी 12. गैर वर्तमान देयताएं– वित्तीय देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
ऋणध्उधारी–असुरक्षित		
(i) रा.रा.क्षे.दि.स, सीपीएसयू बकाया (डीइएसयू अवधि)	332,639.00	332,639.00
घटाये: उधारी की वर्तमान परिपक्वता	(266,111.20)	(232,847.30)
कुल	**66,527.80**	**99,791.70**

12.1 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को भुगतान योग्य डीईएसयू अवधि की बिजली खरीद देयता का निर्वहन रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किया जाना था, और इसके लिये भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को 3,32,639 लाख रुपये का ऋण स्वीकृतध्संवितरित किया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये यह ऋण 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कंपनी को संवितरित कर दिया और 31 मार्च 2014 से 10 समान किस्तों में ऋण चुकाने का निर्देश दिया। चूंकि कंपनी कोई वाणिज्यिक राजस्व सृजित नहीं करती इसलिये वह तय भुगतान रूपरेखा के अनुसार ऋण देयता के भुगतान में सक्षम नहीं हुई और कंपनी के जिम्मे 31.03.2020 को 66,527.80 लाख रुपये (पिछले वर्ष 99,791.70 लाख रुपये) बकाया हैं। हांला कि कंपनी की राय में डीईएसयू अवधि का सीपीएसयू बकाया हस्तांतरण योजना नियमों के अनुसार कंपनी की देयता का हिस्सा नहीं था, इसलिये कंपनी ने यह मामला, बकाया राशि को दिल्ली सरकार से गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग मानने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार इस ऋण को रद्द करने और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में एक मुश्त अनुदान में बदलने के लिये केंद्र सरकार से लगातार संपर्क कर रही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि इस राशि को दिल्ली सरकार के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल देने से डीपीसीएल के खाते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य दिखाई गयी यह राशि अपने आप दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल जायेगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने 18.04.2017 को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय को फिर इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव को दिनांक 21.10.2020 को डीओ पत्र भी भेजा है। इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लंबित अनुमोदन के कारण कंपनी इस ऋण राशि को ब्याज सहित बकाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अग्रिम के रूप में वसूली योग्य दिखला रही है, जिसे इस टिप्पणी और टिप्पणी –5 और टिप्पणी– 9 में दर्शाया गया है। इसे देखते हुए लेखा में ऋण की बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

12.2 उधारियां उचित मूल्य होने से परिशोधित मूल्य पर ली गयी है।

टिप्पणी 13. व्यापार भुगतान योग्य/ऋणदाता–गैर वर्तमान देयताएं

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
व्यापार भुगतान योग्य		
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को दाय	-	-
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के अलावा अन्य को दाय	16,933.98	16,933.98
कुल	**16,933.98**	**16,933.98**

13.1 दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) समाप्त किये जाने पर पांच उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित किये जाने के बाद डीवीबी की सभी शेष आस्तियां और देयताएं दिल्ली बिजली सुधार (हंस्तातरण योजना) विनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा ले ली गयीं थीं। इसके अनुसार फुटकर ऋणदाताओं (डीवीबी अवधि) के प्रति देयता राशि 16,933.98 लाख रुपये, डीवीबी से ली गयी देयताओं की राशि है जो समायोजन/पुष्टि के अधीन है। समाधान प्रक्रिया जारी है और सक्षम प्राधिकरण के समाधान/अनुमोदन द्वारा आवश्यक समायोजन किया जायेगा।

13.2 व्यापार भुगतान योग्य/ऋणदाताओं को उचित मूल्य होने के कारण परिशोधित मूल्य पर रखा गया है।

टिप्पणी 14. अन्य वित्तीय देयताएं– गैर वर्तमान देयताएं

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अन्य		
(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	157,708.99	157,708.99
कुल	**157,708.99**	**157,708.99**

14.1 दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) समाप्त किये जाने पर पांच उत्तराधिकारी कंपनियों को हस्तांतरित किये जाने के बाद रह गयीं डीवीबी की सभी आस्तियां और देयताएं दिल्ली बिजली सुधार (हंस्तातरण योजना) विनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा ले ली गयीं थीं। इसके अनुसार रा.रा.क्षे.दि.स. को भुगतान योग्य राशि, जैसा कि उपर दर्शाया गया है, सौदे/आपतन का निबल प्रभाव व्यक्त करती है और वसूली योग्य नहीं श्रेणी की विभिन्न आस्तियों और भुगतान योग्य नहीं श्रेणी की वर्तमान देयताएं/फुटकर ऋणदाताओं को रद्द किया जाना आवश्यक बनाती है क्योंकि ये सौदे/आपतन कंपनी के दायित्व नहीं हैं। हालांकि रा.रा.क्षे.दि.स. को भुगतान योग्य दर्शायी गयी राशि कंपनी और रा.रा.क्षे.दि.स. के विद्युत विभाग के बीच पुष्टिध्समाधान के अधीन है। समाधान प्रक्रिया जारी है और सक्षम प्राधिकरण के समाधान/अनुमोदन द्वारा आवश्यक समायोजन किया जायेगा।

टिप्पणी 15. अन्य वित्तीय देयताएं–वर्तमान

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(a) दीर्घावधि उधारियों की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 12 देखें)	266,111.20	232,847.30
(b) रा.रा.क्षे.दि.स.को भुगतानयोग्य सीपीएसयू बकाया (डीईएसयू अवधि) के लिये उधारियों पर प्रोद्भूत ब्याज	195,578.06	163,977.36
(c) एपीडीआरपी के लिये ऋण पर रा.रा.क्षे.दि.स.को भुगतान योग्य	-	129.93
कुल	**461,689.26**	**396,954.59**

15.1 129.93 लाख रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2004–05 में डीपीसीएल से भुगतान योग्य 621.38 लाख रुपये के एपीडीआरपी ऋण के ब्याज पर बीआरपीएलध्बीवाईपीएल द्वारा वसूले गये टीडीएस के लिये रा.रा.क्षे.दि.स. को भुगतान की जानी थी, जिसे डीपीसीएल ने उसी वित्तीय वर्ष में, उसी वित्तीय वर्ष की कर देयता में दर्शाया। चूंकि कंपनी ने 31 मार्च 2019 के बाद आयकर विभाग से रिफंड प्राप्त कर लिया था, इसलिये डीपीसीएल द्वारा मई 2019 में 129.93 लाख रुपये की राशि का भुगतान रा.रा.क्षे.दि.स. को कर दिया गया।

15.2 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को भुगतान योग्य डीईएसयू अवधि की बिजली खरीद लागत की देयता का निर्वहन रा.रा.क्षे.दि.स.द्वारा किया जाना था और इसके लिये भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को 3,32,639 लाख रुपये का ऋण स्वीकृतध्संवितरित किया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये यह ऋण 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कंपनी को संवितरित कर दिया। यह ऋण 31 मार्च 2014 से 10 समान किस्तों में चुकाया जाना था। चूंकि कंपनी कोई वाणिज्यिक राजस्व सृजित नहीं करती इसलिये वह तय भुगतान रूपरेखा के अनुसार ऋण देयता के भुगतान में सक्षम नहीं हुई और कंपनी के जिम्मे 31.03.2020 को 2,66,111.20 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2,32847.30 लाख रुपये) बकाया हैं। हांला कि कंपनी की राय में डीईएसयू अवधि का सीपीएसयू बकाया हस्तांतरण योजना नियमों के अनुसार कंपनी की देयता का हिस्सा नहीं था, इसलिये कंपनी ने यह मामला, बकाया राशि को दिल्ली सरकार से गैर वापसी योग्य वित्तीय सहयोग मानने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार इस ऋण को रद्द करने और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में एक मुश्त अनुदान में बदलने के लिये केंद्र सरकार से लगातार संपर्क कर रही है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से यह भी कहा है कि इस राशि को दिल्ली सरकार के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल देने से डीपीसीएल के खाते में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान योग्य दिखाई गयी यह राशि अपने आप दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल के लिये एक मुश्त अनुदान में बदल जायेगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने 18.04.2017 को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय को फिर इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के सचिव को दिनांक 21.10.2020 को डीओ पत्र भी भेजा है। इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लंबित अनुमोदन के कारण कंपनी इस ऋण राशि को ब्याज सहित बकाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अग्रिम के रूप में वसूली योग्य दिखला रही है, जिसे टिप्पणी –5 और टिप्पणी– 9 में दर्शाया गया है। इसे देखते हुए लेखा में ऋण की बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

15.3 अन्य वित्तीय देयताएं चालू वित्तीय वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर होने के कारण परिशोधित मूल्य पर ली गयी है।

टिप्पणी 16. व्यापार भुगतान योग्य

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
व्यापार भुगतान योग्य		
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को दाय	2.38	7.76
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के अलावा अन्य को दाय	-	-
कुल	**2.38**	**7.76**

टिप्पणी– 17. अन्य वर्तमान देयताएं

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
व्यय भुगतान योग्य	2.11	7.20
लेखा परीक्षक पारिश्रमिक भुगतानयोग्य	3.91	4.60
सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि	0.05	0.05
वैधानिक देयताएं		
टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर	0.15	0.18
टीडीएस वैधानिक/पेशेवर	0.68	1.09
प्रतिप्रभार के अंतर्गत जीएसटी	0.03	0.19
कुल	**6.93**	**13.32**

टिप्पणी 18.वर्तमान कर देयताएं

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
वर्ष के लिये मैट देयता	1,422.28	1,011.03
घटाये: चुकाया गया अग्रिम कर	(1,367.06)	(932.00)
कुल	**55.22**	**79.03**

टिप्पणी 19– उचित मूल्य के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अन्य वित्तीय आस्तियां (टिप्पणी 8 देखें)	50,525.00	52,120.34
नकदी और नकदी समतुल्य (टिप्पणी 6 देखें)	9.84	25,740.69
नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंकशेष (टिप्पणी 7 देखें)	121,634.10	82,897.38
कुल	**172,168.94**	**160,758.41**

टिप्पणी 20– उचित मूल्य के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
गैर वर्तमान देयताएं–वित्तीय देयताएं (हानि/उधारी– टिप्पणी 12 देखें)	66,527.80	99,791.70
भुगतान दाय/ऋण दाता (टिप्पणी 13 देखें)	16,933.98	16,933.98
अन्य वित्तीय देयताएं– गैर वर्तमान देयता (टिप्पणी 14 देखें)	157,708.99	157,708.99
अन्य वित्तीय देयताएं– वर्तमान देयता (टिप्पणी 15 देखें)	461,689.26	396,954.59
व्यापार भुगतान योग्य (टिप्पणी 16 देखें)	2.38	7.76
कुल	**702,862.41**	**671,397.02**

टिप्पणी 21. संचालन से राजस्व

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 22. अन्य आय

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
लाभांश आय		
टीपीडीडीएल से लाभांश		
इक्विटी शेयर	-	-
प्राथमिकता शेयर	-	2,674.19
बैंक जमा पर ब्याज	8,373.30	5,365.78
विविध आय	48.80	0.01
आयकर रिफंड पर ब्याज	-	48.15
कुल	**8,422.10**	**8,088.13**

22.1 टीपीडीडीएल द्वारा 27.02.2019 को 24,500 लाख रुपये की प्राथमिकता शेयर पूंजी रिडीम किये जाने से पहले 26.02.2019 तक (वित्तीय वर्ष 2018–19) कंपनी को 2,674.19 लाख रुपये का प्राथमिकता शेयर लाभांश प्राप्त हुआ था। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये इक्विटी शेयर पर मौजूदा वित्तीय वर्ष में 4,868.64 लाख रुपये का लाभांश प्राप्त किया, जो लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये कंपनी की आय के रूप में लेखांकित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये टीपीडीडीएल द्वारा भी 6,491.52 लाख रुपये का इक्विटी लाभांश घोषित किया गया हांलाकि इस संदर्भ में कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये कंपनी की आय के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है क्योंकि यह 31.03.2020 तक प्राप्त नहीं हुआ था। इक्विटी लाभांश की यह राशि कंपनी को जुलाई 2020 में मिली।

टिप्पणी 23. कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
वेतन, पारिश्रमिक, भत्ता और लाभ	217.43	209.73
कुल	**217.43**	**209.73**

23.1 डीपीसीएल में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और पारिश्रमिक की राशि डीटीएल और आईपीजीसीएल द्वारा डीपीसीएल में कार्यरत कर्मचारियों के लिये जारी वेतन, पारिश्रमिक इत्यादि विवरण पर आधारित है।

टिप्पणी 24. अन्य व्यय

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
प्रशासनिक और सामान्य व्यय		
कानूनी और पेशेवर शुल्क	10.86	12.18
यात्रा और परिवहन	0.73	1.05
निदेशक बैठक शुल्क	0.65	0.44
विविध व्यय	0.95	450.92
बैंक प्रभार	0.08	0.03
डाक और टेलीफोन	1.86	1.44
छपाई और स्टेशनरी	2.23	2.96

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
मरम्मत और रखरखाव	0.60	0.39
पुस्तकें और पत्रिकायें	0.13	0.16
वाहन बीमा	-	0.05
वाहन–पेट्रोल	0.16	0.33
मानव शक्ति हायरिंग व्यय	35.46	31.56
डी–मैट शुल्क	0.02	-
बिजली शुल्क	4.88	5.86
शुल्क और अंशदान	0.18	0.12
कम्प्यूटर सामान	1.07	0.75
कर और शुल्क	1.00	0.01
कार्यालय की साफ सफाई	0.15	-
कार्यालय रखरखाव व्यय	0.81	0.72
परामर्श शुल्क	6.12	1.27
लेखापरीक्षा शुल्क	4.56	4.60
आस्तियों को दर्ज करने पर व्यय	0.01	-
कुल	**72.51**	**514.84**

(i) लेखा परीक्षकों को भुगतान

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
लेखा परीक्षा शुल्क		
वैधानिक लेखापरीक्षक	2.92	2.92
कर लेखापरीक्षक	0.40	0.40
वैधानिक लेखापरीक्षको पर अतिरिक्त व्यय	0.50	0.50
आंतरिक लेखापरीक्षक	0.45	0.45
सचिवालयीय लेखापरीक्षक	0.29	0.33
कुल	**4.56**	**4.60**

24.1 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विविध व्यय की राशि में डीपीसीएल द्वारा टीपीडीडीएल को भलस्वा में डूसिब के आर्थिक रूप मे कमजोर वर्गों के फ्लैटों के विद्युतीकरण के लिये दिये गये 450 लाख रुपये भी शामिल हैं। यह राशि डूसिब ने विभाजन से पहले दिल्ली विद्युत बोर्ड में जमा करायी थी लेकिन बोर्ड समाप्त हो जाने के बाद विद्युतीकरण का यह कार्य, हस्तांतरण योजना के प्रावधानों के अनुसार टीपीडीडीएल द्वारा किया गया।

24.2 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, धारा 198 के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 में कॉरपोरेट दृसामाजिक दायित्व गतिविधियों पर 93.98 लाख रुपये की राशि खर्च करनी थी, लेकिन इन गतिविधियों पर वित्तीय वर्ष 2018–19 के 54.99 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2019–20 के 93.98 लाख रुपये खर्च नहीं किये जा सके, क्योंकि शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सिविल लाइंस में कनेक्टेड क्लास रूम प्रोजेक्ट की गतिविधियां, जिनपर यह राशि व्यय की जानी थी, निदेशक मंडल की 09.03.2020 की बैठक में तय हो पायी। इस बारे में शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कई बार संपर्क किया जा चुका है और कार्य प्रक्रियाधीन है।

टिप्पणी– 25– प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (ईपीएस)

प्राथमिक ईपीएस राशि की गणना वर्ष में इक्विटी धारकों के लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है।

निम्नलिखित तालिका प्राथमिक और तनुकृत ईपीएस संगणना में प्रयुक्त आय और शेयरों से संबंधित डेटा दर्शाती है।

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
प्राथमिक अर्जन		
रिपोर्टिंग वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयर	745,050,000	745,050,000
वर्ष के दौरान योग	-	-
वर्ष के अंत में कुल शेयर	**745,050,000**	**745,050,000**
रिपोर्टिंग वर्ष का लाभ (रुपये में)	59602.31	51086.22
प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर पर प्राथमिक अर्जन (रुपये में)	**8.00**	**6.86**
तनुकृत अर्जन		**-**
वर्ष के आरंभ में ईक्विटी शेयर	745,050,000	745,050,000
वर्ष के दौरान योग	-	-
वर्ष के अंत में कुल शेयर	**745,050,000**	**745,050,000**
वर्ष का लाभ (रुपये में)	59602.31	51086.22
प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर पर तनुकृत अर्जन (रुपये में)	**8.00**	**6.86**

टिप्पणी –26– आकस्मिक देयता और प्रतिबद्धतायें

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
कंपनी के खिलाफ दावे जो ऋण के रूप में मान्य नहीं	5801.04	5160.40
अतिरिक्त आयकर की मांग	4525.44	4525.44
कुल	**10,326.48**	**9,685.84**

26.1 उपरोक्त क्रम संख्या (क) के अनुसार आकस्मिक देयताएं जिला न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और संपत्ति कर अधिकरण में लंबित अदालती मामले दर्शाती हैं। इन मामलों में हांलाकि कंपनी अपने कानूनी दृष्टिकोण से प्रतिपक्षोंध्दावेदारों के दावों के लिये उत्तरदायी नहीं है लेकिन चूंकि कंपनी को इस मामलें में एक प्रतिवादीध्जवाबदेह बनाया गया है इसलिये कंपनी अदालत में ये मुकदमें लड़ रही है। इसलिये कानूनी दृष्टिकोण से कंपनी पर प्रतिपक्ष द्वारा विभिन्न अदालतों में दायर इन दावों के लिये कोई वर्तमान दायित्व नहीं है और इसे देखते हुए वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 के लिये लेखा में देयता के किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है। हालां कि इंड एएस 37 के अनुसार विभिन्न अदालतों और अधिकरणों में लंबित दावों की राशि आकस्मिक देयता के रूप में दर्शायी गयी है।

26.2 उपर्युक्त क्रम संख्या क) और ख) में दर्शायी गयी आपात देयता की राशि ब्याज या विलंब भुगतान अधिशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, प्रभारित किये जाने के अधीन है।

टिप्पणी 27–वित्तीय जोखिम प्रबंधन–उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की मूल वित्तीय देयताओँ में उधारी और भुगतान योग्य शामिल है। वित्तीय देयताएं दिल्ली विद्युत बोर्ड समाप्त किये जाने की अवधि से पहले की देयताओं के कारण रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सौंपे गये वित्तीय दायित्वों के कारण हैं। कंपनी की मूल वित्तीय आस्तियों में ऋण और अग्रिम, नकदी और नकदी समतुल्य, बैंक शेष और जमा तथा अन्य प्राप्य शामिल हैं।

ये मुख्य रूप से निवेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश तथा दिल्ली विद्युत बोर्ड की विभाजन तिथि पर वसूली योग्य और अन्य अग्रिम प्राप्त हो जाने से और आधिक्य निधि से एफडीआर पर ब्याज से प्राप्त होते हैं।

कंपनी को किसी बाजार जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और ऋण जोखिम की आशंका नहीं है क्योंकि कंपनी ऋण और अग्रिम स्वीकार करने और मंजूर करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रही है और किसी वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं है।

इसके अलावा कंपनी की सभी उधारियां निर्धारित ब्याज दर पर हैं और इसलिये उसे किसी ब्याज दर जोखिम की आशंका नहीं है। नकदी और नकदी समतुल्य तथा बैंक शेष और जमा के मामले में भी उसे कोई जोखिम नहीं है क्योंकि उसका लेन देन सरकारी स्वामित्व के बैंक से है।

टिप्पणी–28 श्रेणी और उचित मूल्य वर्गीकरण द्वारा वित्तीय साधन

कंपनी के वित्तीय साधनों की मौजूदा राशि और उचित मूल्य की श्रेणी गत तुलना उचित मूल्य से तर्कसंगत निकटता की मौजूदा राशियों से नीचे दी गयी है।

(लाख रुपये)

विवरण	मौजूदा मूल्य		उचित मूल्य	
	31मार्च 2020 को	31मार्च 2019को	31मार्च 2020 को	31मार्च 2019 को
वित्तीय आस्तियां				
इक्विटी शेयरों में निवेश	402,835.44	354,810.59	402,835.44	354,810.59
नकदी और बैंक शेष	9.84	25,740.69	9.84	25,740.69
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	121,634.10	82,897.38	121,634.10	82,897.38
अन्य वित्तीय आस्तियां	50,525.00	52,120.34	50,525.00	52,120.34
वित्तीय देयताएं				
गैरवर्तमान देयता–वित्तीय देयता	332,639.00	332,639.00	332,639.00	332,639.00
अन्य वित्तीय देयताएं	353,287.05	321,816.28	353,287.05	321,816.28

नकदी और नकदी समतुल्य, बैंक शेष और जमा, वसूली योग्य, अन्य भुगतान योग्य इत्यादि अपनी लघु अवधि के कारण अपने वर्तमान मूल्य के समान माने गये हैं।

टिप्पणी संख्या 4,6,7,8,12,14 और 15 में उल्लिखित वित्तीय आस्तियां और देयताएं, स्थानांतरण योजना विनियम में निर्दिष्ट मूल्य पर पहले के दिल्ली विद्युत बोर्ड से ली गयीं आस्तियों और देयताओं सहित, वर्तमान मूल्य पर दर्ज की गयी हैं क्योंकि इनका समाधान/पुष्टि/समायोजन होना है।

टिप्पणी–29– पूंजी प्रबंधन

पूंजी में कंपनी के शेयर धारकों के लिये निर्धारित जारी इक्विटी पूंजी और अन्य इक्विटी रिजर्व शामिल है। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी लागत कम करने के लिये समुचित पूंजी व्यवस्था बनाये रखना और शेयर धारक मूल्य अधिकतम करना है। कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव और वित्तीय संविदाओं की आवश्यकतानुसार पूंजी संरचना व्यवस्थित करती है और जरूरी समायोजन करती है। पूंजी संरचना बनाये रखने या व्यवस्थित करने के लिये कंपनी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान समायोजित कर सकती है, पूंजी लौटा सकती है या नये शेयर जारी कर सकती है।

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
उधारी (ब्याज सहित)	528,217.06	496,616.36
घटाये: नकदी और अन्य नकदी आस्तियां	121,643.95	108,638.08
निबल ऋण	**406,573.12**	**387,978.28**
इक्विटी	**449,501.03**	**389,898.72**
निबल ऋण/इक्विटी अनुपात	**0.90**	**1.00**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के लिये उदेदश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

टिप्पणी 30– महत्वपूर्ण कंपनियां, इंड एएस के अनुरूप असोसिएट के रूप में समेकित – सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश

उद्यमों का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व अनुपात
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	19.01%
दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	भारत	6.58%
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	भारत	49%
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	भारत	49%
टाटा पावर डेल्ही डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल)	भारत	49%
इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड'	भारत	50%

संलग्न टिप्पणियां 1 से 45, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एएस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

सीए संजय नाथ
साझेदार
सदस्यता संख्या 082700

(हरशिंदर सिंह)
उप महाप्रबंधक वित्त

(पलक जैन)
कंपनी सचिव

(पदि्मनी सिंगला)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीन: 007539635

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.12.2020

टिप्पणी 31: एसोसियेट के रूप में समेकित कंपनियों के लिये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा ⅲ के तहत अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी

समूह में कंपनी का नाम	निवल आस्ति का हिस्सा		लाभ–हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		समाप्त वर्ष के लिये कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित निवल आस्तियों का :	राशि	समेकित लाभ– हानि का :	राशि	अन्य समेकित व्यापक आय का :	राशि	अन्य समेकित कुल व्यापक आय का :	राशि
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	10.38%	46,665.59	11.23%	6,708.82	0.00%	-	11.26%	6,708.82
इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड'	9.28%	41,713.22	9.40%	5,613.07	1.95%	(2.71)	9.41%	5,610.37
दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	5.28%	23,751.60	1.89%	1,127.52	13.24%	(18.33)	1.86%	1,109.20
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	12.63%	56,778.26	17.91%	10,699.64	-18.41%	25.48	17.99%	10,725.12
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	22.67%	101,909.22	25.39%	15,165.99	-33.99%	47.04	25.52%	15,213.03
टाटा पावर डेल्ही डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल)	39.75%	178,683.14	34.19%	20,425.64	137.21%	(189.87)	33.95%	20,235.78

*इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, हमारी वैधानिक अनुपालनो के अनुरूप, गैर लेखापरीक्षित अस्थायी वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित की जा रही हैं। उनके वैधानिक लेखा परीक्षणों के तहत कोई बदलाव अगले वर्षों के समेकित विवरणों में शामिल कर लिया जायेगा।

संलग्न टिप्पणियां 1 से 45, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एएस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
सीए संजय नाथ	**(हरशिंदर सिंह)**	**(पलक जैन)**	**(पद्मिनी सिंगला)**
साझेदार	उप महाप्रबंधक वित्त	कंपनी सचिव	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 082700			डीन: 007539635

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.12.2020

टिप्पणी 32: कर व्यय

कंपनी अनावशोषित अग्रसारित हानियों के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1965 की धारा 115 जे बी के तहत अपनी लाभ बही में न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान के लिये उत्तरदायी है, जो 1422.27 लाख रुपये है।

टिप्पणी 33: आस्थगित कर देयताएं/आस्तियां

(लाख रुपये)

	विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
		राशि	आयकर @29.12%	राशि	आयकर @29.12%
क.	**आस्थगित कर देयता**				
क)	आस्तियों की डबल्यूडीवी का अंतर	–	–	–	–
	उप योग (ए)	–	–	–	–
ख.	**आस्थगित कर आस्तियां**				
क)	आस्तियों की डबल्यूडीवी का अंतर	5.21	1.51	5.73	1.67
ख)	आयकर के अनुसार अनावशोषित ह्रास	–	–	48.26	14.05
ग)	आयकर के अनुसार अनावशोषित हानि	–	–	1082.15	315.12
	उप योग (बी)	**5.21**	**1.51**	**1136.14**	**330.84**
	आस्थगित कर आस्ति (निबल) (बी–ए)	**5.21**	**1.51**	**1136.14**	**330.84**

कंपनी ने वर्तमान वर्ष के लेखे में आस्थगित कर आस्तियों को मान्य नहीं किया है क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि कंपनी इसका लाभ भविष्य की आय में ले पायेगी, इसलिये इस आस्ति को मौजूदा वर्ष के लेखे में मान्य करने पर विचार नहीं किया गया है।

टिप्पणी 34: संबंधित पक्ष स्पष्टीकरण

ए) इंड एस 24 के अनुसार निर्दिष्ट संबंधित पक्षों की सूची नीचे दी गयी है:–

i) प्रमुख प्रबंधन कर्मी (31 मार्च 2020 को)

क्र.सं.	नाम	वर्ष के दौरान	
		नियुक्ति	समाप्ति/जारी
1	सुश्री पद्मिनी सिंगला,आईएएस सीएमडी	05.07.2019	जारी
2	श्री मधुप व्यास,आईएएस सीएमडी	11.01.2019	11.07.2019
3	श्री सुरेंद्र बब्बर, सीएफओ	22.06.2016	जारी
4	सुश्री पलक जैन, कंपनी सचिव	21.10.2016	जारी

ii) सहयोगीध्संयुक्त उद्यम

(क) इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)

(ख) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल)

(ग) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीएसईएस–आरपीएल)

(घ) बीसीईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीसीईएस– वाईपीएल)

(ङ) टाटा पावर डेल्ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (टीपीडीडीएल)

(च) इंद्रप्रस्थ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

बी) संबंधित पक्ष लेन देन (लाख रुपये में)

i)

विवरण	टीपीडीडीएल		बीएसईएस वाईपीएल		बीएसईएस आरपीएल		डीटीएल		आईपीजीसीएल	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
ऋण बकाया (वसूलियां)	2018.82	2018.82	5579.89	5579.89	12293.81	12293.81	17808.40	18025.83	8011.60	8011.60
शेयरों में निवेश	18032.00	18032.00	27244.00	27244.00	50960.00	50960.00	26000.00	26000.00	14000.00	14000.00
लाभांश प्राप्त	4868.64	7001.87	–	–	–	–	–	–	–	–
वर्ष के दौरान समायोजित वेतन और भत्ते	–	–	–	–	–	–	217.43	197.88	–	11.84
सुरक्षित ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3023.32

ii) कंपनी के पास 332639.00 लाख रुपये के लेनदेन का बकाया ऋण है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में डीईएसयू अवधि के सीपीएसयू बकाये के भुगतान के लिये संवितरित किया गया था। कंपनी ने उक्त ऋण के लेनदेन से संबद्ध, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूली योग्य, इसी राशि का अग्रिम भी सृजित किया है। यह लेनदेन भी अन्य टिप्पणियों में विस्तार से दी गयी है। टिप्पणी संख्या 14 में दर्शायी गयी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लेनदेन की निबल राशि पुष्टि और समायोजन के अधीन है।

सी) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक (लाख रुपये में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	2019-20	2018-19
1	सीएमडी	शून्य	शून्य
2	मुख्य वित्तीय अधिकारी	37.60	36.59
3	कंपनी सचिव	शून्य	शून्य

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी – सीएमडी और कंपनी सचिव के पारिश्रमिक का वहन कंपनी द्वारा नहीं किया गया, इसलिये उपर्युक्त टिप्पणी में इसे शून्य दिखलाया गया है। कंपनी सचिव का पारिश्रमिक डेल्ही ट्रांसको लिमिटेड द्वारा और डीपीसीएल के सीएमडी का पारिश्रमिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया गया।

35. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर केवल एक मानव शक्ति एजेंसी और अन्य मेसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड और मेसर्स असलेखा इंटरप्राईजेज को छोड़कर और कोई भी सप्लायरध्ठेकेदारध्सेवा प्रदाता नहीं है जो 31 मार्च 2020 को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियमस 2006' के अंतर्गत पंजीकृत हों।

36. वर्तमान वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया संबंधित पक्षोंध्केंद्रो, डिस्कॉम्स, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, अग्रिम, वसूली योग्य और भुगतान योग्य अधिशेष पुष्टि/समायोजन के अधीन है।

37. कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए इंड एएस 108 द्वारा अपेक्षित रिपोर्टिंग खंड व्यवहार्य नहीं है।

38. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई व्यय/आमदनी नहीं है।

39. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ

डीपीसीएल में काम कर रहे कर्मचारी या तो डीटीएल/आईपीजीसीएल या अन्य संगठनों से स्थानांतरित हैं या फिर प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर हैं। कंपनी के कर्मचारियों के वेतन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, एलटीसी, अवकाश वेतन, पेंशन अंशदान आदि का भुगतान डीटीएल/आईपीजीसीएल द्वारा किया जाता है, जहां से ये कर्मचारी स्थानांतरित किये

गये हैं और कंपनी में पदस्थापित किये गये हैं। कंपनी कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की राशि की प्रतिपूर्ति डीटीएल और आईपीजीसीएल से प्राप्य राशि के समायोजन से करती है। चूंकि कंपनी का अपना कोई नियमित कर्मचारी नहीं है, इसलिये नियोजन की शर्ते भी डीटीएल/आईपीजीसीएल द्वारा तय की जाती हैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिक और अन्य लाभों के प्रति देयता के प्रोद्भूत मूल्यांकन का प्रावधान भी डीटीएल और आईपीजीसीएल देखती हैं और इसे कंपनी को प्रभारित नहीं किया जाता।

40. कंपनी सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम की धारा 135, धारा 198 के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 में कॉरपोरेट–सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर 93.98 लाख रुपये खर्च करने थे। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये सीएसआर गतिविधियों की 54.99 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2018–19 की 93.98 रुपये की राशि व्यय नहीं की जा सकी थी क्योंकि जिन गतिविधियों पर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सिविल लाईंस में विद्यार्थी सुविधा उपकरणों के साथ कनेक्टेड क्लास रूम परियोजना में इस राशि का व्यय होना था, उन्हें निदेशक मंडल की 09.03.2020 को हुई 96वीं बैठक में ही अंतिम रूप दिया जा सका। इस बारे में शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ कई बार संपर्क किया जा चुका है और यह प्रक्रिया जारी है।

41. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से पुष्टि के लिये पिछले वर्षों के आंकड़े फिर से वर्गीकृत और समूहबद्ध किये गये हैं। यह वित्तीय लेखा, निदेशक मंडल की 30 दिसंबर 2020 को हुई बैठक में अनुमोदन के लिये रखा गया।

42. नियामक आस्थगित खाताशेष (बीआरपीएल और बीवाईपीएल)

लाख रुपये)

		बीआरपीएल		बीवाईपीएल	
नियामक आस्थगित खाता शेष		**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
शुल्क समायोजन खाता		9260.71	8429.73	8656.86	8074.07
नियामक आस्थगित खाताशेष आस्थगित कर		0.00	0.00	0.00	0.00
		9260.71	**8429.73**	**8656.86**	**8074.07**
शुल्क समायोजन खाता					
आरंभिक शेष (ए)	**(A)**	8429.73	8469.75	8074.07	8122.27
वर्ष के दौरान राजस्व जीएपी					
लागत					
बिजली खरीद लागत		7976.48	7246.34	3621.08	3279.24
अन्य		1943.66	1685.58	1191.19	991.14
(एमवाईटी विनियमों,डीईआरसी से शुल्क आदेशों और अपीलीय प्राधिकरणो के आदेश के अनुसार अन्य लागत और प्रभार सहित)					
वर्ष के लिये मौजूदा मूल्य		1072.28	1018.68	1026.35	1012.50
घटायेः शुल्क से वर्ष में रिकवर मौजूदा लागत (बी)		(346.00)	(420.42)	(228.00)	(306.81)
	(B)	**10646.42**	**9530.18**	**5610.62**	**4976.07**
राजस्व					
संकलित राजस्व		8913.67	8670.98	4572.21	4542.59
गैर शुल्क आय (सी)		172.89	177.89	78.98	99.23
	(C)	**9086.56**	**8848.87**	**4651.19**	**4641.82**
भविष्य के शुल्क से वसूलीयोग्यध(पलटने योग्य) आय ध्वर्ष के लिये राजस्व जीएपी **(डी)=(बी) – (सी)**		1559.86	681.31	959.43	334.25

		बीआरपीएल		बीवाईपीएल	
वर्ष के दौरान संग्रहित 8% उपप्रभार					
घटाएं आरंभिक शेष के लिये वसूली (ई)	(E)	(728.88)	(721.33)	(376.64)	(382.45)
वर्ष के दौरान निबल गति (एफ)=(डी – ई)		830.98	(40.02)	582.79	(48.20)
शुल्क समायोजन खाता (ए+एफ)		**9260.71**	**8429.73**	**8656.86**	**8074.07**
नियामक आस्थगित खाता शेष पर संबंधित आस्थगित कर (नीचे की टिप्पणी देखें)					
नियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित आस्थगित कर		(957.49)	(384.33)	(682.73)	(188.04)
आरंभिकः– आस्थगित कर देयता		(384.33)	(180.67))	(188.04)	(84.76)
जोड़ेः–आस्थगित कर देयता वर्ष के दौरान		(573.16)	(203.66)	(494.69)	(103.28)
घटायेः– भविष्य के शुल्क से वसूली योग्य (जी)	(G)	957.49	384.33	682.73	188.04
वर्ष के अंत में शेष कुल (ए+एफ+जी)		**9260.71**	**8429.73**	**8656.86**	**8074.07**

कंपनी एक दर विनियमित कंपनी है। कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं से प्रभारित खुदरा आपूर्ति शुल्क दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी या आयोग) द्वारा विनियमित है। ये विनियमन लागतों को अनियंत्रणयोग्य और नियंत्रणयोग्य लागतों में अलग अलग करते हैं। नियंत्रणयोग्य मानकों के लिये डीईआरसी द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नस्तरीय निष्पादन के कारण होने वाली वित्तीय हानियों का वहन लाईसेंस धारक द्वारा किया जायेगा।

30 मई 2007 को डीईआरसी ने 2007 से 2011 तक की अवधि के लिये शुल्क निर्धारण के नियम और शर्तों को स्पष्ट करते हुए विनियम (एमवाईटी विनियम 2007) अधिसूचित किये। इसके बाद डीईआरसी ने दिनांक 10 मई 2011 के अपने आदेश द्वारा एमवाईटी विनियम 2007 और नियंत्रण अवधि को और एक वर्ष, 31 मार्च 2012 तक के लिये बढ़ा दिया। 31 मार्च 2012 तक की पहली नियंत्रण अवधि पूरी होने के बाद डीईआरसी ने दिनांक 19 जनवरी 2012 की अधिसूचना द्वारा फिर एमवाईटी विनियम जारी किया और दूसरी नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2012 से 2015) के लिये विनियमित कंपनियों के शुल्क निर्धारण की शर्तें और नियम (एमवाईटी विनियम 2011) स्पष्ट कर दीं। इसके बाद फिर डीईआरसी ने 13 जुलाई 2012 के अपने आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक के लिये "नियंत्रणयोग्य " मानक निर्दिष्ट कर दिये। इसके बाद डीईआरसी ने 22 अक्तूबर 2014 के अपने आदेश से एमवाईटी विनियम 2011 और नियंत्रण अवधि और एक वर्ष के लिये 31 मार्च 2016 तक बढ़ा दी। 31 जनवरी 2017 को डीईआरसी ने डीईआरसी(शुल्क निर्धारण नियम और शर्तें) विनियम 2017(एमवाईटी विनियम 2017) अधिसूचित किया जिसमें यह कहा गया था कि निष्पादन समीक्षा और वर्ष 2016–17 के लिये समायोजन पर एमवाईटी विनियम 2011 के अनुसार विचार किया जायेगा। एमवाईटी विनियम 2017 के संदर्भ में डीईआरसी ने 01 सितंबर 2017 को डीईआरसी (व्यवसाय योजना) विनियम 2017 (व्यवसाय योजना विनियम) जारी किया जो तीन वर्ष की अवधि, वित्तीय वर्ष 2019–20 तक के लिये लागू है और इस अवधि में विभिन्न नियंत्रण योग्य मानकों के लिये दिशा उपलब्ध कराता है।

राजस्व अंतरध्आधिक्य विनियामक आस्थगित खाता शेष द्वारा दर्शाया जाता है जो उस अवधि के लिये संबंधित एमवाईटी विनियमन में निर्दिष्ट सिद्धांत, शुल्क आदेशों और अन्य व्यवहार्य विधानों (कुछ अस्वीकार्यताओं को छोड़कर) पर आधारित है। इन राजस्व अंतरों के संदर्भ में संबंधित वर्षों में इंड एस 114, आईसीएआई द्वारा जारी नियामक आस्तियों पर मार्गदर्शक टिप्पणी के साथ पठित, के अनुसार समुचित समायोजन किये गये हैं। इसके अलावा व्यवसाय योजना विनियमम में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार मौजूदा वर्ष के लिये स्व सत्यापन भी किया गया है।

डीईआरसी ने कुछ अस्वीकृतियों के साथ दिनांक 29 सितंबर 2015 के शुल्क आदेश द्वारा 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिये राजस्व अंतर की तस्दीक की है। कंपनियों ने इस शुल्क आदेश के खिलाफ माननीय विद्युत अपील प्राधिकरण में अपील कर कानूनी नियमन विरोधी, अनुचित और मनमाने, पिछले शुल्क आदेशों में डीईआरसी के अपने निष्कर्षों तथा एपीटीईएल के पिछले फैसलों को लागू करने में त्रुटि औरध् या लागू नहीं करने से संबंधित मुद्दों को चुनौती दी है। हालांकि कंपनी द्वारा लिये गये कानूनी मत के आधार पर इस प्रकार की अस्वीकृतियों का असर, जो अपील के अधीन हैं, 31 मार्च 2020 को विनियामक आस्थगित खाता शेष की संगणना में शामिल नहीं किया गया है।

इसी आधार पर और कानूनी मत से, डीईआरसी द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2017 और 28 मार्च 2018 के शुल्क आदेशों में, वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के सत्यापन में की गयी समान अस्वीकृतियों के असर पर भी, संबंधित वर्षों के लिये विनियामक आस्थगित खाता शेष की संगणना में विचार नहीं किया गया है। कंपनियों ने इन अस्वीकृतियों के खिलाफ माननीय एपीटीईएल के समक्ष अपील दायर की है।

डीईआरसी ने संचित विनियामक आस्थगित खाता शेष और मौजूदा लागत पर 13 जुलाई 2012 से व्यवहार्य शुल्क पर 8% सरचार्ज की रिकवरी की अनुमति दी है। डीईआरसी ने 25 जुलाई 2014, 29 सितंबर 2015, 31 अगस्त 2017 और 28 मार्च 2018 के अपने सत्यापन आदेश द्वारा केवल नियामक आस्तियों की मूल राशि पर ऐसे सरचार्ज की रिकवरी और अलग से संबंधित वर्षों के वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं में मौजूदा लागत के समायोजन की अनुमति दी है। इसके अनुसार यह उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है।

संचित नियामक आस्तियों की रिकवरी के लिये वर्तमान उपप्रभार का प्रतिशत भविष्य के शुल्क आदेशों में डीईआरसी द्वारा समीक्षा के अधीन है।

कंपनी ने संचित नियामक आस्तियों की समयबद्ध रिकवरी का मामला रिट याचिका के जरिये माननीय उच्चतम न्यायालय में भी उठाया है।

इसके अनुसार बीआरपीएल में मौजूदा वित्त वर्ष (31मार्च 2019, 721.33 करोड़ रुपये) के दौरान रिकवर किया गया 728.88 करोड़ रुपये का 8: उपप्रभार आरंभिक नियामक आस्थगित खाता शेष में समायोजित किया गया है।

नियामक आस्थगित राशि ऋण शेष कंपनी की उधारियों, टिप्पणियों में मौजूदा और पिछली अवधियों के दौरान वित्तीय कंपनियों से सुरक्षित सावधि ऋण के रूप में उल्लिखित, को सुरक्षित करने के पहले समरूप प्रभार के अधीन है (टिप्पणी 21 और 29 देखें)।

नियामक जोखिम प्रबंधन

डीईआरसी (दिल्ली विद्युत नियामक प्राधिकरण), विद्युत अधिनियम के अनुसार नियामक की भूमिका में है।

बाजार जोखिम

कंपनी बिजली आपूर्ति व्यवसाय में है और बिजली उपभोक्ताओं के लिये अत्यंत आवश्यक और जीवन रेखा होने के कारण किसी मांग– जोखिम की आशंका नहीं है। उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और इसके साथ ही वर्तमान और नये उपभोक्ताओ से बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है।

नियामक जोखिम

कंपनी डीईआरसी की नियामक व्यवस्था के तहत काम कर रही है। शुल्क दर नियामक गतिविधियों के अधीन है।

नियामक आस्तियों के लिये कंपनियों के जोखिम की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के तहत नियामक टीम के सहयोग से जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है। नियामक टीम कंपनी की संचालन इकाईयों के निकट समन्वय से संबंधित जोखिमों की पहचान और आकलन करती है तथा इन्हें कम करने की योजना बनाती है और यह ब्योरा तिमाही रूप से बोर्डध् लेखा समिति को उनकी समीक्षा के लिये सौंपा जाता है।

कंपनी के वित्तीय विवरणों में मान्य नियामक आस्तियां डीईआरसी द्वारा विनियमन और अदालतोंध्अधिकरणों में लंबित पिछले आकलनों की अस्वीकृतियों के अनुसार तस्दीक के अधीन है।

डीईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये 31 अगस्त 2017 को शुल्क आदेश जारी किया था जो 01 सितंबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक लागू है। 28 मार्च 2018 को डीईआरसी ने दूसरा शुल्क आदेश वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये जारी किया जो 01 अप्रैल 2018 से लागू हो जायेगा और अगले शुल्क आदेश से प्रतिस्थापित होने तक औरध्या विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों और इसके तहत निर्मित विनियमन के अनुसार संशोधित, समीक्षित या परिवर्तित होने तक लागू रहेगा।

43. एनटीपीसी और अन्य उत्पादकों का बकाया (बीआरपीएल और बीवाईपीएल)

बीआरपीएल और बीवाईपीएल को 01 फरवरी 2014 को एनटीपीसी लिमिटेड से, बिजली खरीद भुगतान में विलंब के कारण बिजली आपूर्ति नियमन (रोके जाने) का नोटिस मिला। कंपनी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर डीईआरसी को लागत प्रतिदर्शी शुल्क और संचित नियामक आस्तियों के नकदीकरण की कार्ययोजना उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए नियमन नोटिस पर स्थगन के लिये अनुरोध किया। उच्चतम न्यायालय ने 26 मार्च 2014 और 06 मई 2014 के अपने अंतरिम आदेश में कंपनियों को अपना वर्तमान बकाया (01 जनवरी 2014 से) 31 मई 2014 तक चुकाने का निर्देश दिया था जिसका अनुपालन नहीं होने पर उत्पादनध्पारेषण कंपनियां बिजली आपूर्ति रोक सकती है। 03 जुलाई 2014 को न्यायालय ने पाया कि कंपनी ने अपने वर्तमान बकाये का शत प्रतिशत भुगतान कर दिया है। सभी आपत्तियों और विवाद पर बाद में विचार का निर्णय

लिया गया। 26 मार्च 2014 और 06 मई 2014 के पहले के आदेशों के अनुसार रेकरिंग राशि के भुगतान का निर्देश दिया गया। इस बीच उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर पहले के आदेशों में बदलाव की मांग की गयी ताकि कंपनी को वर्तमान बकाये के 70 प्रतिशत के भुगतान की अनुमति दी जाये। 18 और 19 फरवरी 2015 को सभी दलीलें पूरी कर ली गयीं।

दिल्ली पावर यूटिलिटीज ने बकाये के भुगतान संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जनवरी 2015 में अवमानना का मामला दायर किया। अबतक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, हालांकि बकाये के भुगतान का अनुरोध करते हुए दायर अंतरिम आवेदन पर दिसंबर 2015 में नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद यह मामला कई मौकों पर सूचीबद्ध हुआ लेकिन स्थगित कर दिया गया। लेकिन 12 मई 2016 को न्यायालय ने कंपनी को वर्तमान बकाये के 70 प्रतिशत का भुगतान अगले आदेश तक कर देने का निर्देश दिया। दिल्ली बिजली कंपनियों ने नवंबर 2016 में, कंपनी के खिलाफ 12 मई 2016 के न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए, नयी अवमानना याचिकायें दायर कीं। इसपर अबतक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। इसके बाद यह मामला कई तारीखों पर सूचीबद्ध किया गया। 02 मई 2018 को हुई अंतिम सुनवाई में माननीय न्यायाधीश ने फैसला नहीं सुनाया। इसके बाद से दोनों न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब इस मामले की दूसरी पीठ में फिर से सुनवाई होगी। हालांकि 11 अप्रैल 2019 को इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) ने बकाये का भुगतान करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के आरोप में दाखिल 2015 की लंबित अवमानना याचिकाओं में नया अंतरिम आवेदन दायर किया। इन आवेदनों को अभी सूचीबद्ध किया जाना है।

44. सीएजी लेखा परीक्षा (बीआरपीएल और बीवाईपीएल)

विद्युत विभाग (रा.रा.क्षे.दि.स.) के 07 जनवरी 2014 के पत्र के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) दिल्ली की सभी तीन बिजली वितरण कंपनियों की लेखा परीक्षा 27 जनवरी 2014 से शुरू की। बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने उक्त लेखा परीक्षा पर स्थगन का अनुरोध करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की लेकिन अदालत ने यह याचिका नामंजूर कर दी। इन कंपनियों ने इस आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की। रिट याचिका और अपील दोनों को यूनाईटेड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियेशन (यूआरडबल्यूए) की इसी मामले में दायर जनहित याचिका के साथ जोड़ दिया गया। इस मामले में दलीलों की सुनवाई 04 मार्च 2015 को पूरी हो गयी।

अगस्तधसितंबर 2015 को कंपनियों ने उक्त अपीलों में अंतरिम याचिका दायर की और सीएजी को किसी तीसरे पक्ष के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट साझा नहीं करने तथा किसी भी रूप में इसका हवाला नहीं देने और कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया। सीएजी वकील ने कहा कि इसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। इसके बाद सभी बिजली वितरण कंपनियों की समेकित मसौदा रिपोर्ट न्यायालय के आदेश के अनुरूप बीएसईएस डिस्कॉम्स को सौंप दी गयी।

मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित कथित हानि के ब्रेकअप और एक्जिट कॉन्फ्रेंस पर स्थगन की मांग करते हुये अन्य याचिकायें दायर की गयीं। इन्हें 01 अक्तूबर 2015 को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया। अदालत ने एक्जिट कॉन्फ्रेंस पर स्थगन मंजूर नहीं किया और कहा कि बीएसईएस डिस्कॉम्स को जवाब सौंपे जायें तथा एक्जिट कॉन्फ्रेंस पर अतिरिक्त जानकारी भी मांगी और इसे सुनवाई की अगली तिथि 15 अक्तूबर 2015 पर अदालत को अवगत कराने को कहा।

15 अक्तूबर 2015 को कंपनियों ने अदालत को बताया कि 13 अक्तूबर 2015 को हुए एक्जिट कॉन्फ्रेंस में पहली बार बीआरपीएल में 1,100 पृष्ठ और बीवाईपीएल में 1412 पृष्ठ उपलब्ध कराये गये और इनका जवाब देने के लिये समय चाहिये। सीएजी के वकील ने कहा कि यह जानकारी पहले लेखा परीक्षा के दौरान साझा की गयी थी, इसलिये यह कोई नयी जानकारी नहीं है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जवाब रिकॉर्ड कर लिया और कहा कि टाटा पावर डेल्ही डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के समान मामले में 30 अक्तूबर 2015 को सुनवाई होने जा रही है। इन याचिकाओं के साथ यह मामला भी उस तिथि के लिये सूचीबद्ध कर लिया जायेगा।

न्यायालय ने इन कंपनियों को एक्जिट कॉफ्रेंस के दस्तावेजों पर प्रतिक्रिया के लिये 30 अक्तूबर 2015 तक का समय भी दिया, यदि वह चाहे।

यह मामला 30 अक्तूबर 2015 के लिये सूचीबद्ध कर दिया गया और माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने "07 जनवरी 2014 के आदेश से संबद्ध सभी कार्रवाई निरस्त किये जाने का निर्देश दिया।"

सीएजी, रा.रा.क्षे.दि.स, और यूआरडबल्यूए ने माननीय न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की यह मामला 18 जनवरी 2016 को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया, जिसमें नोटिसें जारी की गयीं।

बीएसईएस डिस्कॉम्स ने अपने जवाब सौंप दिये हैं। अंतिम बार यह मामला 25 जुलाई 2016 के लिये सूचीबद्ध किया गया और न्यायालय ने सभी पक्षों को अपनी दलीलें पूरी कर लेने का निर्देश दिया। मामले पर 19 अक्तूबर 2016 को सुनवाई होना निश्चित हुआ लेकिन यह कॉज लिस्ट में नहीं आने से उस तिथि पर सूचीबद्ध नहीं हो सका। इसपर सुनवाई 07 दिसंबर 2016 को हुई जब संबंधित पक्षों को दलीलें पूरी करने के लिये और चार सप्ताह का समय दिया गया। यह मामला फरवरी और मार्च 2017 में कई बार सूचीबद्ध हुआ, पिछली सुनवाई 09 मार्च 2017 को हुई। जब अदालत ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि वह स्वयं इस मामले की सुनवाई करेगा या इसे संविधान पीठ को स्थानांतरित किया जायेगा जहां रा.रा.क्षे.दि.स. की शक्तियां बनाम उपराज्यपाल की शक्तियों का मामला लंबित है। 03 जुलाई 2017 को पीठ ने कहा कि तत्काल अपीलों को संविधान पीठ को सौंपे जाने की जरूरत नहीं है और अपीलों पर निर्णय के लिये संविधान पीठ के निर्णय के निष्कर्षों की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिये। हस्ताक्षरित आदेश के संदर्भ में अपीलों को उनकी मेरिट के आधार पर सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किये जाने का निर्देश दिया गया। सुनवाई की अगली तिथि अभी तक तय नहीं हुई है।

45. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, पूरी दुनिया में व्यापक तबाही के कारण, कोविड 19 को एक वैश्विक महामारी घोषित किया। भारत सरकार ने 03 मई 2020 तक 40 दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया। गृह मंत्रालय ने दिनांक 24 मार्च 2020 के अपने आदेश संख्या 40–3.2020 द्वारा बिजली वितरण व्यवसाय को एक अनिवार्य सेवा घोषित किया और इसके अनुसार बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने अपनी सेवायें जारी रखीं।

बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने अपने कारोबार संचालन, आस्तियों, वित्तीय विवरणों, आंतरिक नियंत्रणों और चालू इकाईयों पर कोविड–19 के संभावित प्रतिकूल असर का आकलन किया।

लॉकडाउन अवधि के दौरान घरेलू श्रेणी में उपभोग बढ़ा और अन्य श्रेणियों में इसमें कमी आई। हालांकि बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने औद्योगिक, वाणिज्यिक और गैर–घरेलू श्रेणियों में शुल्क विनियमों के अनुसार तय प्रभार की बिलिंग जारी रखी। निश्चित रिटर्न वाला विनियामित व्यवसाय होने के कारण राजस्व घाटा, यदि कोई हो तो, नियामक (डीईआरसी) द्वारा भविष्य के शुल्क से वसूली योग्य के रूप में स्वीकृत होगा।

सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा स्वीकृत राहत, ऋणदाताओं द्वारा स्वीकृत ऋण स्थगन पर विचार करने के बाद बीआरपीएल और बीवाईपीएल द्वारा अनुमानित नकदी प्रवाह, आने वाले वर्ष में सुचारु संचालन बनाये रखेगा।

बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने सीडबल्यूआईपी, स्थायी आस्तियां, नियामक आस्तियां सहित वित्तीय और गैर वित्तीय आस्तियों की क्षति की संभावना का मूल्यांकन किया है और उनका मानना है कि इनका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

उपर्युक्त के आधार पर प्रबंधन का निष्कर्ष है कि आज की तिथि पर:

क) बीआरपीएल और बीवाईपीएल के पास निकट भविष्य में अपने परिचालन के लिए पर्याप्त संसाधन होगा और इसके अनुसार लेखा चालू कंपनी आधार पर दर्शाया जायेगा।

ख) बीआरपीएल और बीवाईपीएल की आस्तियों की क्षति का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

ग) चूंकि बीआरपीएल और बीवाईपीएल आवश्यक सेवा प्रदाता का दायित्व निभा रही हैं इसलिये वित्तीय रिपोर्टिंग पर मौजूदा आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण योग या संशोधन उल्लिखित नहीं है।

उपर्युक्त मूल्यांकन अनुमानों और आकलनों पर आधारित है जो भविष्य के घटनाक्रमों और सरकारी नीतियों पर निर्भर है। बीआरपीएल और बीवाईपीएल प्रत्येक तिमाही पर अपनी वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करता है और परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से होने वाला कोई भी बदलाव अस्तित्व में आने और आवश्यक होने पर विचार में लिया जायेगा।

संलग्न टिप्पणियां 1 से 45, इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न हिस्सा हैं। टिप्पणी संख्या 1 इंड एएस और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अपेक्षानुसार जानकारी उपलब्ध कराती है।

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
सीए संजय नाथ	**(हरशिंदर सिंह)**	**(पलक जैन)**	**(पद्मिनी सिंगला)**
साझेदार	उप महाप्रबंधक वित्त	कंपनी सचिव	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 082700			डीनः 007539635

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.12.2020

फॉर्म संख्या एओसी–1

अनुषंगी (सबसिडियरी)/सहयोगी (एसोसियेट) कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरण के मुख्य उल्लेख

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 की उपधारा (3), (लेखा) विनियम 2014 के नियम 5 के साथ पठित, के पहले प्रावधान के अनुसार)

31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिये दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम) के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में

भाग "क": अनुषंगी कंपनियां

प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के बारे में जानकारी, राशि (लाख रुपये में) के साथ, प्रस्तुत की जायेगी

क्रम संख्या.	
अनुषंगी कंपनी का नाम	
संबंधित अनुषंगी कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो	
विदेशी सबसिडियरी के संदर्भ में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर प्रतिवेदित मुद्रा और विनिमय दर.	
शेयर पूंजी	
रिजर्व और आधिक्य	
कुल आस्तियां	
कुल देयताएं	
निवेश	
टर्नओवर	
कराधान पूर्व लाभ	
कराधान के लिये प्रावधान	
कराधान बाद लाभ	
प्रस्तावित लाभांश	
शेयर धारिता %	

टिप्पणी: निम्नलिखित जानकारी विवरण के अंत में प्रस्तुत की जायेगीरू

अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्हें अपना संचालन अभी शुरू करना है।

उन अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान बंद कर दिया गया या बेच दिया गया है।

भाग "ख": सहयोगी और संयुक्त उपक्रम

डेल्ही पावर कंपनी लिमिटेड की सहयोगी कंपनियों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (3) के अनुरूप विवरण

(लाख रुपये में)

सहयोगी/संयुक्त उपक्रमों के नाम	इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	डेल्ही पावर कंपनी लिमिटेड	टाटा पावर डेल्ही डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	आईई एंड डबल्यू एमसीएल
1. अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्रक तिथि (हस्ताक्षरित)						
	अभी होना है	25 नवम्बर 2020	29 अप्रैल 2020	30 अप्रैल 2020	30 अप्रैल 2020	हस्ताक्षर होना है
2. वर्ष के अंत में एसोसियेट कंपनी द्वारा सहयोगीध्संयुक्त उपक्रमों की शेयरधारिता						
संख्या	1,400.00	2,600.00	2,704.80	5,096.00	2,724.40	0.50
सहयोगीध्संयुक्त उपक्रमों में निवेश राशि (रुपये में)	14,000.00	26,000.00	18,032.00	50,960.00	27,244.00	5.00
शेयर धारिता %	19.01%	6.58%	49%	49%	49%	50%
3. महत्वपूर्ण प्रभाव संबंधी विवरण	निवेश की जाने वाली कंपनी के साथ बड़ी लेनदेन	निवेश की जाने वाली कंपनी के साथ बड़ी लेनदेन	इक्विटी में निवेश 20:से अधिक	इक्विटी में निवेश 20:से अधिक	इक्विटी में निवेश 20:से अधिक	इक्विटी में निवेश 20: से अधिक
4. सहयोगी/संयुक्त उपक्रमों के समेकित नहीं होने का कारण	व्यवहार्य नहीं	व्यवहार्य नहीं	व्यवहार्य नहीं	व्यवहार्य नहीं	व्यवहार्य नहीं	व्यवहार्य नहीं
5. अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्रक के अनुसार शेयर धारिता का निबल मूल्य (लाख रुपये में)	219,188.21	341,015.18	349,702.41	2,079.76	1158,74	
6. वर्ष में लाभ/हानि						
i. समेकित आधार पर (लाख रुपये में)	5610.37	1109.20	20235.78	15213.03	10725.12	–
ii. गैर समेकित आधार पर (लाख रुपये में)	23902.35	15747.92	21061.72	15833.97	11162.88	–

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी आर माहेश्वरी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 001035 एन/एन 500050

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
सीए संजय नाथ	**(हरशिंदर सिंह)**	**(पलक जैन)**	**(पद्मिनी सिंगला)**
साझेदार	उप महाप्रबंधक वित्त	कंपनी सचिव	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 082700			डीनः 007539635

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.12.2020

दिल्ली पॉवर कम्पनी लिमिटेड
DELHI POWER COMPANY LTD.

दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: शक्ति सदन, कोटला रोड,
नई दिल्ली-110002